# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६ ] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६६ का तीसरा दिवस [ संख्या २





सोमवार,

दिनांक २८ फरवरी, १९६६

----

विधान सभा की बैठक म.पू. ११.०८ बजे विधान भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

**तारांकित–प्रश्नोत्तर**

(आबकारी, शिक्षा, राजस्व, चिकित्सा, वित्त, पुनर्वास, पंचायत, भाषा, समाज कल्याण, विकास, खादी ग्रामोद्योग-विभाग)

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री रघुनाथ बिश्नोई।

**स्कूल भवन का किराया**

२. **श्री रघुनाथ बिश्नोई ( सांचोर ) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सच है कि पुष्करणा जाति के भवन में फलोदी शहर (जिला जोधपुर) में सरकारी लटियालपुरा प्राइमरी स्कूल चल रही है? अगर हां, तो वह कब से तथा इसका सरकार क्या मासिक किराया देती है?

(२) क्या यह सच है कि उपरोक्त भवन का स्कूल चलाने का किराया शिक्षा विभाग ने फरवरी, १९६० से अब तक नहीं दिया है? अगर हां, तो ऐसा होने के क्या कारण हैं?

(३) क्या यह सच है कि पुष्करणा जाति की तरफ से उनके मकान का किराया दिलाने हेतु शिक्षा विभाग को बार बार लिखा है परन्तु इस बारे में शिक्षा विभाग ने कोई सुनवाई नहीं की है? अगर हां, तो उपरोक्त किराए का भुगतान अब तक न करने के क्या कारण हैं? अब उपरोक्त मकान का किराया शिक्षा विभाग कब तक अदा कर देगा?

**शिक्षा मंत्री ( श्री बृजसुन्दर शर्मा ):**

(१) जी हां। यह स्कूल जुलाई, ५८ से चल रही है। किराया नहीं दिया जाता।

(२) जी हां। क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा किराया देने का कोई अनुबन्ध नहीं लिखा है।

(३) यह सत्य है। क्योंकि किराया देने का कोई अनुबन्ध नहीं लिखा है अतः किराया देने का प्रश्न ही नहीं उठता। म्युनिसिपैलिटी ने किराया पर लिया था और शिक्षा विभाग को दिया था।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई :** क्या यह सही है कि यह म्युनिसिपैलिटी का बिल्डिंग नहीं है।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा :** यह बिल्डिंग म्युनिसिपैलिटी ने ली थी और उनको जिम्मेदारी से दी गई।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई :** क्या यह सही है कि इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने एग्रीमेंट देख कर इसको लिया था। जब यह म्युनिसिपैलिटी की बिल्डिंग नहीं है तो आपको यह देखना होगा कि बिना किराये कब तक बैठे रहेंगे? शिक्षा विभाग को इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिये।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : वहां पर सरकारी स्कूल चल रहा है और वह इस आश्वासन पर वहां पर खोला गया था कि वहां की म्युनिसिपैलिटी शिक्षा विभाग को भवन बना कर देगी और नहीं देगी तब तक किराये पर देगी। म्युनिसिपैलिटी ने किराये पर मकान लेकर सरकार को दिया और तब सरकार ने स्कूल खोला। उन्होंने १० वर्षों में भवन बना कर देने का वायदा किया था। इस वजह से किराया सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता। उन्होंने किसी भी व्यक्ति या जाति से लिया हो, यह म्युनिसिपैलिटी ने शिक्षा विभाग को दिया है और जिनसे म्युनिसिपैलिटी ने लिया है उस पर वे दावा करें।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है, म्युनिसिपैलिटी के प्रति बोन्ड है १० साल का, उसमें शिक्षा विभाग का कोई एश्योरेंस नहीं दिया है, ऐसी लिखा पढ़ी की है या नहीं ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : मेरे पास एग्रीमेंट की नकल है, उन्होंने प्रतिज्ञा-पत्र लिख कर दिया है, यह प्रतिज्ञा की है कि यह संख्या छात्रों की रहेगी, मकान के लिये उपयुक्त प्रबन्ध किया जायगा, १० वर्ष यह प्रबन्ध पाठशाला चलाने के लिये रहेगा उसके बाद पाठशाला भवन निर्माण करा देंगे या द्रव्य संग्रह कर के शिक्षा विभाग के पास जमा करा देंगे.....

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : यह तो म्युनिसिपैलिटी का सुना रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि एग्रीमेंट के टेक्निकलिटी की वजह से मकान नहीं छोड़ते हैं, शिक्षा विभाग म्युनिसिपैलिटी का कोई मकान ले सकता है पर उस प्राइवेट पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं, उस पार्टी का मकान क्यों दबा कर बैठे हैं ?

**प्रश्न संख्या ३**

**श्री** विजयसिंह झाला।

**श्री अध्यक्ष** :

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

**प्रश्न संख्या ४**

**श्री** उदयलाल वर्दिया।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

**श्री** जुझारसिंह।

**पंचायत मंडीता को चरागाह भूमि**

५. **श्री जुझारसिंह (चेचट)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मंडीता पंचायत समिति सांगोद को राजस्व विभाग द्वारा ग्राम खेड़ली, गुड़ला, राजगढ़ व मंडीता में चरागाह की भूमि बतला दी गई थी और इस संबंध में सरकार की आज्ञा भी दिनांक १८ नवम्बर, सन् १९५५ से जारी हो चुकी थी ?

(२) क्या यह सही है कि वन विभाग द्वारा पंचायत की उक्त चरागाह को अपनी सम्पत्ति मान कर पेड़ों की बिक्री करना व गोंद व पातड़ों का ठेका देना जारी किया हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार पंचायत की बतलाई हुई चरागाह की जमीन पर उनको कब्जा दिलाने का शीघ्र प्रबन्ध करने का विचार रखती है ?

**राजस्व मंत्री (श्री कुम्भाराम आर्य)** :

(१) जी हां। सरपंच ग्राम पंचायत मंडीता को चरागाह की भूमि दिनांक १-५-५६ को बतलादी गई थी।

(२) जी नहीं। जमीन पर कब्जा दिलाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

**श्री जुझारसिंह:** जब पंचायत को जमीन चरागाह के रूप में दी गई थी तो चरागाह पर वन विभाग का कब्जा था, अब भी वन विभाग द्वारा पंचायत को न ठेका देने की इजाजत दी जाती है, न चराई के लिए देने देता है, इसका क्या कारण है ?

**श्री कुम्भाराम आर्य:** थोड़े से हिस्से पर जंगलात का कब्जा है।

**श्री जुझारसिंह:** मैं मन्त्री महोदय की इन्फोर्मेशन के लिए बता दूं कि सारी जमीन पर वन विभाग का कब्जा है, ठेका वगैरह का प्रबन्ध पंचायत को वन विभाग द्वारा नहीं करने दिया जाता है, वहां आज भी फोरेस्ट गार्डस रहते हैं और वे रखवाली करते हैं।

**श्री कुम्भाराम आर्य:** जितनी भूमि उनके कब्जे में है उसके लिए करते हैं।

**श्री जुझारसिंह:** भूमि तो सारी वन विभाग के कब्जे में हैं, या तो राजस्व विभाग ने पंचायत को यह चरागाह देते समय वन विभाग को सूचित नहीं किया, पहले यह सारी की सारी भूमि वन विभाग के कब्जे में थी, वन विभाग अभी तक उस पर कब्जा किये हुए है। वन विभाग उस चरागाह का ठेका वगैरह पंचायत को नहीं करने देता है, इन दोनों का फैसला राजस्व विभाग को करना चाहिए ताकि इन दोनों के आपस के झगड़े मिटें।

**श्री कुम्भाराम आर्य:** हो जायगा।

**श्री जुझारसिंह:** कब तक हो जायगा ?

**श्री अध्यक्ष:** और क्या हो जायगा ?

श्री लक्ष्मीचन्द।

**अध्यापकों को पेन्शन एवं उनका स्थायीपन**

६. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि शिक्षा विभाग के अध्यापकों के सब्स्टीट्यूट एवं एवजी तौर पर लगातार ३ वर्ष तक सरकारी नौकरी के समय को पेन्शन और स्थायीपन के लिये नहीं गिना जाता ?

(२) क्या यह भी सच है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के डेली-वेजेज और वर्क चार्ज कर्मचारियों की २ वर्ष की सरकारी नौकरी के समय को पेन्शन व स्थायीपन के लिए गिना जाता है ?

(३) यदि हां, तो शिक्षा विभाग के अध्यापकों के ३ वर्ष तक एवजी तौर पर सरकारी नौकरी के समय को पेन्शन व स्थायीपन के लिए क्यों नहीं गिना जाता है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा):** (१) जी नहीं। सब्स्टीट्यूट व अस्थाई शिक्षक भी अन्य राज्य कर्मचारियों के समान यदि उसी क्रम में उसी पद पर स्थायी हो जाता है तो वह समय भी पेन्शन के वास्ते गिना जाता है।

(२) जी नहीं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के डेलीवेजेज स्टाफ की नोकरी पर पेन्शन नहीं दी जाती। इनकी केज्युअल नौकरी यानी २ साल की मुलाजमत से उन्हें क्वाजी परमानेन्ट स्टेटस मिल जाता है।

(३) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

**श्री अध्यक्ष:** श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

**महंगाई भत्ता**

७. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) व **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले

Page No. 4



(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

महगाई भत्ते को मूल्य सूचक अंक से सम्बद्ध कर दिया जाय तथा अन्तरिम वृद्धि केन्द्रीय कर्मचारियों के समान दे दी जावे ?

(२) क्या राज्य कर्मचारियों की मांगों के औचित्य के सम्बन्ध में निर्णय करने हेतु राज्य सरकार एक वेतन आयोग की नियुक्ति करेगी, जैसा कि केन्द्रीय सरकार करती है ?

(३) अल्प वेतनिक राज्य कर्मचारियों को इस बढ़ती हुई मंहगाई में राहत देने के लिए सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

**उप-मंत्री, वित्त (श्री चन्दनमल वैद)** : (१) यह सम्भव नहीं है। राज्य सरकार के लिये सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता भारत सरकार के कर्मचारियों के समान देना भी संभव नहीं है।

(२) ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(३) इस प्रश्न पर राज्य सरकार ने समय समय पर विचार किया है और अब यह निर्णय लिया है कि उनके दैनिक उपयोग की वस्तुओं को उपभोक्ता भण्डारों के माध्यम से उपलब्ध कराया जावे।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**: क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि राज्य कर्मचारियों के मंहगाई एवं अन्य भत्तों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई व अन्य भत्तों के बराबर करने में राज्य सरकार पर कितना भार पड़ेगा ?

**श्री चन्दनमल वैद** : यह अनुमान लगाया गया है कि ५ रुपया बढ़ाया जाय तो १ करोड़ चालीस लाख का भार पड़ेगा ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मैने यह नहीं पूछा है। मेरा प्रश्न यह है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के स्तर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन व भत्ते के स्तर को लाया जाय तो कितना भार राज्य पर पड़ेगा ? ५ रुपये का तो पुराना अनुमान है, नया नहीं है।

**श्री चन्दनमल वैद** : नया ही है, किस २ तनख्वाह वाले को कितना कितना देना पड़ेगा यह सब केल्कुलेशन एक बड़े केल्कुलेशन की बात है । मैंने इशारे के तौर पर बता दिया कि एक करोड़ ४० लाख रुपये का भार ५ रुपया बढाने में पडता है ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : तो सरकार ने यह केल्कुलेशन अभी तक नही किया है ?

**श्री चन्दनमल वैद** : वह केल्कुलेशन इस समय मेरे पास नहीं है ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)** : क्या यह सही है कि इसी प्रश्न पर माथुर कमेटी मुकर्रर की थी जिसने यह सिफारिश की है कि जो भी मंहगाई हो उसके अनुसार मंहगाई भत्ते को मूल्य सूचक अंक से सम्बद्ध कर दिया जाय और नीची से नीची श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको वह दिया जाय। क्या सरकार ने इस कमेटी की सिफारिशों पर गौर करने के बाद इस दिशा में कुछ सोचा है ?

**श्री चन्दनमल वैद** : जो कुछ सरकार के विचार हैं वे मैंने बता दिये हैं ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या माथुर कमेटी की सिफारिशों के बारे में भी सरकार के यही विचार हैं ?

# Page No. 5



**श्री चन्दनमल वैद :** अभी तक जो विचार हुए उन पर सरकार के विचारों को मैंने आपके सामने रखा।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) :** उपभोक्ता भण्डार कब तक चालू किये जायेंगे ?

**श्री चन्दनमल वैद :** अक्टूबर में उपभोक्ता भण्डार चालू कर दिये जायेंगे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** उपभोक्ता भण्डार जो चालू किये जायेंगे उनमें सब्सीडाइज्ड रेट्स होंगी या मार्केट रेट्स होंगी ?

**श्री चन्दनमल वैद :** इस पर विचार किया जा रहा है। जो हमारा प्राइस इन्डेक्स है उनके अनुकूल ही होगा।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** उपभोक्ता भण्डारों से देने का मतलब तो यह होता है कि मार्केट रेट से सब्सीडाइज्ड रेट्स पर वस्तुएं दी जायं। अगर मार्केट रेट्स के अनुसार ही उपभोक्ता भण्डारों से दिया जायगा तो उपभोक्ता भण्डार खोलने से क्या मतलब ?

**वित्त मंत्री ( श्री बालकृष्ण कौल ) :** अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उपभोक्ता भण्डार बनाये जा रहे हैं; सो इसका मतलब यह है कि सब्सीडाइज्ड रेट्स पर ही होंगे। क्या रेट्स होंगी, इस सब पर विचार किया जा रहा है, इस समय यह सब बताने में मजबूरी है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** आज यहां राज्य सरकार के कर्मचारियों को जीवनोपयोगी वस्तुएं जिस भाव से मिलती हैं, उसी भाव पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी मिल रही हैं, फिर दोनों के वेतन और भत्तों में इतना अन्तर क्यों ? राज्य सरकार एक वेतन आयोग नियुक्त करने की स्वीकृति क्यों नहीं देती ? क्यों नहीं आप इसे स्वीकार करते ? What is the difficulty in appointing a Commission.

**श्री बालकृष्ण कौल :** सबसे बड़ी डिफिकल्टी फाइनेन्शियल हालत की है। सरकार चाहती है कि वित्तीय साधन अच्छे हो जायं तो यहां के पे स्केल्स और केन्द्र के पे स्केल्स, अलाउन्स वगैरह हैं बराबर हों तो ज्यादा मुनासिब है; पर हर चीज पूंजी को देख कर की जा सकती है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** उसके लिए तो राज्य सरकार ने अनुमान ही नहीं लगाया कि राज्य सरकार पर कितना असर पड़ेगा ? हम आपको सुझाव देंगे कि क्या करना चाहिए वह रखिये। सारा विरोधी दल आपको सुझाव बतायेगा कि किस प्रकार पूर्ति की जा सकती है, हर प्रकार राज्य कर्मचारियों का वेतन-भत्ता केन्द्र के कर्मचारियों के बराबर करना चाहिए।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) :** क्या यह सही है कि इस प्रकार का कोई कमिटमेंट सरकार का है ? माथुर कमेटी के समय सरकार ने कमिटमेन्ट किया था कि इस कमेटी की रिपोर्ट निकलते ही उसकी सिफारिशों को सरकार लागू कर देगी। डेढ़ वर्ष हो गया है माथुर कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता एक करो। डेढ़ साल हो गया;

# Page No. 6



(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
सरकार ने माथुर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने में क्या किया है ?

**श्री चन्दनमल बैद :** इसका पहले ही जवाब दे चुका हूं, सरकार का जो निर्णय है वह बता चुका हूं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** कमिटमेंट पूरा क्यों नहीं करते; क्या लोगों को टालने के लिए कमेटी बनाई थी ?

**श्री मथुरेशबिहारी माथुर** (बांदीकुई) : मध्यप्रदेश और गुजरात के महंगाई भत्ते और राजस्थान के महंगाई भत्ते में जो अंतर है उसको बराबर लाने के लिए क्या विचार किया है ?

**श्री बालकृष्ण कौल:** अभी मद्रास के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं।

**श्री मथुरेशबिहारी माथुर :** मैंने मध्यप्रदेश और गुजरात के लिए कहा।

**श्री बालकृष्ण कौल:** जबाब पूरा देने दीजिए। मध्यप्रदेश से यहां किसी हालत में पे स्केल्स कम नहीं हैं, भत्ता कम नहीं है। लेकिन बेसीकली मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि जितना, हालात को देखकर, भत्ता देना चाहिये उतना हम नहीं दे सकते हैं और देने की कोशिश करना चाहते हैं क्यों कि प्राइस इंडेक्स बढ रहा है और उसके निस्बत सरकार ने फैसला किया कि हमको भंडार खोल देने चाहिए और सब्सीडाइज्ड रेट पर नैसेसिटीज ऑफ लाइफ देनी चाहिए। इतना हम कर सकते हैं, जैसा, गवर्नर साहब ने अपनी स्पीच में कहा है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या सरकार के सामने माथुर कमेटी की रिपोर्ट पेंडिंग है ?

**श्री बालकृष्ण कौल :** माथुर कमेटी की रिपोर्ट इंडस्ट्रियल लेबर पर थी, लेकिन बहुत सी सिफारशें ऐसी हैं जिनमें से कुछ सरकार ने मान ली हैं और कुछ विचाराधीन हैं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** उसका एक पर्पज और ऑब्जेक्ट था कम्पलीट न्यूट्रिलाइजेशन और जितना महंगाई सूचक अङ्क बढ़ता है उसके अनुपात में कितना महंगाई भत्ता दिया जाय, इस चीज के लिए; यह मेन ऑब्जेक्ट था। उसकी स्टडी किया जाय और उसमें सेंट परसेंट न्यूट्रलाइजेशन की रिकमंडेशन कर दी है। आपने क्यों इतना खर्चा किया, यदि आपको माथुर कमेटी की रिपोर्ट को नहीं मानना था ? डेढ़ साल हो गया और अभी तक सो गये हो रिपोर्ट पर।

**श्री बालकृष्ण कौल :** जो प्रश्न सामने है उससे संबद्ध नहीं है। इसका उत्तर इसके सवाल के जवाब में दिया जा सकता है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** बिल्कुल संबद्ध है। आप साइड ट्रेक कर रहे हैं। कम्पलीट न्यूट्रिलाइजेशन का फॉर्मुला आ चुका है।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** (टोंक) : बढ़ती हुई महंगाई में राज्य कर्मचारियों को लिविंग वेज मिले या उसके अनुरूप भत्ता मिल सके, इस संबंध में जो कुछ सदन की भावना है आपके सामने व्यक्त हुई, उसको ध्यान में रखते हुए आपने इस पर गंभीरता से विचार किया और कमेटी बनाई जो

# Page No. 7



(श्री राधाकृष्ण गोयल )
इस संबंध, में आपको सुझाव दे सके और वह आर जो बहाना बना रहे हैं उसके लिए कुछ आपको सुझाव दे सके ? आपने इस पर विचार किया कि आपको कितने पैसे की आवश्यकता है और व्यवस्था किस प्रकार हो सकती है ?

**श्री बालकृष्ण कौल :** आपने जो भाषण दिया उसका जबाव दिया जा चुका है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** आप जो सब्जीडाइज्ड रेट पर भंडार खोलना चाहते हैं वह आप कौन से साल की प्राइस इंडेक्स से जोड़ने का कर्मचारियों को आश्वासन देते हैं, क्योंकि भाव और भी बढ़ सकते हैं। आया १९६३ में जो प्राइस इन्डेक्स थी उससे जितनी भी रेट्न बढ़ी है उसको कम्पलीट सब्सीडाइजेशन करने का आश्वासन देते हैं या नहीं ? इस बारे में क्या नीति है ?

**श्री चन्दन मल बैद :** अभी तक जो प्राइस इंडेक्स बना है वह राज्य कर्मचारियों के उपयोग में जो चीजें आती हैं उसके आधार पर नहीं बना है। अब स्टेटिस्टिक्स विभाग में राज्य कर्मचारियों के उपयोग में आने वाली चीजों का प्राइस इंडेक्स बनाया जा रहा है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** क्या इस सिद्धांत को सरकार स्वीकार करती है कि एक पार्टीक्यूलर डेट १९६३ के बाद जितनी महंगाई बढ़ी है उसका कम्पलीट न्यूट्रलाइजेशन सब्सीडाइज्ड रेट्स के जरिए कर दिया जाये और कर्मचारियों पर इस तरह मंहगाई का कोई भार नहीं पड़े ?

**श्री बालकृष्ण कौल :** यह कहना कि सरकार यह मानती है या नहीं, यह ठीक नहीं है। जब तक सरकार के पास पूरा डेटा नहीं हो, तो सरकार इस स्थिति में नहीं है कि हाइपोथेटीकल सवाल पर कमिट करे।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** कौनसा डेटा नहीं है सरकार के पास ? क्या अजमेर, ब्यावर और जयपुर में कन्ज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं निकला है ? प्रश्न यह है कि आप बेस ईयर किसको मानेंगे ? अगर आप भंडार सब्सीडाइज्ड रेट्स पर खोलेंगे तो किस साल को बेस ईयर मानकर चलेंगे।

**श्री बालकृष्ण कौल :** या तो मैं बताने में ऐसी जुबान का इस्तेमाल कर रहा हूं जो माननीय सदस्य की समझ में नहीं आ रही है या मैं नहीं समझ सका। जो प्राइस इंडेक्स है वह इंडस्ट्रिय लेबर के लिए है, सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई इंडेक्स अभी तक तैयार नहीं हुआ है और वही डिप्टी मिनिस्टर ने कहा है कि उनके इंडेक्स बनाने के लिए इन्स्ट्रक्शन्स दिये हुए हैं, डिपार्टमेन्ट को और जब इंडेक्स तैयार हो जायगा तब हम बता सकते हैं। आप दोनों चीजों को मिक्स-अप न करें। इसमें कन्ज्यूमर इंडेक्स का ताल्लुक नहीं है।

**श्री रामानंद अग्रवाल :** जो सब्सीडाइज्ड रेट्स पर गुड्स सप्लाई करने का सरकार ने निर्णय लिया है वह इस आधार पर कि केवल पैसा बढ़ाने से प्राइसेज बढ़ जाते हैं और न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता, तो क्या सरकार इस सिद्धांत को मान चुकी है कि १९६३ में जो भाव थे उसके बाद जितनी भी महंगाई बढ़ी है उस महंगाई को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज सरकार करेगी, सब्सी-

# Page No. 8



(श्री रामानन्द अग्रवाल)
डाइरेक्ट रेट्स पर सप्लाई के द्वारा ? क्या सरकार इसी सिद्धांत को मानने के लिये तैयार है या नहीं ?

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

**मलेरिया यूनिट को प्राप्त सामान**

८. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) [श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) द्वारा पूछा गया] :—क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान की मलेरिया यूनिट को टी० सी० एम० से किस किस वर्ष में, कितनी कितनी कीमत का किस किस प्रकार का सामान मिला है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इस सामान का किस किस वर्ष में वास्तविक सत्यापन हुआ है और उसके अनुसार किस प्रकार का कितना कितना सामान कम पाया गया ? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(३) इस विभाग में इस सामान के लिए इन्डेन्ट रजिस्टर कब से रखा गया और क्या सब सामान इन्डेन्ट रजिस्टर में दर्ज होने के पश्चात् ही गया है ?

(४) इस विभाग द्वारा टी० सी० एम० द्वारा दी गई जीपें, स्टेशन वैगन्स, ट्रकें एवं पम्पिंग सैट्स की मरम्मत के लिए किस किस वर्ष में कितनी कितनी कीमत के पार्ट्स खरीदे गये और क्या इस प्रकार के स्पेयर पार्ट्स टी० सी० एम० द्वारा नहीं दिये गये थे ?

(५) क्या यह सही है कि लगभग २ लाख रुपये का डी० डी० टी० गंगानगर में बह गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(६) इस विभाग की जीपें, ट्रकें व स्टेशन वैगन्स की कहां कहां मरम्मत होती है और हर वर्ष में इन पर कितना कितना रुपया खर्च हुआ है ?

कृपया उक्त प्रश्नों से सम्बन्धित उत्तर की तालिकायें सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

**चिकित्सा मंत्री** (श्री दामोदर लाल व्यास): (१) राजस्थान की मलेरिया युनिटों को टी० सी० एम० से सन् १९५२-५३ से १९६४-६५ तक जो जो सामान उपलब्ध किया गया है उसकी तालिका कीमत सदन की मेज पर रख दी गई है। तालिका के अनुसार डी० डी० टी०, मलेरिया निरोधक गोलियां डी. डी. टी. छिड़कने के पम्प सुईबीने (माईक्रोस्कोप) मोटर गाड़ियां और स्पेयर पार्ट्स प्राप्त हुए जिनकी तादाद तालिका में दर्ज कर दी गई है।

(२) इस सामान के वास्तविक सत्यापन का ब्योरा संलग्न नक्शे में अंकित है । इस नक्शे के अवलोकन से प्रतीत होगा कि अन्तिम सत्यापन जिसमें लेटेस्ट स्थिति बताई गई है जिसके अनुसार हैंड कम्प्रेशर स्प्रेयर १, स्टोर्स पम्प १२, संचालनालय के भंडार में एवं ८५ डेरेप्रिम की गोलियां चित्तौड़ यूनिट में कम पाई गई है । स्प्रेयर व स्टोर्स पम्प, की कीमत कम्पाउंडर श्रीनारायण से वसूल करने की कार्यवाही जारी है जो उस समय भंडार में कार्य करते थे । कम पाई गई

(श्री दामोदर लाल व्यास)
८५ गोलियों के लिए की गई कार्यवाही की सूचना शीघ्र भेजने हेतु मलेरिया मेडीकल ऑफिसर चित्तौड़गढ़ को लिख दिया गया है।

(३) टी० सी० एम० में प्राप्त सामान के लिए पृथक स्टॉक रजिस्टर संचालनालय के भंडार शाखा में सन् १९५४ में रखा गया है और सब सामान पहले रजिस्टर में दर्ज करने के पश्चात् मलेरिया यूनिट में वितरित किया जाता है। सन् १९५४ से पहले डी०डी० टी० व मलेरिया निरोधक गोलियां प्राप्त हुई थीं, उन्हें भी भंडार के अन्य जनरल स्टाक रजिस्टर में दर्ज कर अस्पताल में वितरित कर दिया गया था। एक पावर स्प्रेयर सन् १९५३-५४ में देना बताया गया है वह सीधा अजमेर स्टेट को सप्लाई किया गया था जो इस कार्यालय के स्टॉक रजिस्टर में अंकित नहीं है।

(४) टी० सी० एम० द्वारा जो स्पेयर पार्टस प्राप्त हुए हैं उनको यूनिट को आवश्यकतानुसार वितरण कर दिया जाता है। इसके अलावा सामान मरम्मत आदि के लिए आवश्यकता होने पर नियमानुसार खरीदा जाता है। खर्चे की व्यौरेवार तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। जो सामान इस विभाग द्वारा खरीदा गया है वह टी० सी० एम० द्वारा प्राप्त सामान अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए नियमानुसार खरीदा गया था।

(५) गंगानगर यूनिट में डी. डी. टी. पाउडर कम पाया गया था जिसमें कुछ वह भी गया बताया। कुल पाउडर की कीमत १.७७,६०० रु० आंकी गई थी इस विषय में जिन व्यक्तियों को दोषी समझा गया है उनके विरुद्ध विभागीय जांच हेतु शासन द्वारा आरोप-पत्र के उत्तर आने पर कार्यवाही की जा रही है।

(६) इस विभाग की जीपें, ट्रकें, स्टेशन वेगन्स की साधारण मरम्मत स्थानीय यूनिट हैडक्वार्टर्स में ही मेकेनिक द्वारा, जो यूनिट में मौजूद रहता है करा ली जाती है, उसके अतिरिक्त मरम्मत अजमेर या जयपुर मलेरिया युनिट को वर्कशाप अथवा सरकारी गैरेजों में करायी जाती है। यदि सरकारी गैरेज मरम्मत करने में असमर्थता प्रकट करते हैं तो नियमानुसार टेन्डर या कोटेशन मंगाकर मरम्मत करायी जाती है। मरम्मत के खर्चे की व्योरेवार तालिका भी सदन की मेजपर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रक्खी गई)।

**श्री कृष्णकुमार गोयल:** आपने इस प्रश्न के खंड २ में वास्तविक सत्यापन के लिए उत्तर दिया है उसके लिये मैं जानना चाहूंगा कि वह सत्यापन कौन-कौन से साल और किस-किस तारीख को किया गया? तालिका में यह कोई चीज नहीं दी गई है इसलिए यह बताया जाय कि कब कब सत्यापन किया गया?

**श्री दामोदरलाल व्यास:** जितनी इन्फोर्मेशन आपने चाही थी वह तालिका में दर्ज करदी है। अलावा चाहते हैं तो आप अलग से पूछ लीजिये।

**श्री कृष्णकुमार गोयल:** अलावा का सवाल नहीं उठता है। किस-किस वर्ष में सत्यापन हुआ है यह आपने बिलकुल नहीं बताया है।

**श्री दामोदरलाल व्यास:** मैंने जवाब में बताया है। लेटेस्ट पोजीशन क्या है वह

Page No. 10



(श्री दामोदर लाल व्यास)
तालिका में दर्ज करदी गई है। हर एक साल की नहीं दी गयी है।

**श्री रामकिशन (बैर)** : इससे तो प्रश्न पूछने की ही मंशा पूरी नही होती है।

**श्री दामोदरलाल व्यास:** आप बताइये कि क्या चाहते हैं ?

**श्री रामकिशन** : हर साल की एक तालिका दें जिससे पता चले कि कितना घोटाला हुआ है।

**श्री दमोदरलाल व्यास** : जितना सामान कम रहा वह बता दिया है।

**श्री कृष्ण कुमार गोयल:** जहां तक हमारी मान्यता है और वह ठीक है कि जब आप लेटेस्ट पोजीशन बता रहे हैं तो इसी से पता चलता है कि हर साल वेरिफिकेशन हुआ है तो फिर आप यह वेरिफिकेशन कब-कब किस किस साल में हुआ है यह क्यों नहीं बताते हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इस समय मेरे पास यह इत्तिला नहीं है, मैं फिर दे दूंगा।

**श्री रामकिशन:** पहले भी यही उत्तर मंत्री महोदय ने दिया था जब गत सेशन में यह सवाल पूछा गया था।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : नहीं,ऐसा नहीं।

**श्री रामकिशन** : पिछले सत्र में यही जवाब दिया गया है।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : क्या यह सही है कि डी. डी. टी. पानी में बह गया ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : कुछ भाग पानी में बह गया यह बताया जाता है।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : यह डी. डी. टी कितना था, कितना पानी में बहा और कितना चोरी गया ? सरकार किस नतीजे पर पहुँची ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इसके लिए सरकार ने इन्क्वायरी कराई है।

डाक्टर आर० एन० भटनागर ने इन्क्वायरी की है। जिन ऑफिसर्स के खिलाफ सबूत पाये गए उनको चार्ज शीट देदी गई है और आगे इन्क्वायरी चल रही है।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितना डी. डी. टी चोरी गया और कितना पानी में बह गया ? इसका क्या सबूत है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जांच से पता चलेगा। प्राइमरी सबूत आये हैं।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : क्या यह सही है कि सारा डी. डी. टी, पानी में नहीं बहा है, इसमें से चोरी भी हुआ है सरकार कब इस निर्णय पर पहुँची ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : सरकार का नुक्सान हुआ है वह बता दिया। कितना पानी में बहा और कितना चोरी में गया है इसके लिए जांच कराई जा रही है। जिन अफसरान को जिम्मेदार पाया गया उनको चार्ज शीट दे दी गई है।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : सरकार के सामने यह कब तथ्य आये कि सारा का सारा

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
डी. डी. टी. पानी में नहीं बहा है और उसमें चोरी भी गया है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** बहरहाल इन अफसरान की गलती से चोरी में चला गया या पानी में बह गया, उनकी जिम्मेदारी थी क्योंकि उनकी निगरानी में था, उनको चार्ज-शीट दे दी गई है। पूरी जांच से आगे पता चलेगा।

**श्री कृष्णकुमार गोयल :** ये तथ्य कब आये आपके सामने कि चोरी गया ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** मैंने कब कहा कि चोरी गया। मैंने तो डी. डी. टी. का लोस हुआ, यह बताया। पानी में बह गया या चोरी गया यह तो इन्क्वयरी से पता चलेगा।

**श्री अध्यक्ष :** जिन सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जांच हो रही है उनको चार्ज शीट दी गई तो चोरी के बारे में चार्ज शीट दी गई या नुकसान हुआ उसके बारे में चार्ज शीट दी गई ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** चार्ज शीट की कापी मेरे पास इस समय नहीं हैं। शोर्टेज हुई उसके लिये चार्ज शीट दी गई।

**श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : कौनसी तारीख को यह हुआ तो उस समय फ्रीजिंग बेलेन्स क्या था ?

**श्री अध्यक्ष :** श्री मानिक चन्द सुराणा

**नोहर तहसील में हरिजन परिवारों को जमीन**

९. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या नोहर तहसील में ६३–६४ व ६४–६५ में आरजी काश्त की जमीनें नियमानुसार तीसरे हिस्से की हरिजन परिवारों को अलॉट की गई हैं ?

(२) अगर नहीं तो क्यों नहीं ? नियम भंग करने वाले अधिकारी कौन थे ? उनके विरुद्ध उक्त नियम के भंग करने पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या अभी तक कोई कार्यवाही शुरू हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**राजस्व मंत्री (श्री कुम्भाराम आर्य) :** (१) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, १९५७ के अन्तर्गत आवंटन के लिये उपलब्ध भूमि की २५ प्रतिशत भूमि अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों में आवंटित करने हेतु आरक्षित रखने का प्रावधान है।

नोहर तहसील में सन् १९६३-६४ व १९६४-६५ में नियमों के अन्तर्गत हकदार सभी हरिजन प्रार्थियों को नियमानुसार भूमि आवंटित की गई है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता है।

**श्री मानिकचन्द सुराना :** क्या आप बता सकते हैं कि सन् ६३-६४ और ६४-६५ में कुल कितने व्यक्तियों को जमीन अलॉट की गई और उसमें कितने हरिजन प्रार्थी थे ?

**श्री कुम्भाराम आर्य :** जितने भी लोगों ने दरख्वास्तें दीं उन सब की जांच करा कर उन सब को भूमि अलाट कर दी गयी जिनकी दरख्वास्तें मंजूर कर दी गयी।

**श्री मानिकचन्द सुराणा :** कुल कितनी दरख्वास्तें आयीं और कुल कितनी बीघा भूमि

Page No. 12



(श्री मानिकचन्द सुराणा)
अलाट की गयी और उनमें से कुल कितने हरिजनों की दरख्वास्तें मंजूर की गयीं और कुल कितनों ने दरख्वास्तें दीं ?

**श्री कुम्भाराम आर्य** : हरिजनों के बारे में और भूमि के बारे में अध्यक्ष महोदय को जानकारी की इच्छा है तो अलग से मंगा दी जायेगीं।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : सारा प्रश्न ही ६३–६४ और ६४–६५ से सम्बन्धित है तो यह उम्मीद की जा सकती है कि कुल कितनी दरख्वास्तें आयी और उनमें से कुल कितने हरिजनों की दरख्वास्तें थी और उनमें से कुल कितनों की मंजूर हुई।

**उप-मंत्री, राजस्व (श्रीरामप्रसाद लड्ढा)**: १९६५–६६ में हरिजनों के ७४९ प्रार्थना पत्र आये और कुल ७४९ प्रार्थना-पत्र स्वीकार करके उनको भूमि अलाट कर दी गयी। ६४–६५ में ८८४ हरिजनों के प्रार्थना–पत्र आये और ८८४ को ही जमीन अलाट कर दी गयी। ६३–६४ में ८७९ दरख्वास्तें आयी उनमें से ७३८ दरख्वास्तें ही हकदारी कानून के अन्तर्गत मानी गयी इसलिये ७३८ को ही जमीन दी गयी। दो साल में जितनी दरख्वास्तें आयी उन सब को जमीन दे दी गयी।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : यह तो आप जरूर लीजिये। ६३–६४ में ८७९ दरख्वास्तें आयीं जिनमें ७३८ को ही मंजूर किया गया तो क्या आप बता सकते हैं कि बाकी को नामंजूर करने का क्या कारण था ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : वे ही कारण हो सकते हैं जो रूल्स में दिये हुये है।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : क्या मंत्रीजी स्पेसिफिक इन्सटान्स ध्यान में लाने पर जो भूमिहीन थे और हरिजन थे उनको जमीन मिली नहीं, तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिनके कारण से ऐसा हुआ ?

**श्री कुम्भाराम आर्य** : जरूर।

**श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई)** : जहां तक हरिजनों को जमीन के आवंटन का प्रश्न है हरिजनों को आवंटन तक पहुंचने में बहुत दिक्कतें हैं। पटवारी नम्बर नहीं देता है, तहसीलदार कोई सहयोग नहीं करता है मैं भी कमेटी का मेम्बर हूं मैं जानता हूं। दस परसेन्ट जमीन भी हरिजनों को वास्तविक तौर पर नहीं मिलती है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : माननीय अध्यक्ष जी, जिस तहसील का यह प्रश्न है वहां पर ७५ परसेन्ट उस साल में जमीन दी गयी है।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : मन्त्री जी तो कुछ कहें।

**श्री अध्यक्ष**: आपका सवाल बहुत भारी था।

**श्री केदारनाथ** : रिप्लाई दें उन पर १० नंबर लागू होना चाहिये।

**नान-एलिमेन्ट शरणार्थियों से जमीन की कीमत**

१०. **श्री केदार नाथ (गंगानगर)** : क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) भरतपुर व अलवर जिलों में नोन-क्लेमेन्ट शरणार्थियों से प्रति स्टेन्डर्ड-एकड़ कितनी कीमत वसूल की जा रही ?

(श्री केदारनाथ)

(२) गंगानगर के जिले में नोन-क्लेमेन्ट शरणार्थियों से प्रति स्टेन्डर्ड एकड़ कितनी कीमत वसूल की जा रही है ?

(३) क्या दोनों जगह नान-क्लेमेन्ट शरणार्थियों से ली जाने वाली कीमत में अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) :**

(१) १५० रु. प्रति स्टेन्डर्ड एकड़।

(२) ४५० रु० प्रति स्टेन्डर्ड एकड़।

(३) अलवर व भरतपुर जिले की निष्क्रांत कृषि भूमि जो गैर–दावेदार विस्थापित व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार ने अलॉट की थी उसको राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से एक करोड़ रुपये में खरीद ली है तथा उसकी कीमत राजस्थान लेन्ड रेवेन्यू परमानेन्ट अलॉटमेन्ट ऑफ इवेक्यू एग्रीकलचर लेन्ड रूल्स, १९६३ के नियम ५ की उप-धारा (२) के अनुसार १५० रु० प्रति स्टेन्डर्ड एकड़ के हिसाब से वसूल की जा रही है। श्री गंगानगर जिले में जमीन की कीमत ४५० रु० प्रति स्टेन्डर्ड एकड़ के हिसाब से केन्द्रीय सरकार वसूल कर रही है।

**श्री केदारनाथ :** यह कीमत कम करने का प्रश्न किस एग्रीमेंट के जरिये हुआ ?

**श्री अमृतलाल यादव :** इसमें कीमतें कम करने का प्रश्न नहीं। जो जमीन केन्द्रीय सरकार से खरीद ली थी उसके बारे में है। १५० रुपया स्टेन्डर्ड एकड़ का राजस्थान सरकार ले रही है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :** यह भेद-भाव की नीति गंगानगर जिले की जमीन के लिये क्यों बरती गई ? अलवर, भरतपुर की जमीन जो अलॉट की गई है उसी के आधार पर इनको भी १५० रुपया स्टेन्डर्ड एकड़ के आधार पर क्यों नहीं देती ?

**श्री अमृतलाल यादव :** यह जो जमीन अलॉट हुई है नोन क्लेमेन्ट इवेक्वीज को वह केन्द्रीय सरकार करती है। यह कीमतें उन्होंने ही फिक्स की हैं; इसके पास पंजाब का इलाका आता है और उन लोगों की यह मांग थी कि कीमतें तय कर ली जायं। यह कीमत जो इवेक्यू पूल में जाती और डिसप्लेस्ड परसन्स के रिहेबीलिटेशन के लिये दी जाती हैं उसमें हमेशा यह ख्याल रखा जाता है कि इवेक्यू पूल को नुकसान नहीं हो ! वहां के लोगों की मांग थी कि जमीन की कीमत तय कर दी जाय। जहां तक अलवर, भरतपुर की जमीन का सवाल है गंगानगर की जमीन इस इलाके की जमीन से ज्यादा कीमती और ज्यादा अच्छी है और लोगों की भी मांग थी। यह कीमत सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने तय की उसके लिये न लेने वालों को कोई ऐतराज था और न स्टेट गवर्नमेन्ट ने ही कोई ऐतराज किया। जिस प्रकार वे देते आये थे उसी प्रकार दी गई, इसलिये माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसका इससे ताल्लुक नहीं बैठता है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :** जहां तक स्टेन्डर्ड एकड़ का सवाल है वहां तो कीमतें एक ही होनी चाहिये ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** जहां तक प्राइसेज का ताल्लुक है, वह जमीन चाहे भरतपुर की हो, चाहे अलवर की, चाहे आसाम की हो, क्राइटेरिया सब जगह के लिये एक होना चाहिये। मेरा जानना यह है कि गंगानगर के इलाके के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों ?

# Page No. 14



**श्री अमृतलाल यादव** : यह भारत सरकार ने तय किया था उसी के तहत गवर्नमेन्ट द्वारा जमीन दी गई। हमने १५० रुपया तय किया इसीसे राजस्थान सरकार ने जमीन ली थी।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : स्टेन्डर्ड एकड़ का जहां तक सम्बन्ध है वह तो सब जगह के लिये समान है, शायद आपके दिमाग में यह बात हो कि आपके ख्याल से स्टेन्डर्ड एकड़ का साइज कहीं बढ़ जाता होगा। मेरी अर्ज यह है कि गंगानगर की जमीन की जो सरकारी रेट है वह आपका जो स्टेन्डर्ड एकड़ है वे दोनों रेट्स एक हैं। बल्कि आप वहां के लोगों से ४५० रुपया ब्याज का अधिक लेते हैं, केवल गंगानगर के आदमी को ४५० रुपया स्टेन्डर्ड एकड़ का अधिक नहीं देना पड़ा, बल्कि ६०० रुपया देना पड़ता है ?

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : माननीय मंत्री का स्टेन्डर्ड एकड़ शायद सीलिंग कानून से अलग होगा ?

**श्री अमृतलाल यादव** : स्टेन्डर्ड एकड़ सभी जगह एकसा है, चाहे वह अलवर हो, चाहे भरतपुर, चाहे गंगानगर, इर्रिगेटेड या अन-इर्रिगेटेड चाहें किसी प्रकार को लेन्ड हो। जहां तक कीमतें तय करने का सवाल है वह यह है कि राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से यह जमीन ले ली थी उसी के तहत राजस्थान सरकार ने कीमतें तय की।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : जिस प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा अलवर और भरतपुर जिले की जमीन को भारत सरकार से खरीदने की बात थी तो क्या उस समय जिस प्रकार गंगानगर जिले की जमीन के बारे में भारत सरकार से बातचीत की गई तो अलवर और भरतपुर की जमीन के बारे में गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को लिखा था या बातचीत की थी या राज्य सरकार ने इस प्रश्न को नहीं रखा ?

**श्री अमृतलाल यादव** : गंगानगर जिले की जमीन की कीमतों में कम करने का सवाल नहीं है, अलवर और भरतपुर जिले की जमीन के लिये जो १५० रुपया स्टेन्डर्ड एकड़ का रखा है उसको ज्यादा बढ़ाने का सोचा जा सकता है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यह तो आप सोच लेना। आपने मंत्री-पद संभाला है; आपसे हम यही आशा कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने भारत सरकार के सामने इस प्रश्न को रखा था कि इवेक्यू लेन्ड की प्रोब्लम अलवर और भरतपुर जिले में भी है, गंगानगर जिले में भी है। इन जिलों की जमीनों को कम रेट्स पर खरीदो और गंगानगर में नहीं खरीदो। क्या इस प्रकार की बात भारत सरकार के सामने आपने रखी थी या आपने पुट-अप ही नहीं की ?

**श्री अमृतलाल यादव** : राज्य सरकार के पास जो लोग आये उन लोगों की बात सुनकर गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से बातचीत की गई। गंगानगर जिले से लोग राज्य सरकार के सामने प्रोटेस्ट करने के लिये और राज्य सरकार को कहने के लिये नहीं आये कि कीमतें ज्यादा हैं, कम कर दो।

Page No. 15



**श्री रामानन्द अग्रवाल :** इसका मतलब यह हुआ कि सरकार खुद नहीं समझती, अगर कोई आन्दोलन या झगड़ा करके समझाता है तब सरकार के समझ में आती है। अलवर और भरतपुर में आन्दोलन हुआ तो वहां तो कम कर दी, गंगानगर के लोगों को आपकी अक्ल से उम्मीद थी कि आप न्याय करेंगे, लेकिन आपने नहीं किया, क्या यही कारण है ?

**श्री अमृतलाल यादव :** गंगानगर के किसान को इससे न कोई एतराज है, वह बराबर जमीन जोत रहा है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** इन ८० प्रतिशत किसानों ने अपनी किश्तों का ब्याज तक नहीं दिया, वे अदा नहीं कर सके। इमर्जेन्सी के कारण वे बोर्डर पर बैठे हुए हैं, अब उनको लार्ज स्केल पर इजेक्ट किया जा रहा है ?

**श्री अमृतलाल यादव:** इस प्रकार के लोग उनमें असन्तोष फैलाना चाहते हैं और उनमें डिस आर्डर पैदा करना चाहते हैं।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) :** अध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न पर इतना लम्बा समय ले लिया जायेगा ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** देवीजी ! इसके लिये एक लाख लोग एजीटेशन करने वाले हैं। गंगानगर इलाके के डेढ़ लाख लोग एजीटेशन करने वाले हैं। इन डेढ़ लाख में ७५ हजार महिलायें होंगी।

**श्री अध्यक्ष:** नेक्स्ट, श्री दयाचन्द सोन।

**स्कूल भवन के लिये अनुदान की राशि**

११. **श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु) :** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बारां पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत रटावद के ग्राम चुरेलिया में स्कूल भवन के लिये तहसील बारां से सन् ५८ में कितना रुपया अनुदान स्वरूप दिया गया था ?

(२) चुरेलिया ग्रामवासियों ने स्कूल भवन के लिये कितना रुपया चन्दा करके दिया था ?

(३) क्या यह सच है कि चुरेलिया ग्राम में अभी तक स्कूल भवन बन कर तैयार नहीं हुआ है तथा सरपंच रटावद ने स्कूल भवन की तमाम रकम को खर्च कर दिया है ?

(४) क्या यह सच है कि सरपंच रटावद ने स्कूल भवन की रकम खर्च करने के संबन्ध में चूने व पत्थर आदि की खरीद में एक वर्ष पूर्व का बिल पेश किया है जब कि आज तक वह माल नहीं आया है ? यदि हां, तो सरपंच के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(५) क्या उक्त सरपंच के विरुद्ध पहले भी ग्राम पंचायत कोष के दुरुपयोग किये जाने संबंधी कार्यवाही चल रही है ?

**पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :**

(१) २००० रु० अनुदान दिया गया था।

(२) २७४६.२२ पैसे नकद व श्रमदान के रूप में प्राप्त हुए।

(३) स्कूल भवन बनकर अब तक पूर्ण नहीं हुआ है। रकम जो अनुदान में दी गई व चन्दे से एकत्रित हुई खर्च हो चुकी है।

(४) जी नहीं। सरपंच ने ऐसा कोई बिल पेश नहीं किया अतएव उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(५) जी नहीं। अब कोई कार्यवाही नहीं चल रही है।

**श्री दयाचन्द सोन :** स्कूल बना ही नहीं, रकम किस चीज पर खर्च हो गई ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** स्कूल भवन बनाने पर खर्च हुई है।

**श्री दयाचन्द सोन :** स्कूल बिल्डिंग मुकम्मिल नहीं हुई, फिर खर्च कैसे हो गया ?

**श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) :** इस प्रश्न के खण्ड (४) के अन्दर पूछा गया कि रकम खर्च करने के संबंध में बिलपेश किया गया, तो हम यह जानना चाहते हैं कि स्कूल भवन के निर्माण का आरम्भ कब से हुआ था ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** मैंने अपने जवाब में कहा है कि ऐसा बिल पेश नहीं हुआ। यदि ज्यादा डिटेल्स में चाहते हैं तो अलग से पूछिये।

**श्री दयाचन्द सोन :** भाग ४ में स्पष्ट रूप से पूछा गया है।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** मैं निवेदन करूं ग्राम पंचायत रटावद के ग्राम चुरेलिया तहसील बारां में १९५८ में दो हजार रुपया दिया गया, उसमें से १४०० खर्च किया गया। जन सहयोग प्राप्त न होने के कारण बाकी का पैसा १९–३–५९ को जमा करवा दिया। उसके बाद जब जन–सहयोग प्राप्त हो गया तो ६०० रुपया पुनः पंचायत को मिल गया। उस पर ४,७०० रु० २२ पैसा खर्च होने के बाद भी अधूरा है।

**श्री कृष्णकुमार गोयल :** खण्ड ५ में जो बात कही गई कि उक्त सरपंच के विरुद्ध पहले भी ग्राम पंचायत कोष के दुरुपयोग किये जाने सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** मैंने निवेदन किया, यह प्रश्न पैदा नहीं होता। अब कोई कार्यवाही नहीं चल रही है। सरपंच द्वारा कोई बिल पेश नहीं किया गया, नियम विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई।

**श्री कृष्णकुमार गोयल :** इस सरपंच के खिलाफ जांच की थी, उसका क्या परिणाम रहा ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** इस मामले में कोई जांच नहीं हुई, न कोई सरपंच को चार्जशीट दी गई।

**श्री दयाचन्द सोन :** इस सरपंच के खिलाफ कितने और केसेज गबन आदि के हैं ?

**श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) :** मंत्री महोदय सदन में सही उत्तर नहीं दे रहे हैं और इस तरह से गुमराह करना ठीक नहीं है।

**श्री दयाचन्द सोन :** यह वही सरपंच है जिसके ऊपर चार-पांच केसेज चल रहे हैं और उसको चार्जशीट मिल गई थी, लेकिन चुनावों के दिनों में उसको स्टे ऑर्डर दे दिया था और बाद में उसको बरी कर दिया और अब भी मंत्री महोदय इस बात को छिपा रहे हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** मैंने जवाब दे दिया। अब गबन के कोई और केसेज हैं तो आप पूछिये, मैं जवाब दे दूंगा।

# Page No. 17



**श्री दयाचन्द सोन :** और भी क्या इस सरपंच के ऊपर गबन के आरोप हैं ?

**श्री जोधसिंह चौहान :** क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि मंत्री महोदय सही उत्तर नहीं दे रहे हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** किस बात की जांच चाहते हैं आप ? मैं कह रहा हूं कि कोई बिल पास ही नहीं किया गया।

**श्री दयाचन्द सोन :** मैंने पूछा है कि क्या इस सरपंच के ऊपर और भी गबन के आरोप हैं और इस संबंध में कार्यवाही चल रही है ?

**श्री जोधसिंह चौहान :** अध्यक्ष महोदय, हम बिल्डिंग को देख कर आये हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** और आरोप हो सकते हैं। आपने इस मामले का प्रश्न पूछा वह कोई आरोप नहीं है।

**एक माननीय सदस्य :** मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है। मामले पर कार्यवाही चल रही है।

**श्री दयाचन्द सोन :** फिर यह तो होता ही रहेगा।

**श्री अध्यक्ष :** श्री चन्द्रसिंह वर्मा।

**बिलाड़ा तहसील के ग्रामों की गोचर भूमि**

१२. **श्री चन्द्रसिंह वर्मा (बिलाड़ा) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) बिलाड़ा तहसील (जिला जोधपुर) के ग्राम पालड़ी सिद्धा, नानण, खारिया मीठापुर, बिलाड़ा उदलियावास, कालाड़ना और भावी में कितने एकड़ भूमि गोचर में रखी गई है ?

(२) क्या यह सही है कि गोचर के लिये भूमि रखने हेतु इन ग्रामों की ओर से प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार के विचाराधीन विगत ७-८ वर्ष से है और भूमि अलॉट नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्रामों के प्रार्थना-पत्र के बाद कई खसरा नम्बर तहसीलदार ने किसानों को आवन्टन कर दिये हैं जिससे गोचर के लिये सामूहिक क्षेत्र रहना दूभर हो गया है ?

(४) यदि हां, तो इस प्रकार ग्रामवासियों की मांग के बाद में आवन्टन की गई भूमि को गोचर हेतु रखने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

**राजस्व मंत्री (श्री कुम्भाराम आर्य) :** (१) ग्राम नानण खारिया मीठापुर, बिलाड़ा एवं उदलियावास में क्रमशः २००, ३९९ ४९४८ एकड़ भूमि चरागाह घोषित कर दी गई है। ग्राम कालाड़ना में भी गोचर भूमि की घोषणा हो चुकी है। ग्राम पालड़ी सिद्धा, उदलियावास में गोचर भूमि की घोषणा हेतु प्रस्ताव एस० डी० ओ०, बिलाड़ा के यहां विचाराधीन है।

ग्राम भावी में जिस भूमि को पंचायत गोचर घोषित कराना चाहती है, उस पर अतिक्रमियों का कब्जा होने के कारण चरागाह घोषित नहीं हो सके। बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।

(२) जी नहीं।

Page No. 18



(श्री कुम्भाराम आर्य)

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न पैदा नहीं होता।

**श्री चन्द्रसिंह बर्फा** : इस भूमि पर कब्जा कब से है ?

**श्री कुम्भाराम आर्य** : कोई निश्चित तिथि मेरे पास नहीं है।

**श्री चन्द्रसिंह बर्फा** : सन् १९५६-५७ में इस भूमि के लिए ए० डी० एम०, जोधपुर के पास काबिज हो चुका था और अभी तक निर्धारण नहीं हुआ है। उसके बाद में उन लोगों ने उस भूमि पर कब्जा कर लिया है जिससे वे महरूम हो रहे हैं। दूसरा पोइन्ट यह है कि कुछ ने कब्जा कर लिया और दूसरी भूमि सुरक्षित रख रहे हैं और गांव वालों की रकम लग गई है और वह मांग बराबर उनकी कानूनन है। क्या सरकार उस रकम को माफ करेगी ?

**श्री कुम्भाराम आर्य** : यह जांच करने की बात है।

**श्री जुझारसिंह (चेचट)** : चरागाह डिक्लेयर करने के पहले क्या गवर्नमेंट इसको देख लेती है कि उस भूमि पर जिसको वह चरागाह डिक्लेयर करने जा रही है किसी दूसरे व्यक्ति का या डिपार्टमेंट का कब्जा तो नहीं है ? क्योंकि अक्सर यह होता है कि दूसरे डिपार्टमेंट वाले उस जमीन को अपनी क्लेम करते हैं और वही जमीन राजस्व विभाग द्वारा चरागाह के लिए डिक्लेयर कर दी जाती है और बाद में झगड़े चलते हैं और उनका निपटारा नहीं होता ? क्या गवर्नमेंट इसको देखेगी कि चरागाह डिक्लेयर की जाने वाली जमीन राजस्व विभाग की है और दूसरे विभाग के कब्जे में नहीं है ?

**श्री कुम्भाराम आर्य** : इस बात को देखना तो है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं गलती हो जाती है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री तेजाराम गहलोत।

**पंचायत समिति, जैतारण का भवन**

१३. **श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) [श्री मोहन राज (बाली) द्वारा पूछा गया]** : क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही कि पंचायत समिति जैतारण, जिला पाली द्वारा पंचायत समिति का जो भवन बनवाया गया है उसकी हालत अभी से खराब हो गई है ?

(२) क्या यह सही है कि भवन निर्माण कार्य में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

**पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री** (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

**श्री मोहनराज** : क्या आपके विभाग ने इस भवन की जो हालत है उसके मुतल्लिक जांच करवाई है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : विकास अधिकारी पंचायत समिति जैतारण से रिपोर्ट ली और १५-१०-६२ को यह भवन पूरा हुआ

(श्री दामोदरलाल व्यास)
और उसके बाद में इसकी छत पर केवल ८० रुपये खर्च हुए हैं, बाकी सफेदी और रंगाई में और जितना खर्चा अमूमन होता है वही हुआ है।

श्री मोहनराज : मेरा प्रश्न यह है कि क्या किसी अधिकारी द्वारा आपने जांच करवाई है कि यह भवन ठीक बना है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तो जिस समय बना होगा उस समय जो पी०डब्लू०डी० के लोग हैं उन्होने देखा होगा, जांच की होगी। इस समय तो जांच कराने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

हिन्दी भाषा का प्रचार एवं प्रसार

१४. श्री श्रवणलाल (हिण्डोन-सु.): क्या भाषा विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार के हेतु उपस्थापित हिन्दी विभाग इस विषय में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी ठोस कार्य कर सकने में असमर्थ रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(२) यदि नहीं, तो उसने इस विषय में अभी तक क्या क्या कार्य तथा प्रकाशन किये हैं ? कृपया प्रकाशन सूची सदन की मेज पर रखें।

भाषा विभाग मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) नहीं।

(२) (अ) राज्य कर्मचारियों को हिन्दी शीघ्रलिपि और टंकण सिखाने के लिए विभिन्न स्थानों पर छः वर्ग चलाये जा रहे हैं।

(आ) करीब तीन सौ हिन्दी टंकण यंत्र विभिन्न विभागों को वितरित किये गये हैं।

(इ) अनुवाद शाखा स्थापित करके करीब २००० पृष्ठों के नियमों, उप-नियमों के हिन्दी रूपान्तर तैयार कर लिये गये हैं।

(ई) हिन्दी का काम करने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई।

(उ) हिन्दीकरण निर्देशिका, पदनाम कोष प्रकाशित किये गये हैं।

(ऊ) विभागों से वार्ता की जाकर उक्त हिन्दीकरण के लिए सब प्रकार की सहायता दी जा रही है और उनका मार्ग-दर्शन किया जाता है।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें सूची मांगी थी वह अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी, जिससे मैं आगे प्रश्नों को अच्छे ढंग से और सरलता से नहीं पूछ सकता।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो निर्देशिका छापी गई है और पदनाम कोष है, ये दोनों छाप दी गई हैं और यदि अवसर हुआ तो शायद मैं माननीय सदस्यों को इंटवा भी सकूंगा।

श्री श्रवणलाल : इस पर अब तक कितना व्यय हो चुका है, कृपया यह तो बतायें ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : यह तो अलग सवाल है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मथुरेशबिहारी माथुर।

**माधोगंज मण्डी में सरकारी दूकानें**

१५. **श्री मथुरेशबिहारी माथुर** (बांदीकुई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या बांदीकुई माधोगंज मण्डी में जो सरकारी दूकानें हैं उनके पुराने काबिज दूकानदारों को निर्धारित रकम पर बेचने के विषय में सरकार द्वारा कोई निर्णय हो चुका है? यदि हां, तो किन शरायतों पर बेची जावेंगी और कब तक?

**राजस्व मंत्री** (श्री कुम्भाराम आर्य) : जी हां, जिन शरायतों पर इन दूकानों को बेचे जाने या नीलाम किये जाने का निश्चय हुआ है उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार इन दूकानों के मूल्य का तखमीना लगा लिया जावेगा तब इनका निपटारा अति शीघ्र किये जाने का प्रयत्न किया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

**श्री मथुरेशबिहारी माथुर** : यह निर्णय कब हुआ और इस निर्णय के अनुसार क्या पी० डब्लू० डी० से इन शरायतों के तहत में उनका मूल्यांकन कराया जा चुका है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

**श्री कुम्भाराम आर्य** : कब हुआ, यह तो आदेश के अन्दर तारीख अंकित हो है।

**श्री मथुरेशबिहारी माथुर** : हमारे पास नहीं है, इसलिए पूछा है।

**श्री कुम्भाराम आर्य** : मेज पर रख दी गई है।

**श्री मथुरेशबिहारी माथुर** : मेरे पास जो कागज आया है और जो मेज पर रखा गया है उसमें तारीख नहीं है, इसलिए आप कृपया बता दीजिए कि कब निर्णय लिया और उसके मुताबिक मूल्यांकन अभी कराया गया है या नहीं, यदि नहीं, तो क्या कारण है?

**श्री कुम्भाराम आर्य** : आप ठीक कह रहे हैं, मेरे वाले में भी यही हालत है।

**श्री मथुरेशबिहारी माथुर** : तो आप किसी से पूछ कर बता दीजिए।

**श्री कुम्भाराम आर्य** : आपको नम्बर बता देता हूं; १३-११-६४......................

**श्री मथुरेशबिहारी माथुर** : तो इसके बाद में मूल्यांकन कराने के लिए पी० डब्ल्यू० डी० को लिखाया? इसके लिए कोई एस्टीमेट बनाया या नहीं?

**श्री कुम्भाराम आर्य** : पी० डब्ल्यू० डी० को लिख दिया गया है।

**श्री मथुरेशबिहारी माथुर** : आपके पास कोई निर्णय आ गया?

**श्री कुम्भाराम आर्य** : मामला सहायक इन्जीनियर दौसा के पास विचाराधीन है।

**श्री मथुरेशबिहारी माथुर** : एक साल के अन्दर कोई मूल्यांकन हुआ या नहीं? जब आपके समक्ष हर सदन में यह प्रश्न रख रहे हैं तो पिछली दफा भी यह कहा था कि निर्णय हो चुका तो उसके बाद में आज

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)
नवम्बर ६४ के बाद में अभी तक मूल्यांकन नहीं कराने के क्या कारण हैं ?

**श्री कुम्भाराम आर्य** : मैं माननीय सदस्य को शीघ्र ही संतोष कराने का प्रयत्न करूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

(१२ मध्याह्न)

**संस्कृत डाइरेक्टोरेट**

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य द्वारा चलने वाले संस्कृत के कुल स्कूल व कॉलेज कितने हैं ?

(२) संस्कृत डाइरेक्टोरेट कायम होने के बाद राज्य द्वारा चलने वाले संस्कृत स्कूलों व कॉलेजों में कितनी वृद्धि हुई ? इस डाइरेक्टोरेट पर वार्षिक व्यय कितना होता है ?

(३) क्या यह सही है कि संस्कृत डाइरेक्टोरेट के अधीन चलने वाले स्कूल इतने भी नहीं हैं कि जितने शिक्षा विभाग के अकेले अजमेर के इन्सपेक्टोरेट के नीचे हैं ?

(४) यदि हां, तो इतनी कम संस्थाओं के लिये अलग संस्कृत डाइरेक्टोरेट रखने की क्या आवश्यकता है ?

**शिक्षा मंत्री** (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) राज्य द्वारा चलने वाली संस्थाओं में ३ आचार्य स्तर की, १ शास्त्री स्तर की, ६ उपाध्याय स्तर के कॉलेज व २८ प्रवेशिका स्तर के विद्यालय हैं।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** : माननीय मंत्री जी जरा जोर से पढ़ें।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : इससे ज्यादा जोर से क्या पढ़ूं ? माइक जैसा काम कर रहे हैं वैसा ही तो सुनाई आएगा।

(२) संस्कृत संचालकालय कायम होने के बाद राज्य द्वारा चलने वाले संस्कृत स्कूलों व कॉलेजों में ८ की वृद्धि हुई है जिनमें ५ कॉलेज व तीन प्रवेशिका हैं। संचालक के कार्यालय का बजट एक लाख बारह हजार है व संस्कृत संचालकालय का कुल बजट १८ लाख है।

(३) यह सही नहीं है क्योंकि हाई स्कूलों व इससे ऊपर के स्तर की संस्थायें अजमेर के इन्सपेक्टर के अधीनस्थ मल्टीपर्पज व हायर सेकण्डरी स्तर की संस्थाओं से अधिक हैं।

(४) अजमेर इन्सपेक्टोरेट से संस्कृत डाइरेक्टोरेट की तुलना नहीं की जा सकती। अजमेर निरीक्षालय का कार्य निरीक्षण पर ही सीमित है, परन्तु संस्कृत डाइरेक्टोरेट का काम संस्कृत संस्थाओं के निरीक्षण के अलावा केन्द्रीय व राज्य सरकार की नीति जो कि संस्कृत और संस्कृति की उन्नति व उत्थान करने की है उस नीति को क्रियाशील करने की है। इस संचालकालय का कायम करने का उद्देश्य केवल संस्थाओं की संख्या बढ़ाना ही नहीं, अपितु उनके स्तर में समानता लाना, संस्कृत परीक्षाओं की अन्य परीक्षाओं से समकक्षता करवाना, जनता में संस्कृत के प्रति जन मानस तैयार करना, संस्कृत संस्थाओं का जनोपयोगी होने के लिए आधुनिकीकरण करना, उनकी दयनीय दशा को सुधारना शोध करवाना, विद्वानों को प्रोत्साहन देना, नवीन साहित्य का सृजन कराना। संस्कृत संस्थाओं में खेलकूद व शैक्षणिक प्रतियोग्यताएं आदि करवाना भी सम्मिलित

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

थे। अतः केवल संस्थाओं की संख्या पर संस्कृत डाइरेक्टोरेट की आवश्यकता को नहीं माना जा सकता।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत :** आपने जो इतने लम्बे चौड़े उद्देश्य बताए, तो क्या इनमें से दो-तीन में भी आपको सफलता प्राप्त हुई ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा :** संस्कृत की शिक्षा बढ़ी है।

**श्री अध्यक्ष :** श्री हरिराम धारू।

**उत्थान के लिये दी गई रकम पर ब्याज**

**१७. श्री हरिराम धारू (सिवाना-सु.):** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को विभिन्न प्रकार का ऋण इनके उत्थान और मदद के लिए दिया जाता है; जैसे तकावी, हाउसिंग लोन, कुंआ खोदने हेतु रकम आदि ?

(२) क्या यह सत्य है कि इन रकमों पर ब्याज भी लिया जाता है ?

(३) क्या सरकार अब इनके उत्थान हेतु इन्हें दी जाने वाली ऋण की रकमों पर ब्याज नहीं लेने का विचार करेगी ?

**उप-मन्त्री, वित्त (श्री चन्दनमल वैद) :** (१) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों के उत्थान और मदद के लिए विभिन्न प्रकार के अनुदान सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा दिये जाते हैं। इसके अलावा तकावी, गृह निर्माण, कुआं खोदने आदि के लिए जन साधारण को जो ऋण दिये जाते हैं वे इन लोगों को भी मिलते हैं और उसके लिए जो साधारण नियम हैं वे ही इन पर भी लागू होते हैं।

(२) ऋण की रकमों पर नियमानुसार ब्याज लिया जाता है, परन्तु लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग के अन्तर्गत दिये हुए उधार पर कम आय वाले व्यक्तियों को २५ प्रतिशत ब्याज अनुदान के रूप में दिया जाता है और यह सुविधा इनको भी मिलती है।

(३) राज्य सरकार का उपरोक्त सुविधा के अलावा ब्याज में अन्य छूट देने का कोई विचार नहीं है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :** यह जो लोन दिया जाता है शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को, वे लोग इसको वापिस नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनकी कैपेसिटी वापस देने की नहीं है; इसलिए इन कामों के लिए लोन के बजाय सब्सिडी दे राज्य सरकार, माननीय सदस्य की मंशा यह पूछने की है। इसके अलावा जो उनके पास जमीन होती है वह भी नीलामी में चली जाती है, क्योंकि जो रिकवरी होती है, उसमें पीनल इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता है। इसकी वजह से उनको इसके फायदे की बजाय हानि होती है। इसलिए क्या राज्य सरकार इस विषय पर सोचना चाहेगी कि उनको लोन की बजाय सब्सिडी दी जाय क्योंकि लोन वापिस करने की उनकी कैपेसिटी नहीं है।

**श्री चन्दनमल वैद :** ऐसा काम समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। वहां लोन के अलावा सब्सिडी भी देते हैं। लेकिन

(श्री चन्दनमल बैद)
जो लोन साधारण नियमों के अन्तर्गत दिया जाता है उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : यह सवाल नहीं है कि ऋण दिया जाता है या नहीं या सब्सिडी दी जाती है या नहीं। प्रश्न यह है कि उनकी ऋण वापिस करने की केपेसिटी नहीं है और जब टाइम पर लोन वापिस नहीं किया जाता है तो उनको नफे की बजाय नुकसान होता है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि जहां तक कुएं वगैरह के काम हैं इनमें लोन की बजाय सब्सिडी दे। उनके लिए ब्याज देना भारी पड़ता है और इसमें उनकी जमीन भी चली जाती है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री उम्मेदसिंह।

**श्री रामकिशन (वैर)** : अध्यक्ष महोदय, यह तो नीति सम्बन्धी प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर तो दिया जाना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : नीति सम्बन्धी प्रश्न प्रश्नोत्तरकाल में न उठाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। नीति सम्बन्धी प्रश्नों को बहस में बताया जा सकता है।

**श्री रामकिशन** : अध्यक्ष महोदय, हरिजन लोग आजकल उत्पादन में लगे हुए हैं। राज्य सरकार की यह नीति है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में उत्पादन बढ़ाया जाय, तो क्या इस संदर्भ में राज्य सरकार विचार करेगी कि इसकी वजह से जो हरिजनों की जमीनें चली जाती हैं जिससे वे पैदावार नहीं कर सकते तो क्या ब्याज वसूल न करने के बारे में सरकार विचार करेगी? यह बड़ी नीति का प्रश्न माननीय सदस्य ने रखा है।

**श्री हरिराम धारू** : माननीय अध्यक्ष महोदयजी, सरकार को मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वैसे तो हरिजनों की हालत पहले से ज्यादा बढ़िया है, अच्छी है। मगर उनका ब्याज माफ कर दिया जाय सरकार की तरफ से भीलों का, हरिजनों का जो काश्त वगैरह के लिए लोन लेते हैं लेकिन उसको वापिस नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से।

**श्री रामकिशन** : हरिरामजी गलत जगह बैठे हो, इधर (विरोधी पक्ष की ओर) बैठो।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर)** : मैं समझता हूं कि सरकार की जो भावना है वह तो विशुद्ध है। इन आदिवासी और हरिजनों को जो ऋण दिया जाता है, जैसा अभी माननीय सदस्य ने बताया कि उन्हें वापिस देने में तरह तरह की आपत्तियां आती हैं; मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को अनुभव है कि भला करने को सरकार जाती है, ऋण देती है और उसका परिणाम है भला होने की बजाय विपरीत रूप से बुरा होता है सरकार का इस बारे में क्या अनुभव है?

**श्री चन्दनमल बैद** : भला ही होता है, बुरा तो नहीं होता।

**श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद)** : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार विचार करेगी कि जो रकम इन हरिजन और आदिवासियों को दी जाती है और जिसको वे वापस स्टेट को री-पे करते हैं तो जिनकी री-पेमेंट करने की हालत नहीं है, उनको ब्याज को छूट कर

Page No. 24



(श्री गिरधारीलाल व्यास)
दी जाय जिससे उनको कुछ न कुछ तो राहत मिल सके।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई :** इसके साथ साथ उनकी जमीने तक नीलाम हो जाती हैं।

**राजस्व मंत्री (श्री कुम्भाराम ग्रार्य ):** जमीन नीलाम नहीं की जाएगी।

**श्री गिरधारीलाल व्यास :** मैंने ग्रापका ध्यान व्याज की तरफ दिलाया है कि व्याज की वजह से ही उनकी जमीनें वगैरह चली जाती हैं। समाजवाद की तरफ जाने का यह बड़ा कदम है कि लोगों का व्याज से छुटकारा होना चाहिए।

**श्री चन्दनमल वैद :** इसके बारे में जवाब दे चुका हूं।

**श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) :** माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, क्या राज्य सरकार के पास ग्रांकड़े मिल सकते हैं कि राज्य सरकार को कितना रुपया व्याज के रूप में मिलता है उनसे जिनको तकाबी कुम्रों ग्रादि के लिए लोन मिलता है उसके व्याज का।

**श्री चन्दनमल वैद :** ग्रांकड़े तो मिल सकते हैं, लेकिन तैयार कराने में टाइम लगेगा।

**श्री मोतीलाल चौधरी :** तैयार कराने का काम सरकार का है।

**श्री चन्दनमल वैद :** ग्रांकड़े इकट्ठे तो करने होंगे। ग्राप कह दें कि ग्रांकड़े बताग्रो तो ग्रभी तो मेरे पास नहीं हैं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) :** यह तो मोटी सी बात है। ६१ की सैंसस रिपोर्ट उठा कर देख लें तो उसमें भी ग्रांकड़े मौजूद हैं।

**श्री मोतीलाल चौधरी :** हम ग्राशा करते हैं सरकार से ग्रौर बजट से पहले ग्राशा करते हैं कि ग्राप बतायें हाउस को कि इतना रुपया इन्टरेस्ट के लेखे सरकार को मिलता है।

**वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) :** ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रगर प्रश्न ही इसके मुताबिक कर लेते तो ग्रांकड़े जमा करा लेते। इतना ग्राश्वासन मैं दे सकता हूँ कि ग्रांकड़े जमा कराने की कोशिश करेंगे। जब हो जायेंगे ग्रापको दे देंगे।

**श्री ग्रध्यक्ष :** श्री उम्मेदसिंह।

**श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) :** वित्त मंत्री जी ने तो मामले को ग्रौर उलझा दिया है। प्रश्न तो यह है कि व्याज माफ होना चाहिए।

**श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) :** ग्रध्यक्ष महोदय, एक रेगर का मामला है; छः दफा नीलाम कराया गया है, बेंगू के भोला रेगर का मामला है।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई :** यह सूची तैयार करवाई जाय कि कितनी प्रोपर्टी नीलाम हुई वसूली के सिलसिले में हरिजनों की। यह तो किया ही जाना चाहिए।

**श्री ग्रध्यक्ष :** श्री उम्मेदसिंह।

**राहे का रोग**

१८. **श्री उम्मेदसिंह (बाड़मेर) :** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राहे का रोग मरुस्थल में जहां हवा तेज व गर्म चलती है, वहां पर होता है?

(श्री उम्मेदसिंह)

(२) अगर हां, तो राष्ट्रीय राहे निरोधक योजना के अन्तर्गत बाड़मेर व जैसलमेर क्षेत्रों में कितना व क्या कार्य हुआ है? कृपया प्रगति रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या सरकार राष्ट्रीय राहे निरोधक योजना के अन्तर्गत बाड़मेर व जैसलमेर क्षेत्रों में जो कार्य हुआ, उससे संतुष्ट है?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास)

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री उम्मेदसिंह : मरुस्थल में नहीं होती है यह बीमारी, जैसा आपने 'जी नहीं' फरमाया?

श्री दामोदरलाल व्यास : ट्रिकोमा के कारणों में गरमी और चेंज हवा कारण नहीं हैं, इसका असर नहीं पड़ता। ट्रिकोमा के मुख्य कारणों में से कारण नहीं है। केवल धूर और धून के कणों का जाना सामान्य कारण हो सकता है। फिर राजस्थान में ट्रिकोमा का परसेन्टेज बाड़मेर में ३६ परसेन्ट ही है, जब कि दूसरे जिलों में ५६.२ और ६० और ९० परसेन्ट का है।

श्री उम्मेदसिंह : जहां निल परसेन्ट नहीं है, वहां कार्य आपने शुरू क्यों नहीं किया?

श्री दामोदरलाल व्यास : गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया इसका कार्यक्रम बनाती है। सीकर झुंझुनूं, जयपुर जिलों में यह काम पूरा हो चुका है। आगे और जिलों में इनकी इकाइयों को ट्रान्सफर किया है जैसे चूरू जिले में।

श्री उम्मेदसिंह : इस बीमारी के फैलने के लिये तेज हवा और रेगिस्तान होना चाहिये, सैंड और डेजर्ट होना चाहिये; जैसा आपने फरमाया तो फिर बाड़मेर तो सैंडी और डेजर्ट एरिया है?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने उल्टा समझ लिया। मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि ट्रिकोमा की बीमारी वालों को मिलिटरी में भरती नहीं करते और आज जिन इलाकों में ट्रिकोमा का ज्यादा जोर है वह इलाका मिलिटरी में भरती होने वालों का सबसे अधिक है। तो क्या इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार विशेष तौर से उन इलाकों में इस बीमारी के फैलाव को रोकने का प्रयत्न करेगी?

श्री दामोदरलाल व्यास : ट्रिकोमा के जो डॉक्टरों के यूनिट हैं वे एक इलाके में अपना काम पूरा कर चुके हैं; अब वे बाड़मेर जैसे इलाकों की तरफ शिफ्ट करेंगे अपने कार्यक्रम के मुताबिक। उनका कार्यक्रम भारत सरकार तय करती है।

श्री उम्मेदसिंह : नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या जैसलमेर, बाड़मेर को इन्क्लूड किया जावेगा?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये भारत सरकार को लिखेंगे।

**केशवरायपाटन तहसील में नाजायज कब्जों की भूमि**

१९. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): [श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) द्वारा पूछा गया]: क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि केशवराय पाटन तहसील का अधिक भाग चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में शामिल किया गया है?

(२) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में चम्बल व मेज नदी के दर्रो-बरडों को किसानों के द्वारा काबिल काश्त बनाया जा रहा है जो ट्रेसपासर के रूप में दर्ज हैं?

(३) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर जो हजारों एकड़ है, चम्बल की नहरों का पानी नहीं पहुंच पायेगा, किन्तु वह भूमि प्रोजेक्ट एरिया में शामिल कर ली गई है, और कोलोनाइजेशन विभाग के द्वारा उनसे भूमि की रकम वसूल करने की कार्यवाही की गई है?

(४) केशवराय पाटन चम्बल क्षेत्र के अन्तर्गत कितने किसान ट्रेसपासर हैं, जिनसे कोलोनाइजेशन के अन्तर्गत जुर्माना तथा भूमि की रकम वसूल की जा रही है?

(५) क्या यह सही है कि पंचायत समिति पाटन, जिला परिषद् बूंदी ने यह मांग की है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर नहरें नहीं पहुंच सकेंगी प्रोजेक्ट क्षेत्र से बाहर किये जावें तथा उक्त भूमि पर ट्रेसपासर किसानों को भी अन्य किसानों की भांति जमीन दी जाय?

(६) यदि हां तो क्या राज्य सरकार इस बारे में विचार करना उपयुक्त समझती है?

राजस्व मंत्री (श्री कुम्भाराम आर्य)

(१): जी हां।

(२) यह सही है कि मेज नदी व चम्बल नदी के दर्रों-बरडों को किसानों द्वारा काबिल-काश्त नहीं बनाया जा रहा है। बल्कि उन दर्रों-बरडों के बीच समतल भूमि पर अनधिकृत रूप से काश्त करने वालों को ट्रेसपासर की तरह दर्ज किया गया है।

(३) चम्बल कमान्ड में हजारों एकड़ भूमि ऐसी है जहां पर चम्बल की नहरों का पानी नहीं पहुंचता है। परन्तु भाग (२) के उत्तर में वर्णित ट्रेसपासर्स के विरुद्ध सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा धारा ९१ राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत आदेश संख्या एफ ३ (४५) राज बी ६० दिनांक १।१।६० की रोशनी में कार्यवाही की जा रही है।

(४) तहसील के पाटन में लगभग १३४० ऐसे काश्तकार हैं जो ट्रेसपासर्स की तारीफ में आते हैं और उनके विरुद्ध भाग (३) में वर्णित कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

(५) जी हां।

(६) जिला परिषद् बूंदी के कथित सुझाव के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं मन्त्री महोदय का प्रश्न के खण्ड (३) की ओर, और यह जानना चाहता

# Page No. 27



(श्री कृष्णकुमार गोयल)
हूं कि वे स्थान जो बिल्कुल दरड़े-बरड़े हैं और जिनमें नहरी पानी भी पहुंचने की कतई सम्भावना नहीं है तो क्या सरकार ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भी, चूंकि केवल वह चम्बल कमाण्डेड एरिया में आगया है, वही नीति अपनाना चाहती है जो अन्य भूमि के सम्बन्ध में है जिसमें कि नहर का पानी बराबर जाने की सम्भावना है या जाता है ?

श्री कुम्भाराम आर्य : ऐसा नहीं है। अन-कमाण्ड जो भूमि है उसको अन-कमाण्ड की तरह से ही देखा जाता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह सारी भूमि चम्बल कमाण्ड एरिया में ले ली गई है, पर उसमें भी जो दरड़े बरड़े है, जहां पर टेल के द्वारा भी पानी पहुंच नहीं सकता है। उसको भी चम्बल कमाण्ड एरिया में रोक रखा है, इसलिये उस पर काबिज लोगों को ट्रेसपासर डिक्लेअर किया है और इजेक्टमेन्ट की कार्यवाही की जा रही है, जब कि होना यह चाहिये कि इस सर्कूलर के तहत उनको रेगुलराइज किया जावे ? क्या इस पर सरकार गम्भीरता से सोच रही है ?

श्री कुम्भाराम आर्य : यह प्रोजेक्ट एरिया की भूमि है और जो कमाण्ड है वह तो कमाण्डेड कहलाती है और जो अनकमाण्ड है वह अनकमाण्ड कहलाता है और इन दोनों को दो तरह से डील किया जाता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वही मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह ऐरिया जो दरड़े बरड़े हैं जहां नहर का पानी पहुंच नहीं सकता, पर गलती से जिसे चम्बल कमाण्ड एरिया में ले लिया गया है, तो इसलिये क्या सरकार दुबारा इस दृष्टि से विचार करेगी कि अन्य जगहों पर जिस तरह से ट्रेसपासर नहीं समझे जाते और उनको एडजस्ट कर लिया जाता है उस तरह से यहां भी काश्तकारों को एडजस्ट किया जावेगा; क्या सरकार इस पर विचार करती है ?

श्री कुम्भाराम आर्य : पानी चूंकि वहां नहीं पहुंचता इसीलिये उसे अनकमाण्डेड मानकर डील कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि हजारों एकड़ ऐसी जमीन है जहां पानी नहीं पहुंचता, फिर भी उसे कमाण्डेड एरिया में गिनते हैं, क्या यह सही है ?

श्री कुम्भाराम आर्य : अनकमाण्डेड गिनते हैं।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : फिर वहां काबिज काश्तकारों को ट्रेसपासर क्यों गिना जाता है ?

श्री कुम्भाराम आर्य : सब अनकमाण्डेड एरिया में हैं, न कि चम्बल कमाण्डेड एरिया में।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि नक्शे में तो बता दिया गया है, पर वास्तविक स्थिति में वहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है; तो या तो उसे कमाण्डेड एरिया में से निकाल दिया जावे या फिर वहां पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जावे।

श्री कुम्भाराम आर्य : यह प्रोजेक्ट एरिया में है, न कि कमाण्डेड एरिया में और पानी नहीं पहुंचता है इसलिये तो अनकमाण्डेड एरिया में है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण कर देता हूँ। जो लैंड कमाण्ड प्रोजेक्ट एरिया में है वह दो तरह की जमीन हो सकती है; एक तो वह जो कि नहर के पानी से सिंचित होती है, दूसरी वह जो नहर के पानी से सिंचित नहीं होती है। इन दोनों जमीनों की सेल प्राइस भी इसलिये भिन्न भिन्न है। जो नहरी पानी से सिंचित नहीं होती उस जमीन की सेल प्राइस नोमिनल है। क्योंकि उस कमाण्डेड एरिया के बीच में आ जाने से चाहे उस तक पानी नहीं भी पहुँचता हो, इसलिये लैंड की वैल्यू में थोड़ा एप्रिसियेशन (वृद्धि) है और नामीनल प्राइस रखते हैं और वह नामीनल प्राइस भी इसलिये रखते हैं कि वह कमाण्डेड एरिया में होने पर भी चूंकि उसमें पानी नहीं जा सकता और जो इजेक्टमेन्ट की बात करते हैं, उस बारे में वास्तव में, शायद मालूम नहीं है सदस्यों को, कि जैसा हमने प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया कि १-४-६० के सरकूलर के अन्तर्गत कार्यवाही कर रहे हैं, तो वह सरकूलर इस बात का है कि जिन लोगों ने वहां नाजायज कब्जा कर लिया है, उनको किस सीमा तक देय कर दिया जावे रेगुलराइज कर दिया जावे, खातेदारी के अधिकार दे दिये जावें। यह सरकूलर इस बात का है और उसके अन्तर्गत जितनी फाइलें सेक्शन ६१ में चल रही हैं उनकी रोशनी में जांच करने की कार्यवाही है जिनमें यह डिफ्रेंसियेशन है कि जिस पर पानी नहीं पहुँचता उसकी कीमत क्या हो और जिस पर पानी पहुँचता है उसकी कीमत क्या है।

श्री कुंजबिहारी गोयल : मैं यह जानना चाहता हूँ कि १-४-६० के सरकूलर की लाइट में जो कार्यवाही वहाँ चल रही है इजेक्टमेंट की, उसके लिये सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दे दिये हैं क्या कि वे इजेक्टमेंट पर कोई निर्णय न लें जब तक कि इस सरकूलर के तहत कार्यवाही न हो जाय?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार ने तो निर्णय ले लिया। अब तो निर्णय की तामील की जा रही है। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि यह निर्णय लिया गया है कि १५ एकड़ या लैंडलैस किसान को तो २५) रु. तक राजस्व लेकर रेगुलराइज कर दिया जाये, रेगुलराइज कर दिया जावे और वे रेगुलराइज भी हो रहे हैं। अब यह हो सकता है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास पहले से ही सौ बीघा या अधिक जमीन है और उन्होंने भी वहां नाजायज कब्जा कर लिया हो तो वह इससे कवर नहीं होता है सरकूलर में; तो उनके खिलाफ तो इजेक्टमेन्ट की कार्यवाही की जायगी।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : सवाल तो यह है कि २५) से भी यह रेट कम होनी चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अब इसमें यह सवाल उठाया कि कमाण्ड में नहीं है या है तो कमाण्ड में आने न आने का सवाल यहां नहीं है। हो सकता है कि दो तरफ के खेतों में पानी जाता हो, पर बीच के खेत में नहीं जाता। तो पानी न जाने से ही उस खेत को कमाण्ड में से निकाल दें तो यह सही नहीं है। इनकी रेट में डिफ्रेंसियेशन कर दिया है। राजस्थान, भाखरा, गंग कैनाल में भी बारानी का रेट अलग है और कैनाल में सिंचित की रेट अलग है। उसी के आधार पर कमाण्ड एरिया में है।

श्री जुझारसिंह (चित्तड़) : बहुत से एरिया ऐसे हैं जिनमें लिफ्ट का प्रोवीजन है पर यह अभी बाद की बात है, उनको भी कमाण्ड एरिया में मानकर कि अल्टीमेटली तो वहां भी लिफ्ट से सिंचन होने वाला है रेट में अन्तर नहीं रखा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री जुझारसिंह : ऐसे इलाके भी हैं, करीब एक लाख एकड़ होंगे, जो लिफ्ट से इरिगेट होंगे, तो क्या उन पर अभी से उन पर वही रेट होगी ? उनकी रेट में अन्तर नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

भीलवाड़े में शराब की दूकानें

१. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या भीलवाड़े में १९६५ में शराब की दूकानों के ठेके नीलाम किये गए थे ? यदि हां तो ठेके से किस-किस दूकान का कितना कितना रुपया मिला ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा खास में धानमंडी की दूकान का ठेका ४० हजार का होने से किसी को ठेका नहीं दिया गया और सरकार ने अपनी तरफ से दुकान खोली ? यह सरकारी दूकान कितने दिन चली ? हर रोज की बिक्री क्या थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि सरकारी दूकान को कुछ दिन बाद बन्द कर किसी ठेकेदार को यह दूकान ठेके पर दे दी गई ? यदि हां, तो ठेका किस ठेकेदार को कितने में दिया गया ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) यह सही नहीं है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

निलम्बित पटवारी

३. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) उदयपुर, भीलवाड़ा तथा चित्तौड़ जिले के कितने पटवारी अभी निलम्बित किए हुए हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। ये कितने कितने अर्से से निलम्बित हैं ?

(२) एक कर्मचारी अधिक से अधिक कितने अर्से तक निलम्बित रह सकता है तथा इनमें कितने पटवारी हैं जो नियम विरुद्ध अधिक समय तक निलम्बित रह चुके हैं ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

# Page No. 30



(श्री राजस्व मन्त्री)

(२) सामान्यतया एक पटवारी को ६ माह से अधिक समय तक निलम्बित नहीं रखा जाना चाहिए।

६ माह से अधिक समय से निलम्बित पटवारियों की संख्या ५ है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

**यौगिक चिकित्सा केन्द्र, बापूनगर**

४. श्री उदयलाल दहिया (लमाड़िया): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार की जानकारी में है कि योगिक चिकित्सा केन्द्र, बापूनगर जयपुर, में मधुमेह जैसे रोग का इलाज ७० प्रतिशत केसेज में सफलतापूर्वक किया गया है और अन्य कई राज्यों के रोगी यहां इलाज कराते हैं और यह केन्द्र भारत भर में प्रसिद्ध हो चुका है?

(२) क्या यह भी सरकार के ध्यान में है कि इस केन्द्र में रोगियों के बेड्स, पीने व नहाने का पानी भवन चिकित्सा-सामग्री, रोगियों की खुराक, स्टाफ आदि की पर्याप्त एवं उचित व्यवस्था नहीं है? यदि हां तो इसकी पूर्ति के लिए क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

**उत्तर**

(१) जी हां,

(२) जी हां, केन्द्र में अभी केवल २० रोगी-शैया का प्रबन्ध है। पानी की कमी दूर करने की व्यवस्था की जा रही है। चिकित्सा सामग्री खुराक और स्टाफ की वर्तमान में कोई कमी नहीं है।

**अतारांकित प्रश्नोत्तर**

**ग्राम पंचायत कनेरा में पीने के पानी की व्यवस्था**

१. श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम पंचायत कनेरा पंचायत समिति निम्बाहेड़ा द्वारा ग्राम कनेरा में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु क्या कदम उठाया गया है?

(२) क्या यह सही है कि इस वर्ष पानी कम बरसा है और उक्त क्षेत्र में कूओं में पानी नहीं है?

**उत्तर**

(१) ग्राम कनेरा में इस समय १० आदर्श पनघट हैं।

(२) वर्षा के अभाव में सिंचाई के कूओं में पानी की कमी रही है। पीने के पानी के कूओं में पानी का इतना अभाव नहीं कि पानी से वंचित रहना पड़े।

**प्राइमरी हेल्थ सेन्टर, नगर और सीकरी डिस्पेन्सरी में डाक्टर की व्यवस्था**

२. श्री मजलिस खां (कामां): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि नगर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर और सीकरी डिस्पेन्सरी में काफी समय से डाक्टर नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार दोनों स्थानों पर शीघ्र ही डाक्टरों की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि

Page No. 31



(श्री मजलिस खां)

हां, तो यह व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

जी नहीं। नगर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर (जिला भरतपुर) में डॉक्टर पी. एन. खण्डेलवाल दिनांक २८-८-६५ से एवं प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, सीकरी (जिला भरतपुर) में डाक्टर इन्द्रजीतसिंह मालूजा दिनांक ४-१२-१९६५ से कार्य कर रहे हैं।

**कामां, पहाड़ी और सीकरी डिस्पेंसरीज में मोरचरी भवन का निर्माण**

३. श्री मजलिस खां–(कामां) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कामां, पहाडी और सीकरी डिस्पेन्सरीज के हैड क्वार्टर्स पर मोरचरी नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन स्थानों पर मोरचरी भवन निर्माण कराने की योजना रखती है ?

उत्तर

जी हां। डिस्पेन्सरी में मोरचरी निर्माण के लिए राज्य सरकार विचार कर रही है एवं कामां पहाड़ी डिस्पेन्सरी के मोरचरी के निर्माण पर चौथी योजना में धन राशि उपलब्ध होने पर विचार किया जावेगा।

**पंचायत समिति दूदू द्वारा अखबारों का पेमेन्ट**

४. श्री अमरसिंह (दूदू) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति दूदू ने सन् ६४-६५ में कौन कौन से अखबारों का पेमेन्ट किया ?

(२) क्या यह सही है कि अमर ज्योति अखबार का पेमेन्ट बिना स्वीकृति के ही हुआ है ?

उत्तर

(१) हिन्दुस्तान, राष्ट्रदूत, हिन्दुस्तान टाइम्स, हिन्दुस्तान साप्ताहिक, धर्मयुग अमरज्योति एवम् प्रौढ़ शिक्षा आदि समाचार-पत्रों का भुगतान किया गया है।

(२) जी नहीं।

**हायर सैकेन्डरी स्कूल सेवाड़ी (पाली) में कामर्स और विज्ञान की कक्षाएं**

५. श्री मोहनराज (पाली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम सेवाड़ी (जिला पाली) में हायर सैकण्डरी स्कूल तक पढ़ाई हो रही है, पर विज्ञान तथा कॉमर्स की पढ़ाई की व्यवस्था न होने से ही स्थानीय विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ता है ?

(२) क्या यह सही है कि स्थानीय पंचायत ने इस संबंध में राज्य सरकार को अनेक बार प्रार्थना-पत्र दिये हैं ?

(३) क्या राज्य सरकार आगामी सत्र से इस विद्यालय में कॉमर्स और विज्ञान की कक्षाएं प्रारम्भ करेगी ताकि पिछड़े व आदिवासी वर्ग की गरीब जनता लाभ उठा सके ?

उत्तर

(१) जी हां, परन्तु सेवाड़ी हायर सेकेन्डरी स्कूल में विज्ञान तथा कॉमर्स विषय पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है।

(श्री शिक्षा मन्त्री)

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं। छात्र संख्या कम होने के कारण सम्भव नहीं प्रतीत होता है ?

**तहसीलदार सलूम्बर के विरुद्ध हुई शिकायतों पर की गई जांच का परिणाम**

६. श्री उदयलाल वर्दिया (लमाड़िया): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की तहसील सलूम्बर के तहसीलदार श्री सतगुरुचरण माथुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं, पक्षपात, राजनैतिक पार्टियों में से एक पार्टी विशेष को समर्थन देने व दूसरी पार्टियों के विरुद्ध प्रचार करने की शिकायतें जिलाधीश महोदय, उदयपुर को पेश हुई हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या उनकी जांच हो गई ? यदि हां, तो जांच का क्या नतीजा रहा और किस अधिकारी ने कहां कहां कब कब जांच की व कितने कितने व्यक्तियों के बयान हुए और शिकायत करने वाले व्यक्तियों को कहां कहां शरीक नहीं किया गया ?

**उत्तर**

(१) माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य एवं अन्य लोगों ने जिलाधीश उदयपुर को सलुम्बर के तहसीलदार श्री सतगुरुचरण के विरुद्ध कुछ शिकायती प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत पेश किये।

(२) जी हां, प्रारम्भिक जांच के आधार पर कुछ आरोपों के सम्बन्ध में 'नियमित जांच के लिए राजस्व मण्डल ने परगना अधिकारी सलूम्बर को विभागीय जांच अधिकारी नियुक्त किया है और वे अभी जांच कर रहे हैं।

**महिला समाज कल्याण बोर्ड की शाखा-पंचायत समिति, गोविन्दगढ़**

७. श्री नरसीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति गोविन्दगढ़ (अलवर) में एक महिला समाज कल्याण बोर्ड की शाखा है ? अगर हां, तो उसकी कार्यकारिणी के कौन कौन से सदस्य हैं ?

(२) क्या उस क्षेत्र का एम०एल०ए० भी उसका सदस्य है ?

(३) क्या उपरोक्त समाज कल्याण बोर्ड की शाखा के पास एक जीप भी है ? सन् ६२-६३ में कितनी मील यात्रा जीप द्वारा की गई है ?

(४) इस शाखा के अधीन कितने सैन्टर हैं और उनमें क्या क्या कार्य होता है ?

**उत्तर**

(१) पंचायत समिति गोविन्दगढ़ क्षेत्र में समाज कल्याण बोर्ड की एक शाखा है। कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सूची मेज पर रख दी गई है।

(२) श्री गोकुलचन्द एम०एल०ए० इस क्षेत्र की ओर से समिति के सदस्य हैं।

(श्री समाज कल्याण मंत्री)

(३) जी हां, १९६२-६३ के सत्र में कुल ५,८२९ किलोमीटर जीप का उपयोग किया गया है।

(४) गोविन्दगढ़ योजना में निम्न ८ केन्द्र हैं:—

(१) गोविन्दगढ़ (२) बडोदामेव (३) लीली (४) लक्ष्मणगढ़ (५) मौजपुर (६) खोरा (७) हरसाना (८) सायपुर पाखर—प्रत्येक केन्द्र पर निम्न प्रकार का कार्य किया जाता है:—

(१) बालबाडी शिक्षा (२) महिला उद्योग (३) समाज शिक्षा व सांस्कृतिक कार्य-क्रम (४) प्रसूति-सेवायें और औषध वितरण (५) ग्राम-भ्रमण एवं अन्य सदुपयोग, सहयोग आदि।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

(१२.२० म. प.)

**स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था**

**कुछ स्थगन प्रस्ताव हैं।**

(विराम)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया ने राज्य के तीन-चौथाई हिस्से में अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी संबंध में श्री मानिकचन्द सुराणा ने खाद्यान्न की उपलब्धि के संबंध में एक स्थगन–प्रस्ताव की सूचना दी है। श्री मुरलीधर व्यास ने बीकानेर जिले में अकाल की स्थिति और राहत कार्यों के अभाव के सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। इन तीनों के स्थगन प्रस्तावों को मैं स्वीकार नहीं करता हूं. लेकिन इनके साथ ही सरकार ने जो एक रिपोर्ट बनाकर भेजी है, खाद्य की स्थिति के बारे में और राज्य में जो अकाल की स्थिति है उसके संबंध में, या तो बजट के दौरान किसी समय या यदि माननीय सदस्य चाहें तो विशेष रूप से आप सबसे बातचीत करने के बाद इस पर चर्चा करने की व्यवस्था की जा सके; इसलिये मैं चाहता हूं कि स्थगन प्रस्ताव न होकर विशेष रूप से चर्चा की जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

माननीय सदस्य, श्री कृष्णकुमार गोयल ने कोटा की स्ट्रॉ बोर्ड फैक्ट्री बन्द हो जाने से मजदूरों में बेकारी की स्थिति पैदा हो रही है इस संबंध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसको प्रस्तुत करने की अनुमति तो मैं नहीं देता, लेकिन फिर भी यह महत्वपूर्ण प्रश्न होने के नाते श्रम मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि जितना जल्दी हो सके एक वक्तव्य देकर स्पष्टीकरण करने की कोशिश करें।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय सदस्य श्री उमरावसिंह और श्री मानिकचन्द ने दी–राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के बारे में। कुछ इस बारे में विचार प्रश्नोत्तर काल में हो गया था, यदि माननीय सदस्य इस पर और बहस उठाना चाहें तो इसके लिये अवसर उनको कई मिलेंगे; इसलिये इसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

माननीय सदस्य श्री मानिकचन्द सुराणा ने मई ६४ के पूर्व विद्याविनोदनी परीक्षा के संबंध में कुछ छात्राएं हैं उनको बी. एस. टी. सी. परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी; इस संबंध में सोचने के लिये स्थगन

(श्री अध्यक्ष)
प्रस्ताव की सूचना दी है, इसको मैं स्वीकार तो नहीं करता हूं लेकिन क्योंकि उन्होंने बताया है कि ४०० लड़कियां इससे संबंधित हैं और उन पर इसका प्रभाव पड़ता है इसलिये मैं शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में एक वक्तव्य शीघ्रातिशीघ्र देने की व्यवस्था करें।

माननीय सदस्य श्री मुरलीधर व्यास ने बिजली की दर बढाने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह इतने महत्व का नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित करके इस पर चर्चा की जाय। इस संबंध में चर्चा करने के और भी अवसर आयेंगे।

एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना श्री मानिक चन्द सुराणा और श्री उमरावसिंह ढाबरिया ने दी है जिसका संबंध ताशकंद फैसला और फौजी स्थिति से है। मैं उपयुक्त नहीं समझता कि इस विषय में हमारे सदन में चर्चा हो; इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : इसमें सिर्फ राजस्थान की स्थिति के बारे में ही कहा गया है; हमारी सीमा के बारे में है, हमारी कितनी चौकियां खाली हो चुकी हैं और सिविल ऑथोरिटीज को ये चौकियां मुहैया हो चुकी हैं या नहीं इस बारे में राज्य सरकार के वक्तव्य की अपेक्षा है क्योंकि इस संघर्ष में राजस्थान की बहुत लम्बी चौड़ी सीमा प्रभावित थी। हमारी २३ चौकियां उनके कब्जे में गई थीं, इस बारे में रक्षा मंत्रीजी ने लोक सभा में बयान दिया था; उस बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या ये २३ चौकियां हमारे कब्जे में फिर आ गई हैं और सिविल ऑथोरिटीज ने संभाल ली हैं; इस पर वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य ने बताया, जहां तक हमारी सीमा का सवाल है उससे यह प्रस्ताव संबंधित है, इस पर वक्तव्य किया जाय तो मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो भी कार्यक्षेत्र हैं, राज्य सरकार उसको ध्यान में रखते हुए यदि उपयुक्त समझें तो बोर्डर के बारे में एक वक्तव्य दें।

माननीय सदस्य श्री नाथूलाल करोल ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना क्रूड ऑइल के अभाव से काश्तकारों को दिक्कत हो रही है, उसका जिक्र करते हुए दी है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन यह समस्या केवल इस क्षेत्र की ही नहीं है, सारे राजस्थान की है, इसलिये संबंधित मंत्री, खाद्य और कृषि मंत्रीजी या उद्योग मंत्रीजी इस बारे में वक्तव्य दें तो स्थिति स्पष्ट हो जायगी।

**सुरक्षा कानून के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्तियों सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव**

ऐसे स्थगन प्रस्तावों की सूचना माननीय सदस्य श्री रामानन्द अग्रवाल और श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने दी है और एक अन्य प्रस्ताव श्री रामकिशन, श्री केदारनाथ श्री हांडा, श्री विट्ठल, श्री आनन्दसिंह और श्री हीरा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है; हमारे राज्य में जो सुरक्षा कानून के अन्तर्गत व्यक्ति नजरबन्द किये गये हैं उनके सम्बन्ध में है और विशेषतौर से श्री मोहन पूनमिया ने भूख हड़ताल की है उसके बारे में कई बातों का हवाला देते हुए प्रश्न

(श्री अध्यक्ष)

उठाये हैं। मैं समझता हूं यह प्रश्न गम्भीर प्रश्न है क्योंकि सुरक्षा कानून के अन्तर्गत कार्य करना एक बहुत ही असाधारण स्थिति में होता है। कितने व्यक्ति हिरासत में रखे गये, कितनों को पेरोल पर छोड़ा गया कितनों को अलाउन्स देते है, नहीं देते हैं भविष्य में सरकार की क्या नीति है, इस संबंध में यदि मुख्य मंत्री जी किसी उपयुक्त समय में सारी व्यवस्था को बताते हुए वक्तव्य दे दें तो उचित बात होगी। इस विश्वास के साथ में इन दोनों प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में यह निवेदन करना है कि श्री मोहन पूनमिया २१ जनवरी से भूख हड़ताल पर हैं बीकानेर जेल में २१ फरवरी से भूख हड़ताल पर हैं और उनकी स्थिति बहुत चिन्ता-जनक है। जहां तक डी. आई. आर. की तहत जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनके बारे में प्रश्न है। अखिल भारतीय लेवल पर इसकी चर्चा सारे देश में आज हो रही हैं और लोक सभा के सामने यह प्रश्न आया है कि अब इमरजेन्सी कायम रहनी चाहिये या नहीं। जिस इमरजेन्सी के कायम रहने के कारण इन माननीय सदस्यों के जो मौलिक अधिकार हैं वे सस्पेन्डेड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि देश में इमरजेन्सी की स्थिति नहीं है तो सस्पेन्ड नहीं कर सकते और ऐसे समय में ये लोग गिरफ्तार रह नहीं सकते। अभी जो हालत है उसमें ये लोग रेमेडी सीक नहीं कर सकते। एक स्टेटमेन्ट अभी छपा है जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के तीन भूतपूर्व चीफ जस्टिसेज के दस्तखत हैं और उन्होंने इस बात की मांग की है कि अब इमरजेन्सी कायम रहना ठीक नहीं है। लोक सभा में होम मिनिस्टर के वक्तव्य के बाद इस प्रकार की स्थिति के बारे में कुछ राज्य सरकारों ने कदम उठाया है। गुजरात में डी. आई. आर. के जो कैदी थे जहां तक जानकारी मिली है, सब को रिहा कर दिया है। केरल में भी पहली किश्त के रूप में उनको छोड़ा है। इस बारे में जो श्री मोहन पूनमिया की मांग है वह सीधी सी है या तो रिहा करो या उन पर मुकदमा चलाओ। इस संबंध में इसके साथ साथ ६ मांगें उनकी और हैं फेमिलि अलाउन्स आदि के बारे में हैं। इस बारे में मैं उम्मेद करूंगा कि मुख्य मंत्री जी या तो आज या कल सवेरे गवर्नमेन्ट का निर्णय लेकर उन्हें निर्णय घोषित करना चाहिये अधिक समय नहीं लगाना चाहिये क्योंकि श्री मोहन पूनमिया को भूख हड़ताल पर होते हुए ८ दिन हो चुके हैं। उनकी स्थिति गंभीर है। मैं समझता हूं कोई कारण नहीं रहता है जब कि पड़ोसी और स्टेट्स ने इस कदर कदम उठाया है तो राजस्थान में उनको रिहा क्यों नहीं किया जाय। जब कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को इस प्रकार का आश्वासन देना पड़ा हैं कि इमरजेन्सी की स्थिति को कायम रखा जाय या न रखा जाय इस पर विचार करेंगे।

देश के इतने महत्वपूर्ण व्यक्तियों की इस बारे में राय है, जब कि खुद लॉ मिनिस्टर, श्री ए० के० सेन ने लोक सभा में इसका विरोध किया है, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को इन तमाम संदर्भों में इन तमाम लोगों को रिहा कर देना चाहिए ताकि मोहन पूनमिया की भूख हड़ताल समाप्त हो सके और उनके जीवन को बचाया जा सके।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कोटा स्ट्रॉ बोर्ड फैक्ट्री का एक मजदूर तारीख पच्चीस से अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गया है। और यह जो कोटा स्ट्रॉ बोर्ड फैक्ट्री है यह तारीख २५-१-६६ से बन्द कर दी गई है। और इसके लिए जो एक महीने का नोटिस दिया गया है वह नोटिस बिल्कुल इन्वेलिड है। इसमें कोई कारण नहीं बताया गया है कि फैक्ट्री क्यों बन्द करनी पड़ रही है। आज स्थिति है कि १५-१-६६ से लगाकर आज तक वहां की यूनियन के प्रतिनिधि श्रम मंत्री से, मुख्य मंत्री से और इन्टक के नेताओं से जयपुर में मिल चुके हैं; लेकिन उनको आज तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है रोजाना इसके कारण वहां पर स्थिति बिगड़ रही है। फैक्ट्री के बन्द होने के कारण इसके मजदूरो में ही रोष हो, ऐसा नहीं है; बल्कि जितनी भी इन्डस्ट्रीज की यूनियन हैं वह भी दिन प्रतिदिन इस फैक्ट्री के मजदूरों की सहानुभूति में प्रदर्शन कर रही है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार मौन रह कर जो रूप धारण कर रही है कि नाटकीय ढंग से स्थिति को देखती रहे और मजदूर अपनी स्थिति में रह कर सब कुछ स्थिति को ठीक करें। मैं समझता हूँ कि इस खतरनाक स्थिति में सरकार को मौन नहीं रहना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन कारणों से फैक्ट्री बन्द कर दी गई हैं उसकी जांच करने के लिए तुरन्त सब कागजों को सीज कर लिया जाय और फिर वास्तविक स्थिति की जांच की जाय। यह जांच की जाय कि क्या फैक्ट्री की आर्थिक स्थिति इस प्रकार की है कि वह आगे फैक्ट्री नहीं चला सकते। जहां तक मेरी जानकारी है, इस फैक्ट्री को भिन्न भिन्न प्रकार से सरकार ने रुपया दिया है, सरकार के इस फैक्ट्री में शेयर्स हैं, सरकार ने इस फैक्ट्री को लोन दिया है और इस फैक्ट्री को फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन द्वारा रुपया दिया गया है और उस सब रुपये का फैक्ट्री द्वारा दुरुपयोग किया गया है। इस फैक्ट्री के बोर्ड के जो एक डाइरेक्टर हैं मोहनलाल, उन्होंने रुपयों का गबन किया है। इसलिए सरकार मजदूरों को उनके रहम पर नहीं छोड़े, जो लेबर लॉज हैं उनके रहम पर ही मजदूरों को छोड़ देना ठीक नहीं है। इस सम्बन्ध में सरकार को मजबूत स्टेप लेना चाहिए और मजदूरों को राहत दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा सरकार को निवेदन है कि क्योंकि इसमें सरकार का काफी रुपया लगा हुआ है इसलिए सरकार स्वयं ही क्यों नहीं इसको उठा लेती।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : कब उत्तर मिलेगा इसका ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** (कृषि मंत्री) : आ जायगा एक–दो दिन में।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर अधिक से अधिक कल मिलना चाहिए, क्योंकि भूख हड़ताल को आठ दिन हो चुके है। इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी बताएं कि वे कब उत्तर देंगे।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सम्भव होगा तो कल और नहीं तो परसों तक इसके बारे में जो स्थिति है उसकी जानकारी सदन के सामने रख दूंगा।

# Page No. 37



**श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, हमको मालूम पड़ा है कि उनकी जनरल कन्डीशन खराब हो गई है इसलिए उनको हॉस्पीटल में ट्रान्सफर कर दिया गया है।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : अभी जेल मिनिस्टर साहब यहां नहीं है, इसलिए मैं लैटेस्ट पोजीसन के बारे में नहीं कह सकता लेकिन जहां तक मुझे जानकारी मिलती रही थी उसके अनुसार ऐसी कोई चिन्ताजनक स्थिति नहीं है।

**श्री रामकिशन** : अध्यक्ष महोदय, जेल मिनिस्टर नहीं हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, सरकार तो है।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : लैटेस्ट पोजीशन तो उनके सामने आने वाली बात होती है।

**श्री रामकिशन** : यहां मुख्य मंत्री तो बैठे हैं।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : उनके अनुसार स्थिति चिन्ताजनक नहीं है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : जो प्रश्न, अध्यक्ष महोदय. ....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य। इस सम्बन्ध में सब बोले, यह आवश्यक नहीं है।

(१२:३४ म०प०)

**राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक**

**श्री अनोपसिंह** (सचिव, विधान सभा) : महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा द्वारा गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :

(क) राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक:—

(१) राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी तथा वैधकरण उपबन्ध) विधेयक, १९६५.

(२) राजस्थान हकशफा विधेयक, १९६२.

(ख) राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक—

(१) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६५.

(२) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५.

(३) राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६५.

(४) राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६५.

(५) राजस्थान विनियोग (संख्या ५) विधेयक १९६५.

(६) राजस्थान सिविल कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक, १९६४.

**श्री अध्यक्ष** : अध्यादेश ! श्री बृजसुन्दर शर्मा।

**सदन की मेज पर रखे गये अध्यादेश**

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ (अध्यादेश सं० ५ सन् १९६५) को सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री बालकृष्ण कौल** (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय,..........

**श्री नाथूराम मिर्धा** (कृषि मंत्री): आप बाद में।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-गृहादि (किराया-नियंत्रण तथा बेदखली) (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ (अध्यादेश संख्या ६, सन् १९६५) को सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री बालकृष्ण कौल** (वित्त मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ (अध्यादेश सं. ७ सन् १९६५) को सदन की मेज पर रखता हूं।

**अध्यक्ष महोदय,**........

**श्री नाथूराम मिर्धा**: एक ही।

**श्री बालकृष्ण कौल**: नहीं, दो हैं।

**श्री नाथूराम मिर्धा**: अभी बाद में आयेगा। जो मैं कहूं वही करें।

**श्री रामकिशन** (वैर): यह आज्ञा प्रदान की जाय।

**श्री दामोदरलाल व्यास** (आबकारी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आबकारी कर (संशोधन) अध्यादेश, १९६६ (अध्यादेश सं० १, सन् १९६६) को सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री नाथूराम मिर्धा**: दूसरा भी रखें।

**श्री दामोदरलाल व्यास** (पंचायत मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन)........

**श्री रामकिशन**: इसकी आज्ञा प्रदान नहीं की जाय।

**श्री दामोदरलाल व्यास**: अध्यादेश, १९६६ (अध्यादेश सं० २, सन् १९६६) को सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री रामकिशन**: इसको घर में ही रखलो।

**श्री दामोदरलाल व्यास**: आप ले जाना।

**श्री रामकिशन**: हमारी और आपकी बात इस पर होगी।

**श्री दामोदरलाल व्यास** (देवस्थान मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) अध्यादेश, १९६६ (अध्यादेश सं. ३, सन् १९६६) को सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री बालकृष्ण कौल** (वित्तमंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) अध्यादेश, १९६६ (अध्यादेश सं० ४, सन् १९६६) को सदन की मेज पर रखता हूं।

(१२.३५ म० प०)

**सदन की मेज पर रखी गई अधिसूचनाएं**

**श्री भीमसिंह** (उप-मन्त्री, यातायात): मैं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम, १९५१ की धारा ३ (२) के अन्तर्गत, गृह–ख–विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:—

(१) अधिसूचना संख्या एफ० १ (६) (४३) गृह–ख–१।६४, दिनांक १७

(श्री भीमसिंह)

दिसम्बर, १९६४ जिसके द्वारा यूनाइटेड नेशन्स फूड एण्ड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को गाड़ियों को पंजीयन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है; तथा

(२) अधिसूचना संख्या एफ० १ (१) (११) गृह—ख—१।६५, दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६५ जिसके द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर की मोटर गाडी संख्या आर० एस० एल० ४०६० को कर के भुगतान से, दिनांक १—१—६६ से ११—१२—६६ तक, मुक्त किया गया है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** ( उप-मन्त्री, राजस्व ) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की को मेज पर रखता हूं:—

(१) अधिसूचना संख्या एफ० ७(६७) सिंचाई।६० दिनांक २१ जून, १९६० जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल सिंचाई परियोजना क्षेत्रस्थ मण्डियों में भूमि का विक्रय) नियम, १९६० प्रकाशित किये गये हैं,

(२) अधिसूचना संख्या (२४) इरिगे (६२) दिनांक १०—८—१९६२ जिसके द्वारा राजस्थान कोलोनाइजेशन (भाखड़ा प्रोजेक्ट. .

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाजार, जयपुर) : इतनी देर से क्यों ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : I will say something about first four items.

**श्री रामकिशन** : जो मुख्य चीज है वह अंग्रेजी में कहेंगे और बाकी हिन्दी में कहेंगे।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : हिन्दी में।

(गवर्नमेंट लेण्ड्स अलॉटमेंट एण्ड सेल) रूल्स, १९५५, राजस्थान कोलोनाइजेशन (चम्बल प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लैंड्स अलॉटमेंट एण्ड सेल्स) रूल्स, १९५७ तथा राजस्थान कोलोनाइजेशन (मीडियम एण्ड माईनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट) रूल्स, १९५७ में संशोधन किये गये हैं।

(३) अधिसूचना सं० एफ० ७ (४०) इरीगे। ६३ दिनांक ४ अक्टूबर, १९६३ जिसके द्वारा राजस्थान भू—राजस्व (मंडियों में भूमि का विक्रय) नियम, १९५७ में संशोधन किये गये हैं,

(४) अधिसूचना सं० एफ० ७ (४४) इरीगे।६३, दिनांक ४ अक्टूबर, १९६३ जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल सिंचित परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत मंडियों में भूमि विक्रय) नियम, १९६० में संशोधन किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, इन चारों मामलों में काफी देरी हुई है—यह स्क्रुटिनी से अभी मालूम हुआ, इनकी कॉपी यहां नहीं भेजी गई थी, इसलिए सदन में देरी से प्रस्तुत की हैं। इसके लिए मैं खेद प्रगट करता हूं।

(५) अधिसूचना संख्या एफ० १ (१४५) राज।उप। ६५, दिनांक १२।१८ मार्च, १९६५ जिसके द्वारा चम्बल परियोजना द्वारा सिंचित कृषि-भूमि के मूल्यों की शृंखलाएं संशोधित की गई हैं,

(६) अधिसूचना संख्या एफ० ७ (१०८) इरीगे। ६० कोलो। दिनांक १२ अप्रैल, १९६५ जिसके द्वारा पुनर्वास अधिकारी, माही सिंचाई

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

योजना बांसवाड़ा को भूमि प्रवाप्ति अधिकारी नियुक्त किया गया है,

(७) अधिसूचना संख्या एफ० ७ (४४) इरीगे। ६४ कोल। दिनांक १८ मई, १९६५ जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल सिंचाई परियोजना क्षेत्रस्थ मंडियों को भूमि का विक्रय) नियम, १९६० में संशोधन किये गये हैं;

(८) अधिसूचना संख्या एफ० ६ (मिसलेनियस) आर. ए.। ६५ दिनांक २९ जुलाई, १९६५ जिसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व बोर्ड) नियम, १९५५ में संशोधन किये गये हैं;

(९) अधिसूचना संख्या एफ० २ (३३) राज। उप। ६५ दिनांक २ सितम्बर, १९६५ जिसके द्वारा सचिव, भाखड़ा मंडी विकास समिति को भाखड़ा मंडी विकास क्षेत्रों में सरकारी भूमि के अनधिकृत कब्जे की बेदखली सम्बन्धी कार्यवाही करने के लिये तहसीलदार की शक्तिओं का प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है;

(१०) अधिसूचना संख्या एफ० ४ (४) राज। उप। ६४ दिनांक १०।१५ सितम्बर १९६५ जिसके द्वारा भाखड़ा उपनिवेशन आरक्षित क्षेत्र (अस्थायी कृषि पट्टे) शर्तें, १९६५ प्रकाशित की गई हैं, तथा

(११) अधिसूचना सं० एफ० ३ (६३) राज। उप। ६५ दिनांक १४ सितम्बर, १९६५ जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल सिंचाई परियोजना क्षेत्रस्थ मंडियों में भूमि का विक्रय) नियम, १९६० में संशोधन किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व 'ग' विभाग की अधिसूचना संख्या एफ० २ (२) रेव। ५४ दिनांक २५ अगस्त, १९६५ जिसके द्वारा राजस्थान साहूकार नियम, १९६५ प्रकाशित किये गये हैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १९९ (२) अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखता हूँ।

(१२.४० म० प०)

**सदन की मेज पर रखे गये अधिनियम**

**श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) :** अध्यक्ष मोहदय, मैं कृषि उपज विपणि अधिनियम, १९६१ की धारा ६५ (५) के अन्तर्गत, राजस्थान कृषि उपज विपणी नियम, १९६३ को सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** यह हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया उसके बाद रख रहे हैं।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** इसको रखना बहुत जल्दी चाहिए था और रखना जरूरी था, लेकिन सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन के सामने यह मामला था उन्होंने यह नियम भी मंगा लिये थे इसलिये उन्होंने यह देखा कि ये कागज चले गए हैं इसलिये इसमें यह गलती रही है।

**मंत्रियों के लिये आचार संहिता की (प्रति सदन की मेज पर रखना)**

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) :** अध्यक्ष महोदय मैं मंत्रियों के लिये आचार संहिता (कोड ऑफ कन्डक्ट फोर मिनिस्टर्स) की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

**एक माननीय सदस्य :** अब तक नहीं थे क्या ?

(१२.४१ म. प.)

**पुरः स्थापित विधेयक**

(क) राजस्थान भू-गृहादि (किराया—नियन्त्रण तथा बेदखली) (संशोधन) विधेयक, १९६६

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री) :** अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू गृहादि (किराया-नियन्त्रण तथा बेदखली) (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करता हूं। मैं अध्यादेश, १९६५ जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

(ख) राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६

**श्री बृजसुन्दर शर्मा (शिक्षा मंत्री) :** अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करता हूं।

**श्री रामकिशन (वैर) :** आपको प्रेक्टिस तो बहुत रही है और बहुत अच्छी रही है, पैसा भी खूब कमाया है। आपकी आवाज तो जोर की होनी चाहिए।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा :** मैं राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करता हूं।

मैं अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

(ग) राजस्थान आबकारी कर (संशोधन) विधेयक, १९६६

**श्री दामोदरलाल व्यास (आबकारी मंत्री) :** अध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान आबकारी कर (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरः स्थापित करता हूं। अध्यादेश जारी करने के कारणों को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

(घ) राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६६

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरः स्थापित करता हूं।

(ङ) नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, १९६६

अध्यक्ष महोदय, मैं नाथद्वारा मंदिर (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरः स्थापित करता हूं।

अध्यादेश जारी के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) :** यह गजट में प्रकाशित हुआ है क्या ? नहीं हुआ है तो आपको क्या मालूम रहती है ? राज चलाते हो या मौज करते हो।

**श्री रामकिशन (वैर) :** अध्यक्ष महोदय, यह पंचायत वाला है वह तो किसी को भी नहीं मिला है सिवाय जिलाधीश भरतपुर के। अगर किसी को मिला हो तो वे माननीय मंत्री बतावें।

**श्री अध्यक्ष :** इसके बारे में और भी कई बातें कहनी पड़ेगी। अभी तो आपने एक बात बताई है और भी कई बातें बतावेंगे।

**श्री रामकिशन :** अध्यक्ष महोदय, यह हमारे अधिकारों का हनन किया गया है। यह बहुत गंभीर बात है।

# Page No. 42



**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** अगर यह गजट में प्रकाशित नहीं हुआ हो.......

**श्री दामोदरलाल व्यास :** बहुत समय पहले हो गया।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** कौनसी तारीख को हुआ है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** तारीख मेरे पास नहीं है, न नम्बर है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** मैं देखना चाहता हूं कि आप काम करते हैं या केवल बातों में हीं रहते हैं।

(१२.४४ म. प.)

**राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय हुई घटनाओं विषयक प्रस्ताव एवं उन पर वाद-विवाद।**

**श्री अध्यक्ष :** २६ फरवरी, १९६६ को राज्यपाल महोदय जब माननीय सदस्यों के सम्मुख अभिभाषण दे रहे थे उस समय घटनाओं के सम्बन्ध में कुछ प्रस्तावों की सूचना मेरे पास आई है। एक प्रस्ताव श्री रामप्रसाद लड्ढा का है जो माननीय सदस्यों को वितरित कर दिया गया है। दूसरा महारावल श्री लक्ष्मणसिंह और श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, इन दोनों माननीय सदस्यों ने दिये हैं; वे भी माननीय सदस्यों को वितरित कर दिये गये हैं।

इस घटना के संबंध मे माननीय सदस्य श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री नत्थीसिंह, श्री विठ्ठल भाई, श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, श्री केदारनाथ और श्री मानिकचन्द सुराणा, इन माननीय सदस्यों ने इस घटना के सम्बन्ध मे एक विशेषाधिकार के रूप में एक प्रस्ताव की सूचना मेरे पास भेजी है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य मुझ से मिले भी थे और उस सम्बन्ध में वे मुझे कुछ बताना चाहते थे कि किन परिस्थितियों में ये घटनाएं हुई। क्योंकि निश्चित तौर से उनसे कोई बात नहीं हो सकी और वे इस विषय में और कुछ कहना चाहते है ऐसा मुझे कहा गया है। इसलिये इस प्रश्न पर में अभी कोई अपना निर्णय नहीं देना चाहता और आवश्यकता हुई तो मैं अपना निर्णय इस विषय मे दूंगा।

जहां तक अन्य प्रस्तावों का प्रश्न है एक सुझाव मेरे पास भेजा गया है जो प्रस्ताव महारावल श्री लक्ष्मणसिंहजी और श्री सतीशचन्द्र ने रखा है उस पर पहले बहस की जावे और उसके पश्चात् दूसरे, प्रस्ताव पर बहस की जावे एक तो यह है और एक यह है कि दूसरे प्रस्ताव पर पहले बहस हो और पहले मतदान दूसरे प्रस्ताव पर हो और उसके पश्चात् एक पर हो। यह परिस्थिति है। अगर वे ठीक समझें तो पहले प्रस्ताव दो पर बहस कर ली जावे और उसके पश्चात् दूसरे पर की जावे। या दोनों को साथ ही ले लिया जावे।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, इसके पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि दो प्रस्ताव.......

**श्री अध्यक्ष :** वे प्रस्ताव बहुत लेट आये थे इसलिये उन पर कुछ नहीं हो सकता। यदि माननीय सदस्य को इतनी उत्सुकता थी तो समय पर प्रस्ताव दे सकते थे।

**श्री मुरलीधर व्यास :** अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य। आप जल्दी दे सकते थे। अब कुछ नहीं हो सकता। श्री रामप्रसाद लड्ढा।

# Page No. 43



**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : अध्यक्ष महोदय, परसों, तारीख २८-२-६६ को जिस समय राज्यपाल महोदय इस विधान सभा को संदेश देने के लिये यहां पर आये, उनके संदेश देने के समय इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने उनके प्रति जो ऐसा अनैतिक और अभद्र व्यवहार किया और निरन्तर हमराय होकर इस बात का प्रयत्न किया गया कि वे किसी तरह इस संदेश को सुना नहीं सकें जो वैधानिक है·······

**श्री मुरलीधर व्यास** : जो "अनैतिक" शब्द कहा गया है उसमें मैं नहीं समझ पाया कि आपकी उससे क्या मंशा है? नैतिक, अनैतिक जो भी आप चाहें कहें, ठीक है, अलग तरीके की व्याख्या की है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : इसको क्या व्याख्या होती है, मुझे मालूम नहीं।

**श्री मुरलीधर व्यास** : आप इसकी व्याख्या करके बतावें।

**एक माननीय सदस्य** : हिन्दी की डिक्सनेरी देखकर बतावें।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य स्वयं बोलना चाहें तो उस समय बोल सकते हैं····

**श्री मुरलीधर व्यास** : यह अनपार्लियामेन्ट्री है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : जो कुछ परसों हुआ वह अन-पार्लियामेंट्री है। जो उत्तरदायित्व विधान ने उनको संदेश देने का दिया उनसे महरूम रखना और माननीय सदस्यों को वे अपना भाषण नहीं सुना सके। यह दुनिया की जम्बूरियत के इतिहास में पहला समय है जबकि देश के वैधानिक हैड के साथ अनैतिक व्यवहार किया गया और माननीय सदस्यों के आचरण से दुनिया की जम्बूरियत के सामने हिन्दुस्तान का सिर नीचा हुआ है और हिन्दुस्तान के सामने राजस्थान का सिर नीचा हुआ। मुझे मालूम नहीं कि माननीय सदस्य जो इसके लिये उत्तरदायी हैं वे भी ऐसा महसूस करते हैं या नहीं। सदन के सभी माननीय सदस्य ऐसा महसूस करते हैं कि जो कुछ परसों घटना हुई, वह हमारी डेमोक्रेसी की जड़ को कमजोर करने वाली है। हमने अपने देश में जनतान्त्रिक पद्धति को अपनाया है और हम इसको जल्दी से जल्दी मजबूत बनाना चाहते हैं। यदि हमें डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना है तो हमें विचार करना पड़ेगा और निर्णय करना होगा कि स्वस्थ परम्पराएं हों और उनको हम निभाएं। और जो माननीय सदस्य, या कोई भी हो, ऐसी परम्पराओं को निभाने में असमर्थ रहते हैं, या परम्पराओं का जानबूझ कर उल्लंघन करते हैं, उन्हें महसूस कराया जाय कि वे इस प्रकार की परम्पराओं से इस प्रकार की कार्यवाहियों से प्रजातन्त्र की जड़ों को खोखली करते हैं और इसके लिए उनको ताड़ना दी जाय, उन्हें ऐसा महसूस कराया जाय की ऐसी घटनायें घटती हैं तो सदन की शक्ति में है उनको ऐसा करने से रोकें। इसलिए मैंने सदन के सम्मुख जो प्रस्ताव दिया है वह इस प्रकार है :

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जोहरी-बाजार, जयपुर) : कौन से रूल के अनुसार?

# Page No. 44



**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : बहस होगी तब बता दूंगा····

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : वह रूल बता दीजिये, नहीं तो मैं पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाऊंगा।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : अभी रूल बताने का अवसर नहीं है। दूसरे यह है कि यह सब्स्टेन्टिव मोशन है जिसकी अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी है। अध्यक्ष महोदय की अनुमति के बाद उसकी एडमिसिबिलिटी का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उठाया जा सकता है····

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : इसके बाद···

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय उप-मंत्री महोदय ने एक प्रश्न सदन के सामने रखा है कि जिस प्रस्ताव के बारे में अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी, उसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में कोई ऐतराज नहीं उठाया जा सकता। इस सदन में कई अमेंडमेंट आये हैं, कई बातें समय समय पर आई हैं जिनको अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया, उन पर एड्मिसिबिलिटी के प्रश्न उठाये गए हैं, एड्मिसिबिलिटी का प्रश्न उठाने का सदन को अधिकार है। तो यह जो गवर्नमेंट का कन्टेशन है यह बिलकुल रोंग है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है उसके खिलाफ एड्मिसिबिलिटी का प्रश्न उठाने का अधिकार हमें है या नहीं?

**श्री अध्यक्ष** : किसी चीज की व्यवस्था एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठा कर कि इस बात पर अमुक अधिकार आपको हैं या नहीं, चाहें तो नहीं की जा सकती। आप कोई चीज उठायेंगे तो उस समय कहा जायगा कि आपको अधिकार है या नहीं। यह थ्योरिटिकल है इसलिए आपके पोइन्ट ऑफ ऑर्डर को अस्वीकार किया जाता है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल २७९ की तरफ दिलाता हूं।

"The Speaker may himself, or on a point being raised or on a request made by a member, address the House at any time on a matter under consideration in the House with a view to aid members in their deliberations, and such expression of views shall not be taken to be in the nature of a decision".

डिसिज़न न हो पर डेलिबरेशन के सम्बन्ध में जो व्यवस्था दी है, मैं यह मान कर चलता हूं कि सरकार का कन्टेशन गलत है। और एड्मिसिबिलिटी के सम्बन्ध में इस प्रकार की आपत्ति उठा सकते हैं। जो संविधान की धारा २०८ के अनुसार नियम इस सदन ने स्वीकार किये हैं उनके नियम २९१ और २९२ की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस सम्पूर्ण सदन की कार्यवाही चाहे वह एक्शन लेने का सवाल हो, चाहे बैठने का सवाल हो, चाहे सदन की सारी कार्यवाही चलाने का सवाल हो सदन

# Page No. 45



(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में कोई कानून पास करने का सवाल हो, चाहे किसी संकल्प के पास करने का सवाल हो, चाहे सदस्यों को नियन्त्रित करने का प्रश्न हो, उनके सस्पेन्शन या विथड्राअल का सवाल हो, इस प्रकार की सम्पूर्ण व्यवस्था के बारे में नियमों में पूर्ण व्यवस्था की गई है। इन सारे नियमों की वही सैंक्टिटी है जो कि हमारे संविधान की है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि "withdrawal and suspension of members" इस प्रकार का हेडिंग है रूल्स का, किन स्थितियों में सदन के माननीय सदस्यों को विथड्रा करना होगा किसके अधिकार से माननीय सदस्यों को इस सदन से सस्पेन्ड किया जा सकता है, वह अधिकार किस प्रकार किस के द्वारा काम में लाये जायं इस सब की रूल २९१ व, २९२ में व्यवस्था है। जब तक इन नियमों को सस्पेन्ड नहीं किया जाता।

**श्री निरन्जननाथ आचार्य** (उप-मंत्री, गृह): ग्रोन ए पोइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर सर······

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**: There can be no point of order when there is already a point of order.

**श्री निरन्जननाथ आचार्य**: मैं खड़ा हूं इसलिए माननीय सदस्य बैठें, यह भी दूसरा पाइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**: अध्यक्ष महोदय, एक पोइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर यह है कि एक सदस्य खड़ा हो तो दूसरे माननीय सदस्य खड़े नहीं हों I am in possession of the House and Hon. Minister will have to sit down and will have to listen to me.

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह नगर): This is a point of disorder.

**श्री निरंजननाथ आचार्य**: हैहै करने से कॉन्स्टीट्यूशनल इश्यू सोल्व नहीं होते, मेरा पोइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर यह है कि एक पाइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर माननीय सदस्य ने उठाया था वह डिस्पोज ग्रॉफ हो गया ग्रौर माननीय सदस्य बिना पोइन्ट ग्रॉर्डर रेज किये ही बोलने शुरू हो गये। कोई कान्स्टीट्यूशनल इश्यू रेज नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि ग्रापका कोई पोइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर नहीं है, इसलिये ग्रापको नहीं बोलने दिया जाना चाहिये।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**: ग्रध्यक्ष महोदय, जरा व्यवस्था दे दीजिये ताकि इनका माजना झड़ जाय।

**श्री निरंजननाथ ग्राचार्य**: इनकी हल्की जुबान बोलने की ग्रादत है, मेरी इनकी तरह नहीं है............

**श्री ग्रध्यक्ष**: ग्रभी तक तो

(हंसी)

माननीय सदस्य संक्षेप में बता दें कि किस पर बोलना चाहते हैं?

**श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल**: मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विथड्राग्रल ग्रौर सस्पेन्शन के २ रूल्स हैं २९१ ग्रौर २९२। यह किसको करना है यह व्यवस्था इसमें दी है।

"291. Withdrawal of member. The Speaker may direct any

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

member whose conduct is, in his opinion, grossly disorderly to withdraw immediately from tho House, and any member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall absent himself during the remainder of the day's sitting".

This is in regard to withdrawal and the power vests in the Speaker. Now rule 292:—

"292. Suspension of member.—(1) The Speaker may, if he deems it necessary, name a member who disregards the authority of the Chair or abuses the rules of the House by persistently and wilfully obstructing the business thereof".

So the Speaker has to name the member, viz., Shri Ram Kisan, Shri Rama Nand Agarwal and so on. Then part (2);

"(2) If a member is so named by the Speaker, he shall forthwith put the question that the member (naming him) be suspended from the service of the House for a period not exceeding the remainder of the session :

Provided that the House may, at any time, on motion being made, resolve that such suspension be terminated."

इस नियम २९१ में सस्पेन्शन का सवाल जहां तक है स्पीकर महोदय को इस प्रकार का अधिकार है। अगर आप इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इन प्रोवोकेशन या इन्टेन्शनली डेलीबरेटली हुआ, जिसको आप अनैतिक कहें, अनपार्लियामेन्टरी कहें, अगर आप समझते हैं कि प्रोवोकेशन के कारण सदन के माननीय सदस्यों को मजबूर होना पड़ा। प्रारम्भ में गलती हो सकती है, पर सारे यह अधिकार स्पीकर में एन्ट्रस्ट करते हैं, टर्मीनेट करने के बारे में प्रस्ताव लाने का नियम २९२ है, इस नियम को सस्पेन्ड नहीं किया, ऐसी हालत में राज्यपाल महोदय का सस्पेन्शन का मोशन लाने का जो नियम संविधान के अनुसार बना है।

This motion is absolutely out of order, it is illegal and against the provisions of the Constitution.

(१.०० म. प.)

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : एडमिसिबिलिटी के बारे में माननीय सदस्य ने एक ऐतराज यह उठाया कि जो हमारे बिजनेस के रूल्स हैं उसमें कुछ प्रावधान हैं जिसका हवाला उन्होंने दिया और कहा कि इनके तहत ही सस्पेन्शन हो सकता है, विथ्ड्राअल हो सकता है और इनके तहत स्पीकर द्वारा हो सकता है, इसलिए उन प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही हो सकती है, उन प्रावधानों के तहत यह कार्यवाही नहीं है और प्रावधान नहीं है इसलिए एडमिसिबिल नहीं है।

( श्री रामप्रसाद लड्ढा )

मैं सबसे पहले सदन के सामने बहुत महत्वपूर्ण बात प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये जो हमारे बिजनेस रूल्स हैं, यह किस समय से ऑपरेट होना शुरू करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में 'सिटिंग' कहलाती है उसके बाद जो भी कोई कन्डक्ट किसी भी विधान सभा के सदस्य का हो, या और दूसरी चीजें हों प्रक्रिया वगैरह की, इन रूल्स से गवर्न होती है। इसलिये जो इसमें प्रावधान माननीय सदस्य ने बताये हैं वे प्रावधान तो सिटिंग होने के बाद में कन्डक्ट हो और उस कन्डक्ट के फलस्वरूप किसी को सस्पेन्ड करना हो, विथड्रा करना हो, किसी को नेम करना हो, उनके लिए लागू है.....

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आपने अच्छा कर दिया।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : Let me explain. I will explain every point that strikes you.

**श्री सतीशचंद्र अग्रवाल** : हम तैयार हैं; Now you are in the trap.

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : सिटिंग जैसे डिफाइन्ड है कानून में, नियमों में, वह आज की तारीख से सिटिंग शुरू हुई है इस विधान सभा के सत्र में। परसों वाली जो कुछ है वह सिटिंग नहीं है। वह सिटिंग की डेफीनेशन में नहीं आती। इसलिए उसका यह प्रावधान जो आपने बताया है, वह लागू नहीं होते। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या लागू होता है जिसके अन्तर्गत यह कार्यवाही आती है। इसके लिये तीन चीजें हैं। एक तो आप सब जानते हैं कि हमारे जनतन्त्र के जो मूलभूत आधार हैं वह हमने ब्रिटिश पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी से लिये हैं। बल्कि हमने आर्टीकल १९४ में यह लिखा है कि मेम्बर्स के प्रिविलेजेज वगैरह के बारे में हम कोई स्पेसिफिक प्रोवीज़न करते हैं तो वह लागू होता नहीं तो वह लागू होगा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में है, लेकिन उनकी तिथि निर्धारित कर दी कि २६-१-५० समझ लिया जाय। संविधान जिस दिन फोर्स में आया उससे पहले जो स्थिति ब्रिटिश पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के कन्वेन्शन्स की थी वह लागू होंगे, जब हमारे यहां स्पेसिफिक प्रोवीजन्स न हों।

अब सवाल आता है कि हम क्या करने जा रहे हैं ? हम यह करने जा रहे हैं कि माननीय सदस्यों ने राज्यपाल महोदय के प्रति जैसा व्यवहार किया, वह किस नाम से कहा जाय, मैंने आपने प्रस्ताव में स्पष्ट किया है, उस रूल को, विधान सभा के सदस्य के कन्डक्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आया वह कन्डक्ट उचित है या अनुचित है। अनुचित है तो उसके आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे भविष्य में उचित हो जाय...

**श्री मुकट बिहारीलाल गोयल (बयाना)**: अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है...

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : मैं 'मे' की किताब से कुछ बताना चाहता हूं। इसमें प्रावधान है कि किसी member of either House of Parliament का कन्डक्ट डिस्कस किया जाता है by a substantive motion in the House.

( श्री रामप्रसाद लड्ढा )

उसका उत्तर यह है कि अगर वह प्रावधान लागू नहीं होता तो सब्सटेन्टिव मोशन से हम इस बारे में फैसला कर सकते हैं। मेरी राय है कि यह कार्यवाही अवैधानिक थी और मैं अपनी राय को सदन की राय बनाना चाहता हूं और सदन की राय बनाने के लिए मैंने यह प्रस्ताव रखा; वह बहुमत से ही राय बन सकती है। मे की पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस में यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है : "Certain matters can not be discussed except upon a substantive motion which admits of a distinct vote of the House."

उसके उदाहरण दिए हुए हैं। मैं केवल इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं : "A member of either House of Parliament............

वहां पर क्योंकि पार्लियामेंट है और मेम्बर्स ऑफ लेजिस्लेचर हैं और यह तो है ब्रिटिश पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी जो हमारी सारी चीजों को गाइड करने के लिए आधार है। इसके अलावा जो हमारी केन्द्रीय संसद है वहां की कन्वेन्शन्स और प्रिसीडेंट्स हैं उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपको मालूम होगा कि १६६३ फरवरी में जब राष्ट्रपति एड्रेस के लिए गए थे और हिंदी अंग्रेजी की पोइन्ट पर वहां भी विवाद खड़ा हुआ था और उसके खड़ा होने से वाकआउट किया गया था, ये सारी घटनाएं जिस कदर यहां पर घटनाएं गुजरी ऐसी नहीं थीं।

**श्री रामकिशन ( वैर )** : राष्ट्रपति ने उनको निकाला नहीं था।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : वहां सदन के सामने मोशन आया, कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट हुई और रिपोर्ट को एडॉप्ट करके किसी को रेप्रीमेंन्ड किया, किसी को वार्निंग दी; लेकिन क्रिमिनल फ्रेज्योलोजी ५६२ का बताता हूं वह कन्विक्टेड की तारीफ में आया कहने का मतलब है कि ताड़ना दी गई लेकिन यह सब्सटेन्टिव मोशन वहां आया। और उस मोशन से कमेटी बनी और उस कमेटी ने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट एडॉप्ट हुई। कमेटी और हाउस में फर्क नहीं है। कमेटी इज क्रीएचर ऑफ दी हाउस। अगर किसी चीज का फैसला कमेटी कर सकती है तो हाउस भी कर सकता है। पंजाब विधान सभा के अन्दर भी घटना घटी और उसके अंदर सब्सटेन्टिव मोशन रखा गया और उसको जो पोइंट्स रिफर्ड थे उसका फैसला हुआ।

**श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर)** : पोइन्ट ग्राफ आर्डर........

**श्री अध्यक्ष** : पहले ही पोईंट ग्राफ ऑर्डर पर बहस हो रही है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : I am replying to the point of order raised by the Hon. member.

**श्री अध्यक्ष** : आप स्थान ग्रहण करें।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : मैं रिपोर्ट और उसके साइटेशन्स और कोटेशन्स की तरफ नहीं जाता, केवल आपका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जब भी ऐसी घटनाएं घटीं तो सब्सटेंटिव मोशन्स

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

आए, उन पर रिपोर्ट हुई, कार्यवाही हुई। चाहे सजा कम हुई या ज्यादा यह सवाल अलग है। लेकिन सबस्टेंटिव मोशन आया। तीसरी बात, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान रूल ११९ जो अपने बिजनेस रूल्स हैं उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें स्पष्ट लिखा है :

"Save in so far as is otherwise provided in the Constitution or in these rules, no discussion of a matter of general public interest shall take place except on a motion made with the consent of the Speaker."

अब सवाल यह है कि जनरल पब्लिक इन्टरेस्ट का मामला है और स्पीकर साहब की अनुमति हो जाय तो यह प्रस्ताव आ सकता है सबस्टेंटिव मोशन। अब जनरल पब्लिक इन्टरेस्ट का मामला है या नहीं इस संबंध में मुझे दलीलें देने की जरूरत नहीं है। जहां इतनी बड़ी घटना, इतने बड़े कान्स्टीट्यूशनल हेड के प्रति ऐसे कान्टेम्पच्युअस वे में और भद्दे तरीके से व्यवहार किया गया हो, ऐसी घटना में पब्लिक इन्टरेस्ट कितना ज्यादा हो सकता है क्योंकि हर इन्सान सोचता है कि यह जनतंत्र में रहना चाहते हैं और जनतंत्र को धक्का पहुंचाने वाले लोग उसकी जड़े कमजोर करने के लिए इस हद तक उतारू हो जायेंगे तो आगे जनतंत्र कैसे कायम रहेगा, इसलिए जनरल पब्लिक इन्टरेस्ट का उदाहरण इस घटना से अधिक कोई नहीं हो सकता और स्पीकर महोदय ने अनुमति दी इसलिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, इसलिए अब.......

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (अलवर) :** अध्यक्ष महोदय को मत घसीटिए। उन्होंने आपको प्रेरणा नहीं दी।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा:** अनुमति दी।

**श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल :** He has simply admitted your motion primarily for being put before the House.

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** अध्यक्ष महोदय, इस सदन का मत है कि दिनांक २६ फरवरी १९६६ को.......

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** इसको पढ़ना आप बाद में।

मै एक मिनिट अर्ज कर देता हूँ।

**श्री अध्यक्ष :** और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे। आप बाद में जवाब दे देना।

**श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल :** पांच मिनिट और कहना चाहता हूं ताकि और मेम्बर भी कह सकें।

जो कुछ उप-मंत्री महोदय ने कहा, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि यह जो घटना हुई उस समय हाउस इन सेशन नहीं था, उस समय सेशन की सिटिंग नहीं थी और उन्होंने यह स्वीकार किया है कि यह नियम लागू नहीं होते। नियम लागू

# Page No. 50



(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
नहीं होते हैं तो कौन से नियम और कानून लागू होते हैं, कौन से नियम और कानून के तहत डेमोक्रेसी में कानून और नियम बना सकते हैं, गाइडिंग चीज क्या है आखिर हमारे सामने ?

× × ×

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद):

× × ×

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : × × ×

श्री रघुनाथ बिश्नोई : × × ×

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : × × ×

श्री रघुनाथ बिश्नोई : × × ×

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : × × ×

कॉन्स्टिट्यूशन के अन्तर्गत बने हुए जो कानून और नियम हैं उनके अन्तर्गत कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि गवर्नर के एड्रेस के समय इस प्रकार के अनरूली सीन हो जांय जिनको डिसेन्सी पर आघात पहुंचाया समझा जाय।

इसको ज्यादा से ज्यादा कन्टेम्प्ट ऑफ दी हाउस मान सकते हैं। यह सस्पेन्शन का मामला नहीं बन सकता। ब्रीज ऑफ प्रिविलेज यदि मानते हैं तो इसको एक कमेटी को सौंपना होगा, उसके सामने यह मसला जायगा, वह यह देखेगी कि वास्तव में माननीय सदस्यों ने अधिकारों का दुरुपयोग किया या नहीं; अगर किया तो किन सर्कमस्टान्सेज में किया। मैं इस बारे में ज्यादा समय लेना नहीं चाहता।

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

इसके बारे में एक हाउस की कमेटी बने, वह सारे पोइन्ट्स को एग्जामिन कर ले। उसके बाद ही इस बारे में निर्णय लिया जा सकता है। उसमें यह भी मामला आयेगा कि क्या गवर्नर महोदय को किसी सदन के सदस्य को ग्रेस-आउट करने का अधिकार है या नहीं। इस पर माननीय सदस्य भी अपना प्रिविलेज क्लेम कर सकते हैं। इस प्रकार की कई बातें हैं जिनको देखते हुए मेरा यह निवेदन है कि यह जो सस्पेन्शन का प्रस्ताव आया है उसको प्रस्तुत करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये।

---

××××अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

**श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी दो बातें सामने रखी गई। एक तो यह कि असेम्बली की सिटिंग्ज जो हैं वह आज से प्रारम्भ हुई हैं। जब सीटिंग आज से प्रारम्भ हुई है तो फिर कल की कार्यवाही के बारे में जो प्रस्ताव लाया गया है वह प्रस्ताव हमारी कार्य संचालन की प्रक्रिया के तहत नहीं आता है। क्योंकि सीटिंग की शुरूआत आज से मानते हैं। कल की कार्यवाही को कार्यवाही नहीं मानते हैं तो कल की कार्यवाही के संबन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं आ सकता। ऐसी हालत में मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह प्रस्ताव कौनसी कार्य संचालन की प्रक्रिया के तहत लाया गया है? यह चीज जब तक स्पष्ट नहीं होती तब तक यह जो प्रस्ताव है वह कोई मायने नहीं रखता।

दूसरा पोइन्ट यह है कि आपने जो प्रस्ताव रखा है उस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले के अन्दर जहां तक गवर्नर के यहां आने का सवाल है और उनके भाषण देने का सवाल है, उन्होंने भाषण दिया उसको कोई मेम्बर सुने या न सुने उसके लिये किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। गवर्नर महोदय को संविधान के आर्टिकल १७४ के तहत अधिकार हैं, उसके अन्तर्गत वे भाषण दे सकते हैं, अपना मेसेज दे सकते हैं। यह कोई माननीय सदस्य के लिए आवश्यक नहीं कि वे उनको सुने ही। हम नहीं सुनना चाहते तो हमें उसका विरोध करने का अधिकार है इसके लिये हमें बाध्य नहीं किया जा सकता कि राज्यपाल महोदय का भाषण हम सुनें। अगर कोई सुनना नही चाहते तो यह उनकी अपनी मर्जी है। गवर्नर महोदय भी चाहें तो वे अपना भाषण पढ़ें या मेज पर रख कर चले जायं। इसके साथ ही गवर्नर महोदय को यह कोई अधिकार नहीं कि उनका भाषण जो नहीं सुनें उनको वे मार्शल द्वारा बाहर निकाल दें। एक और जहां वे संविधान के रक्षक हैं, संविधान की तहत उनका अपोइन्टमेंट होता है। गवर्नर के भी कुछ अधिकार हैं जो संविधान में दिये गये हैं उन्ही नियमों के तहत उनको भाषण देना होता है। हम उसे सुने या न सुने यह हमारी मर्जी है। संविधान की धारा १५८ के तहत जिसमें स्पष्ट लिख दिया गया है वह मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (उप-मंत्री, गृह): यह सब श्री सतीशचन्द्रजी ने कह दिया है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : जरा शान्ति से मेरी भी सुन लीजिये। संविधान के आर्टिकल ११८ के तहत कार्य संचालन होता है।

१७५ और १७६ की तहत माननीय राज्यपाल महोदय अपना जो कुछ मेसेज या भाषण होता है वह देते हैं। १५४ की तहत विधान मंडल नियम बनाता है। गवर्नर के दूसरे मामलों में किस प्रकार हस्तक्षेप कर सकते हैं उसके बारे में १५४ में स्पष्ट लिख दिया गया हैं :

> "(ख) राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य देने में संसद अथवा राज्य के विधान मंडल को बाधा न होगी।"

राज्य विधान मंडल को यह अधिकार दिया गया है कार्य संचालन आदि के लिये सारे अधिकार स्पीकर को दिये गये है। यह संविधान में प्रोवीजन है, इसके बावजूद, संवैधानिक

(श्री मुरलीधर व्यास)

हैड जो है वह ही संविधान को ताक पर रख दें और मनमानी तरीके से सारे सदस्यों को कानून का उल्लंघन कर बाहर निकाल दें तो वह स्पष्ट रूप से संविधान का उल्लंघन है, वैसी हालत में हम जिस संविधान की तहत काम करते हैं उस संविधान का उल्लंघन चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों न करता हो निष्पक्ष तरीके से हमें सोचना चाहिये, आखिर सजा किसको दी जाय ? हमें इसमें यह ध्यान रखना है कि किस पद द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव रखा गया है वह बहुत ही अवैधानिक प्रस्ताव है। मेरा इसमें यह भी निवेदन है कि यह प्रस्ताव कार्य संचालन की कौनसी धारा के तहत रखा जा रहा है, यह भी स्पष्ट होना चाहिये। जब तक यह स्पष्ट नहीं होता है तो इस प्रकार के प्रस्ताव को रखने का अधिकार नहीं होना चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, इस समय जो उप मंत्री राजस्व की तरफ से प्रस्ताव रखा गया है उसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में चर्चा हो रही है। उसकी वेलिडिटी डाउटफुल है या नहीं, यह बात चल रही है।

अध्यक्ष महोदय, सदन की स्वस्थ परम्परा के अनुसार अगर आसन द्वारा इस मोशन को एडमिट कर लिया जाता है तो इसके औचित्य के संबन्ध में हमको प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। लेकिन इस संबन्ध में जो वाद-विवाद हुआ उसको भी मैंने सुना और मैंने इस पर वैधानिक दृष्टिकोण से विचार भी किया। यह तो निर्विवाद बात है कि राज्यपाल महोदय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओहदा है वे राज्य के सिम्बोलिक हैड हैं। हमारे विधान के अन्तर्गत, गणतन्त्र की परम्परा के अनुसार फाउन्टेन हैड हैं। हमारे शासनकी तीन शाखायें हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्युटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का कार्य संचालन के लिये ओनरेबल स्पीकर महोदय हैं वैसी ही जुडिशियरी के हैड चीफ जस्टिस होते हैं और एग्जीक्युटिव के हैड चीफ मिनिस्टर होते हैं; मैने कॉन्स्टीट्यूशन को भी देखा है मैं बहुत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल की जो एक्जॉल्टेड पोजीशन है उसको मैं बहस का विषय बनाना नहीं चाहता। परन्तु इस प्रस्ताव को भी मैंने देखा और जो कुछ दुर्घटना हुई उसके लिए मुझे और मेरे दल को सख्त अफसोस है, रंज है, लेकिन इसके साथ मेरे ख्याल से इसमें मिसअन्डरस्टेन्डिंग भी है।

उस मिसअन्डरस्टेन्डिंग के सम्बन्ध में भी विरोधी पक्ष में बैठने वाले जो माननीय सदस्य हैं उस नाते भी मैं माननीय सदन के सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि स्वस्थ परम्परा के अनुसार चाहे मिसअन्डरस्टेन्डिंग या गलतफहमी भी हुई हो, तो जो उनका फर्ज है, जो सदन की प्रतिष्ठा को ऊंचा करने के लिए उनको करना चाहिये, जो सारा सदन उनसे आशा करता है, एक्सपेक्ट करता है मेरे ख्याल में, उनको अफसोस भी प्रकट करना चाहिये पर साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र निवेदन यह करना चाहूंगा कि राज्यपाल वैधानिक-संवैधानिक अधिकारों के अनुसार, मैं समझता हूं अपनी बुद्धि के मुताबिक कि वे पार्ट और पार्सल, इस हाउस के वे अविभाज्य अंग नहीं हैं।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

जहां तक कि सदस्यों को निलम्बित करने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि एक अपने पहले भी एक माननीय सदस्य से दुर्व्यवहार पुलिस ने किया, सदन के बाहर था, वह भी सब्जेक्ट मैटर यहां पर डिस्कस हुआ, वाद-विवाद उस पर हुआ। यह भी नजीरें हमारे पास उपलब्ध हैं।

अब माननीय उपमंत्री, श्री रामप्रसाद जी लड्ढा ने जो उदाहरण दिया लोकसभा का सन् ६२-६३ का, मेरा उस सम्बन्ध में भी एक विनम्र निवेदन है कि उस बारे में वहां एक कमेटी अपोइन्ट हुई और उस कमेटी ने उस बारे में निर्णय किया। अब अगर हम जल्दबाजी में आकर, तैश में आकर, एकदम इस प्रस्ताव पर विचार करके, ब्रूट मेजोरिटी के द्वारा इसे पारित कर दें, आपको अधिकार है, जो आप उचित समझें; आप कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल में माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी किया, उस सम्बन्ध में अगर कानूनी रूपसे विचार किया जावे तो जो इस प्रस्ताव के अन्दर दण्ड देने का प्रावधान किया गया है, कन्टेम्पलेशन किया गया है वह मेरे ख्याल में अत्यधिक है और किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, कोई उठ कर भी खड़ा होकर चला गया तो मेरे ख्याल में दोनों हाथों से ताली बजती है।

सरकार के द्वारा भी कई ऐसी बातें हुई हैं। ऑर्डिनेन्सेज आये हैं, विधान सभा को बुलाने के चन्द दिनों ही पहिले ऑर्डिनेन्सेज पास किये गये हैं, टैक्सेज लगाये गये हैं, पंचायत समिति के सम्बन्ध में भी तरह तरह के ऑर्डिनेन्सेज लगाकर जिला प्रमुख के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाने के सम्बन्ध में भी मेरे ख्याल से यह सब असंदिग्ध रूप से कार्यवाही सरकार ने मनमानी रूप से की है उस पर भी आखिरकार हम लोग अपोजीशन के हैं, हमारे पास हैं क्या? सिवाय इसके कि हम प्रदर्शन करें, उसके खिलाफ अपना असन्तोष व्यक्त वैधानिक रूप से करें, यह मैं अवश्य कहूंगा। सम्भवतः माननीय सदस्यों ने आपत्ति प्रकट करते हुए, अपना रोष और असन्तोष प्रकट करते हुए कुछ सीमा का उल्लंघन भी किया हो, उसके लिये भी मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता, यह तो आपके निर्णय का विषय है।

पर प्रस्ताव लाकर मेरे ख्याल से सभी सदस्य चालू सत्र की अवधि तक निलम्बित किये जावें, बिना उस प्रश्न के औचित्य में गये कि कमेटी अपोइन्ट हो, कमेटी के द्वारा इस बारे में विचार-विमर्श किया जावे, तो मेरे ख्याल से इस सदन को अधिकार है, वह कुछ भी करे, लेकिन अधिकार है, तो भी स्वस्थ परम्पराओं के अनुसार यह सदन को अधिकार है कि नये कन्वेन्शन कायम किये जावें। लेकिन मेरे ख्याल में, निलम्बित करने का जो अधिकार है वह तो अध्यक्ष महोदय को है।

और राज्यपाल महोदय, प्रोसीडिंग्स को स्वयं एक तरह से कन्डक्ट नहीं करते हुए उस समय, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं, केवल इतना कहकर पधार जाते कि उनका जो अभिभाषण है, उसे एज रैड, पढ़ा हुआ मान लिया जावे और फिर अध्यक्ष के द्वारा जो कुछ भी व्यवस्था होती वह होती, तो मेरे ख्याल में वह ऐसी बात होती

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
कि जिसके सम्बन्ध में कोई वाद-विवाद नहीं हो सकता था।

मैं बहुत ही अदब के साथ अध्यक्ष महोदय, यह अर्ज करूंगा कि अगर गलतफहमियां हुई है और कुछ औचित्य के संबंध में संदिग्ध बात हुई हैं तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ से हुई हैं, और मेरा इसके लिये निवेदन है कि उदारता से इस मसले को, इस समस्या को जो उठ खड़ी हुई है हल करने के लिये, ग्रेसफुल्ली डिसपोज़ ऑफ करने के लिये विचार किया जावे और यह जो प्रस्ताव है, मैं समझता हूं, यह प्रस्ताव जिस रूप में आया है वह भी मेरे ख्याल में न्यायपूर्वक कोई हल इस दुर्घटना का नहीं निकालता और इसके साथ साथ मैं यह भी विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रस्ताव को इस शक्ल में अगर आप एडमिट करना चाहेंगे तो एडमिट कर सकते हैं, पर मैं समझता हूं कि इसकी डाउटफुल वेलिडिटी है और इसका एडमिशन, मैं और मेरे दल की विचार धारा के अनुसार नहीं होना चाहिये, यही मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, जिस पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर इस समय विचार चल रहा है कि माननीय सदस्य श्री रामप्रसाद लड्ढा ने जो प्रस्ताव इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, वह प्रस्ताव वैध है या नहीं, यह सदन उस पर विचार कर सकता है या नहीं, उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखते हुए प्रस्ताव की भूमिका यह बनाई है कि यह सदन में राज्यपाल के भाषण के समय यह सदन सेशन में नहीं था और यह सदन सेशन में केवल आज आया है और इस रूप में उनकी मान्यता है कि यह सदन इस समय किसी ऐसी कार्यवाही पर विचार कर रहा है, जो इस सदन से बाहर हुई। इसलिये मेरे ख्याल से एक तो जो वैधानिक प्रश्न इस सदन के समक्ष और आपके लिये तै करने का है वह यह है कि यह सदन का सेशन किस समय शुरू होता है, आया कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद शुरू होता है, या राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ शुरू होता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि यह कहना सही नहीं है और इस प्रकार का कोई भी जुडीशियल पनिशमेन्ट भी नहीं है कि हाउस की सिटिंग, अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के उपरांत, उसके बाद शुरू होती है। मैं समझता हूं कि यदि आर्टिकल १७६ को हम पढ़ें तो उससे अपने आप भी स्थिति साफ होती है। यह आर्टिकल १७६ कहता है :—

"At the commencement of the first session after each general election to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of each year the Governor shall address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council, both House assembled together and inform the Legislature of the causes of its summons."

मैं समझता हूं कि सामान्य अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से यदि माननीय सदस्य की कम्प्रेहेन्शन सही होती तो भाषा यह होनी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चाहिए: 'Before the commencement of the Session, the Governor shall address.' इस में ना यह है: "after the commencement", but it is "at the commencement of the session." वह बिफोर दी कमेन्समेन्ट नहीं हैं। इस लिए माननीय सदस्य की जो कन्टेन्शन है कि सेशन राज्यपाल महोदय के भाषण के बाद शुरू होता है, वह सही नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह कहां कहा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य ने यही कहा है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद यानी आज से सेशन शुरू होता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने यह नहीं कहा है। मैंने कहा है कि जब श्री लाल बहादुरजी शास्त्री के बारे में शोक प्रस्ताव रखा उस समय से शुरू होता है, यानी कल दोपहर से।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद से आपका मुद्दा है। आप गलत कह गये थे।

खैर, मुद्दे की बात यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद और सदन की सिटिंग शुरू होती है पहले इसके यह सदन सेशन में नहीं था और जो भी कार्यवाही इस प्रस्ताव के जरिये प्रस्तुत की जा रही है वह इस सदन से बाहर हुई कार्यवाही राज्यपाल के साथ किसी व्यवहार के साथ संबंधित है, वह चाहे चांदे बाजार की हो और वह चाहे सवाई मानसिंह हॉल में हो, लेकिन इस सदन की नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि यह आर्टिकल १७६ की भाषा के खिलाफ है जिसमें कि Governor has been asked byt he Constitution. कि वह सेशन के कमेन्समेन्ट के ऊपर एड्रेस करे और इसलिए मैं यह समझता हूं कि इस आर्टिकल १७६ के अनुसार गवर्नर महोदय के एड्रेस के साथ हाउस का कमेन्समेन्ट शुरू हो जाता और इस सदन का कमेन्समेन्ट साथ ही साथ उसमें शुरू हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए कॉन्स्टीट्यूशन में स्पीकर के इलेक्शन होने से पहले इसलिए कि सदन की कार्यवाही को कोई चला सके सदन के एक माननीय सदस्य को राज्यपाल महोदय मनोनीत करते हैं। जो कि उसकी कार्यवाही को चलायेगा और इसलिए राज्यपाल महोदय जब अभिभाषण करने आते हैं उससे पहले स्पीकर का अपॉइन्टमेन्ट हो जाता है और यह बात उन सदनों में लेकुना हो सकता है जहां दो हाउसेज हैं। जिस तरह से श्री सतीशचन्द्रजी ने कहा कि जहां सेन्टर में, पार्लियामेन्ट में, राज्य सभा और लोक सभा दो हाउसेज होते हैं वहां कॉन्सटीट्यूशन के रूल्स में स्पेसीफिकली प्रोवाइडेड है कि उसको कौन प्रिसाइड करेगा और नेचुरली जो प्रिसाइड करेगा वह उसकी व्यवस्था करेगा। जहां पर सिंगल चेम्बर हैं, जैसे हमारे यहां पर है वहां पर रूल्स प्रोवाइड करते हैं कि कौन प्रिसाइड करेगा। यह लेकुना वहां पर है जहां दो चेम्बर्स हैं और ऐसे ज्वाइन्ट सेशन में कौन प्रिसाइड करेगा, इस प्रकार का कोई रूल्स में प्रोविजन नहीं है और इसलिए ऐसी स्थिति में वहां पर कोई रूल्स बनाया जाये ताकि यह अव्यवस्थित नहीं रहे इसके बारे में यह सुझाव उस कान्फ्रेन्स में दिया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गया, लेकिन मेरा पोजीटिवली यह असरर्शन है कि हमारे यहां रूल्स में इस बारे में कोई मेकुना नहीं है। यहां पर एक चेम्बर है और इसमें जो स्पीकर हैं उनको पूरे पावर्स हैं हाउस की सिटिंग को कन्डक्ट करने के और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय जो कमेन्समेन्ट सेशन का होता है वह स्पीकर की अध्यक्षता में शुरू होता है। अध्यक्ष महोदय, यदि हम अपने रूल्स को देखें तो इस रूल के ११ वें में यह साफ तौर से बता दिया हुआ है सदन की बैठक तभी विधिवत् गठित होगी जबकि उसमें अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य पीठासीन हो और जो संविधान अथवा इस नियमावली के अन्तर्गत सदन की बैठक में पीठासीन होने के लिए सक्षम हों, तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि वह जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय का होता है वह बाकायदा सदन की सिटिंग है और उसमें अध्यक्ष महोदय आसन पर पीठासीन होते हैं और इसलिए इस सदन के कन्ट्रोल में है और रूल की धारा २६६ के तहत उन्हीं को व्यवस्था कायम रखने का पूरी तरह से अधिकार है।

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २६६ में लिखा है: 'अध्यक्ष व्यवस्था बनाये रखेगा और विनिश्चय का प्रवर्तन करेगा—अध्यक्ष व्यवस्था बनाये रखेगा और अपने विनिश्चयों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिये उसे सब आवश्यक शक्तियां होंगी'।

तो इस प्रकार मेरा निवेदन करना यह है कि माननीय सदस्य जिन्होंने कि प्रस्ताव रखा है उनके ख्याल से यह सिटिंग वगैरह किसी आदमी के, प्रिसाइडिंग ऑफीसर के, किसी के प्रिसाइड किए बगैर वह सिटिंग होती है। मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार कोई भी इसमें प्रावधान नहीं है। गवर्नर साहब के जो कॉन्स्टीट्यूशन में अधिकार दिए गए हैं वे अधिकार सीमित हैं। वह अधिकार उनको सेशन को बुलाने के हैं, सेशन को प्ररोग करने के हैं, असेम्बली को डिजॉल्व करने के हैं और असेम्बली को ऐड्रेस करने के हैं। इसके अतिरिक्त इस विधान सभा को कन्ट्रोल करने और इस विधान सभा के माननीय सदस्यों में व्यवस्था करने के, उनको बाहर निकालने के या नहीं निकालने के या मार्शल को ऑर्डर देने के, इस प्रकार के उनके पास कोई भी अधिकार नहीं हैं।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) :** The House ceased to function for those ten minutes.

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना है कि मेरी यह मंशा नहीं है कि हमारी इस विधान सभा के अनुसार भाषण जब राज्यपाल महोदय का हो तो मीटिंग को बगैर प्रिसाइड किए वैसे ही चलाते हैं या गवर्नर महोदय को उस मीटिंग के अन्दर व्यवस्था रखने और इस प्रकार के करने का उनको अधिकार प्राप्त होता है। मैं समझता हूं कि हमारे कॉन्सटीट्यूशन में तमाम अधिकारों को बहुत क्लियरली रखा है और जो अधिकार नहीं रखे हैं उनको अब किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरे ऑफीसर को जो कि स्पीकर है उनको कॉन्स्टीट्यूशन के तहत रूल्स के तहत जो कि कॉन्स्टीट्यूशन में बनाए हैं उनके अन्दर वह तमाम अधिकार दिए हुए हैं। इसलिए मेरी यह मान्यता है अध्यक्ष

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

महोदय, कि राज्यपाल महोदय ने, श्री सम्पूर्णानन्दजी जो कि राज्यपाल की हैसियत से आये थे, वह किसी कारण से अपनी हैसियत को भूलकर उन्होंने स्पीकर की हैसियत अख्तियार कर ली जिसका उनको अधिकार नहीं था। संविधान उनको इस प्रकार के अधिकार नहीं देता।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, यह गवर्नर के कन्डक्ट को डिस्कस कर सकते हैं क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो कुछ उन्होंने किया वह राज्यपाल के रूप में नहीं किया, बल्कि एज सम्पूर्णानन्द उन्होंने इस प्रकार के अधिकारों को इस्तेमाल किया जो अधिकार उनको नहीं थे, जो कि बाकायदा ऑफीसर के थे जो कि उनके सबोर्डीनेट नहीं हैं। स्पीकर एक कॉन्स्टीट्यूशन की देन है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, एक मिनेट मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय मैं पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर बोल रहा हूं और आप रूलिंग दे चुके हैं कि पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के ऊपर पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं उठेगा। इसलिए मेरी बात सुनी जाये।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह डिस्कशन गलत है कि गवर्नर के कन्डक्ट को डिस्कस किया जाये। He should be to the point. किसी का भी कन्डक्ट डिस्कस नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको भी मौका मिलेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के ऊपर अपने विचार आपके सामने व्यक्त कर रहा था।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरे दृष्टिकोण से प्रश्न यह नहीं है। इस सदन के सामने विचारणीय प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि जिस प्रकार से इस प्रस्ताव के अन्दर रखा गया है क्योंकि वह स्थिति नहीं है। सिटिंग एसेम्बली स्टार्ट हो गई, विधिवत् स्टार्ट हो गई, स्पीकर उसके चेयरमैन थे और प्रश्न यह पैदा होता है कि राज्यपाल की हैसियत में जो व्यक्ति आया था उन्होंने वैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया था कि अवैधानिक तरीके से उन्होंने अधिकारों का उपयोग किया।

अध्यक्ष महोदय, यह बात अलग हो सकती है कि आज कांग्रेस दल पॉवर में है और हम आपोजीशन में हैं, लेकिन जो इश्यू इन्वोल्ड है जो कॉस्टीट्यूशन का हम हवाला दे रहे हैं, यदि उसके इतिहास में हम जावें तो किस तरह से यह डेमोक्रेटिक आइडियाज डवलप हुए हैं, जिस ब्रिटेन में किंग को सिम्बल ऑफ गॉड मानते हैं और जो यह मानते हैं कि "king can do no wrong" जिसके हाथ में तमाम सोवरेन्टी मानी जाती है, उसी ब्रिटेन में किस तरीके से ........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस समय विचारणीय एडमिसिबिलिटी का है। मैं समझता हूं कि बहस जो चल रही है वह एडमिसिबिलिटी

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

की न होकर गवर्नर के कण्डक्ट के बारे में होती चली जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहस को एडमिसिबिलिटी तक ही रखेंगे तो ज्यादा उपयोगी होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, तो इस तरह से जहां कि शुरू से ही ब्रिटिश नेशन्स का यह था कि "King can do no wrong. King is the image of God." जहां यह कंसेप्शन था, वहां भी जनता ने और हाउस ऑफ कोमन्स ने लड़ते लड़ते किंग से वह अधिकार प्राप्त किए, किंग को उन्हें एग्जीक्यूट करना पड़ा। इस लड़ाई के अन्दर लोगों ने चार्ल्स फर्स्ट को फांसी पर चढ़ा दिया और अन्त में वह सोवरेन्टी हाउस ऑफ कॉमन्स में विराजमान होती है, इस तरह से वह पॉवर हाउस ऑफ कॉमन्स ने अपने में ली।

अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि इस सदन को कुछ अधिकार है, इस सदन के माननीय अध्यक्ष महोदय को कुछ अधिकार हैं। माननीय राज्यपाल जो कि कॉन्स्टीट्यूशन की देन हैं उनको भी संविधान के तहत अधिकार हैं। तो क्या यह सोवरेन्टी प्राईमरिली इस हाउस में विद्यमान है या कि राज्यपाल में खुद में विद्यमान है? जिस चीज के बारे में लॉयल्टी न हो, जिस चीज के बारे में क्लेरिटी न हो तो आप किसको शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, आया कि जो कॉन्स्टीट्यूशनल हैड है उसको आप शक्तिशाली बनाना चाहते हैं या कि इस सदन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं? यदि हमारा कण्डक्ट खराब भी मान लिया जाय और हमारा कण्डक्ट खराब भी हो तो उसके बारे में तो जब हम मेरिट पर जायेंगे पर तब बात करेंगे लेकिन यदि मान भी लें कि हमारा कण्डक्ट ठीक नहीं था तो भी मुझे बड़ी खुशी होती यदि सदन के माननीय अध्यक्ष मुझे आज्ञा देते बाहर जाने की, मुझे बड़ी खुशी होती कि इस सदन के अध्यक्ष संविधान के अनुसार मुझे आज्ञा देते और कॉन्स्टीट्यूशन की सोवरेन्टी हाउस के अन्दर वेस्ट करती है। उसके जरिए जो ऑर्डर होते हैं वह एक बात थी जिसको मानना, जिसका पालन करना मेरा फर्ज होता। लेकिन मैं यह समझता हूं कि मैंने इस सदन की प्रतिष्ठा, इस सदन के अधिकारों की रक्षा का उल्लंघन जिस किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वह कितना ही हायस्ट प्लेस्ट क्यों न हो, उसकी अवहेलना करना वाजिब कार्य माना है।

मैं समझता हूं कि ब्रिटेन जैसी प्रोग्रेसिव कण्ट्री के लोग जो आज भी किंग की इज्जत करते हैं, आज भी जबकि सब जगह किंग्स को हटा कर रिपब्लिक कायम हो गए हैं, वह कण्ट्री अभी तक इस व्यवस्था को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, इनकी किंग के प्रति इज्जत है, आज वे तैयार नहीं हैं कि किंग के ऑफिस को हटा दिया जाय, लेकिन फिर भी उस नेशन ने यह ताकत हासिल की, जब वह पीपुल की सोवरेन्टी को चेलेंज करने लगा, पीपुल को सोवरेन्टी देने को तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया और उसको हासिल किया।

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

जो लोग किंग को गॉड मानते थे और जिनका यह विश्वास था कि किंग केन डू नो रोंग, उन्होंने उसके हाथ से सोवरेन्टी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अपने हाथ में ली। तो इसी रूप में अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज यह प्रश्न है कि सदन को कंट्रोल करने का, इस सदन के माननीय सदस्यों को बाहर जाने या अन्दर बैठने देने या न देने का अधिकार किसको है? मैं समझता हूं कि यह अधिकार इस सदन में हमने जिनको चुना है अपना अध्यक्ष, उनको है और उन्हीं के द्वारा इस अधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए था, लेकिन वे चुपचाप बैठे रहे। शायद वे हस्तक्षेप करना भी चाहते थे लेकिन राज्यपाल महोदय ने उन्हें नहीं करने दिया और जो अध्यक्ष का कार्य था उसको उन्होंने करके इस संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा है, उन्होंने संविधान को तोड़ा है और उन्होंने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है और इस रूप में मैं समझता हूं कि आज मोशन आना चाहिए इस बात का कि हम किस प्रकार से अपने अधिकारों की रक्षा करें? कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, उनका दिमाग किसी बात से गरम हो सकता है, यह हो सकता है कि हमारी बातें जो हमको वाजिब मालूम होती हैं उनको अच्छी नहीं लगी हों और वे गरम हो जायं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को गरम होकर संविधान को खत्म करने का, संविधान की अवहेलना करने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जहां तक कॉन्स्टीट्यूशनल पोइन्ट है, मेरिट पर, सिद्धान्तों पर जब हम विचार करेंगे तब इस पर विचार करेंगे, लेकिन अगर आपको डेमोक्रेसी को पनपाना है तो सोवरेन्टी पीपुल्स में लायी जानी चाहिए। यदि आप ३६ करोड़ के ३६ करोड़ और उन पर एक नया देवता पैदा नहीं करना चाहते तो रियल सोवरेन्टी पीपुल्स में, इस हाउस में वेस्ट करनी चाहिए, गवर्नर में नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में हाउस और ज्यूडिशियरी की सुप्रिमेसी का प्रश्न खड़ा हुआ और यहां मैं समझता हूं कि यह प्रश्न हाउस के बीच और कॉन्स्टीट्यूशनल हैड के बीच में है कि इन दोनों में कौन सुप्रीम है। सुप्रीम ऑथोरिटि किस में वेस्ट करती है, आज यह प्रश्न उपस्थित है। आज आप पॉवर में हैं, कल को हम पॉवर में हो सकते हैं, कोई और पॉवर में हो सकते हैं, पॉवर में कौन रहता है इसका प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि परम्पराओं का, मर्यादाओं का पालन करना चाहते हैं तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि सत्ता किस में वेस्ट करती है। मैं समझता हूं कि सत्ता इस हाउस में वेस्ट होनी चाहिए और यही दृष्टीकोण हमारा होना चाहिए।

(समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है उसको वे रूल ११९ के तहत रखा बताते हैं; मैं समझता हूं कि रूल ११९ भी इस पर लागू नहीं होता है। वह आम चर्चा का विषय के तहत इस तरह का प्रस्ताव १२१ (२) में है:

"कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो सके इसके लिए वह निम्न शर्तें पूरी करेगा —

उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंगात्मक पद, अभ्यारोप या मानहानिकारक कथन नहीं होगा।"

तो यह एक अनुशासन की कार्यवाही के इस प्रकार के रिजोल्यूशन रूल ११९ की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कैपेसिटि में नहीं है। उसके दूसरे रूल्स है जिस की श्री सतीशचन्द्रजी ने अपने भाषण में जिक्र किया है और इसी रूप में मेरी मान्यता है कि यह रिजोल्यूशन माननीय श्री रामप्रसाद लड्ढाजी ने प्रस्तुत किया है उसको रिजेक्ट किया जाय क्यों कि कॉन्स्टीट्यूशनल स्थिति यह नहीं है और इन रूल्स के माफिक यह ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** (टोंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप आज्ञा दें तो मैं कुछ अर्ज करूं।

**श्री मानसिंह महार** (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय,............

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (उप-मंत्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो डिबेट हो रही है वह, पहले मोशन तो एडमिट हो जाय, उसके बाद होनी चाहिए।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : प्रश्न तो यही है कि मोशन एडमिट हो ही नहीं सकता है।

**श्री अध्यक्ष** : जैसा माननीय सदस्य जानते हैं कि जब कोई प्रस्ताव आता है तो उसको एक सरसरी तौर से स्वीकार किया जाता है और सही तौर पर स्वीकार तब मानते हैं जब सदन में रख कर फिर उसकी रिपीट करते हैं कि प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह अभी तक नहीं किया गया है इसलिए जो बहस हो रही है वह ठीक है।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री मानिकचन्द सुराणा।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने माननीय सदस्यों के इस संवैधानिक प्रश्न पर निवेदन करने के बाद मैं कुछ दूसरे पहलू से इस सारे प्रश्न पर आपके और इस सदन के सामने प्रकाश डालना चाहता हूं। मेरे हाथ में अध्यक्ष महोदय, लोक सभा की प्रति है जो कि श्री मणिराम बागड़ी और दूसरे माननीय सदस्यों को डाक्टर राधाकृष्णन् के अभिभाषण के वक्त में निकाले गए और उस पर एक प्रिविलेज कमेटी बनी, उसकी यह प्रति मेरे हाथ में है। इस में हुए निर्णय के अन्दर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कही गई है वह यह है :

(२.०० म. प्र.)

"It is equally well established in the law that the House has rights and duties to maintain order both in the House itself and in the precincts. Any misbehaviour in the precincts whether the offender be a member or a stranger, has always been treated by the House as a breach of privilege."

माननीय अध्यक्षजी, यह बात सर्व मान्य है कि इस हाउस में चाहे कोई सदस्य मिसबिहेवियर करे, चाहे कोई बाहर का व्यक्ति मिसबिहेवियर करे तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का प्रश्न बनता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्री रामप्रसाद लड्ढा जी ने जो मोशन पेश किया है हमारे रूल्स के तहत इस तरह का प्रश्न जो क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज उठाते हैं उस तरह का पेश नहीं किया जा सकता। इस तरह की साफ बाधा है। जो रूल के वर्डिंग्ज हैं वे मैं निवेदन करना चाहता हूं। रूल १२१ मोशन के बारे में यह कहता है :

# Page No. 61



(श्री मानिकचन्द सुराणा)

"In order that a motion may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely:—

कौन कौन सी कंडीशन्स को सैटिस्फाई करेंगे ? ८ कंडीशन्स ले-डाउन की हैं, उनमें एक यह है : "(v) it shall not raise a question of privilege".

कोई मोशन किसी प्रिविलेज के प्रश्न को उठाने वाला नहीं हो सकता, इस बात की पाबन्दी हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस में डाली हुई है। इसलिए मैं बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि यह मोशन जो मोशन का चेप्टर १३ है उसके प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत है और ऐसे क्वेश्चन में प्रिविलेज का प्रश्न है उसको उठाने का प्रयत्न किया है जो विधान सभा के सदस्यों से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय, इस मोशन में एक बात को प्रज्यूम करके चला गया है जैसा कि अलवर के माननीय सदस्य ने प्रकाश डाला है, राज्यपाल महोदय ने जिस समय भाषण दिया उस समय हाउस सिटिंग में नहीं था, विधान सभा की बैठक नहीं हो रही थी। मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं, जयपुर के माननीय सदस्य ने रूल की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिसमें माननीय अध्यक्ष को माननीय सदस्यों को सस्पेन्ड करने का अधिकार है या विथड्रावल का आदेश देने का अधिकार है। उसमें किसी सिटिंग ऑफ दी असेम्बली का जिक्र नहीं है। एग्जेक्ट वर्डिंग्ज जो इसमें लिखे हुए हैं वे ये हैं :

"The Speaker may direct any member whose conduct is, in his opinion, grossly disorderly to withdraw immediately from the House and any member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall absent himself during the remainder of the day's sitting."

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या 'हां' पक्ष यह कहना चाहता है कि जिस दिन माननीय राज्यपालजी ने यहां अभिभाषण किया उस समय यह हाउस नहीं था और इस हाउस का कमेन्समेन्ट ऑफ दी सेशन हो रहा था या नहीं और जो माननीय सदस्य बैठे थे वे हाउस को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते थे, चाहे सिटिंग नहीं हो, कार्यवाही नहीं हो, लेकिन रूल २०० की तहत अध्यक्ष महोदय को जो अधिकार हैं वे बिल्कुल सुरक्षित हैं और वह हाउस उस दिन सिटिंग ऑफ दि हाउस में था और अध्यक्ष महोदय को अधिकार था कि किसी सदस्य को कह सकें कि बाहर चले जाइये, फिर वह सदस्य उस दिन सिटिंग अटेन्ड नहीं कर सकता था। जब रूल इतना साफ है, संविधान इतना साफ है, एक बात यह भी साफ है कि आज नये चुनाव हो जायें और उसके बाद कोई अध्यक्ष इस विधान सभा के द्वारा मनोनीत न हो तो माननीय राज्यपालजी उस सदन में बिना अध्यक्ष को नियुक्त किये क्या अपना पदार्पण कर देंगे ? मैं निवेदन करूंगा कि यह साफ है, राज्यपाल के लिए यह आवश्यक है कि विधान सभा के चुने हुए सदस्यों में से वे किसी को स्पीकर मुकर्रर करें तब तक के लिए जब तक कि नये अध्यक्ष का चुनाव न हो जाय विधिवत्। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह

# Page No. 62



(श्री मानिकचन्द सुराणा)

से जोइन्ट सैशन पार्लियामेंट का होता है और राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उस समय, इसमें साफ लिखा है कि कौंसिल ऑफ स्टेट का चेयरमेन उसकी अध्यक्षता करेंगे। उसी तरह जहां एक चैम्बर है अकेली विधान सभा ही है, दूसरा हाउस नहीं है वहां के लिए कोई पाबन्दी नहीं है जो यह कहती हो कि स्पीकर अध्यक्षता नहीं करेंगे, जिस समय राज्यपाल का भाषण होता हो ।

अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान की उस धारा को आपके सामने बताना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि कौनसी मीटिंग की अध्यक्षता स्पीकर नहीं करेंगे । इसकी पाबन्दी संविधान में डाली हुई है । संविधान का आर्टिकल १८१ यह कहता है कि यदि स्पीकर महोदय के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ जाय तो उस बैठक की सदारत स्पीकर नहीं करेंगे या जिस बैठक में डिप्टी-स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव डिस्कस होता हो उसकी सदारत डिप्टी-स्पीकर नहीं करेंगे । तो अध्यक्ष महोदय, यदि राज्यपाल महोदय के आने के साथ साथ अध्यक्ष महोदय सदारत नहीं कर सकते तो कौनसी संविधान की बाधा थी या कौनसे हाथ डा० अम्बेडकर के बंधे थे या हिन्दुस्तान की जनता ने उनको रोका था जिनके कारण वे संविधान में यह लिख देते कि जिस दिन राज्यपालजी आयेंगे उस दिन की बैठक की अध्यक्षता वे ही करेंगे, स्पीकर महोदय नहीं करेंगे । आर्टिकल १८१ साफ है जो बाधा लगाता है कि स्पीकर इन सूरतों में सदारत नहीं करेंगे । क्या माननीय लड्ढाजी कोई आर्टिकल क्वोट कर सकते हैं या कोई प्रिसिडेन्ट बता सकते हैं जिसमें यह लिखा गया हो, साफ नहीं लिखा हो फिर भी इम्पलाइड हो कि क्योंकि राज्यपाल आ गये इसलिये स्पीकर स्पीकर नहीं रहे और तब तक के लिये स्पीकर के अधिकार खत्म हो गये । इस तरह का कोई प्रावधान हमारी नियमावली और संविधान में नहीं है । इसलिये मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारा मोशन इस मान्यता पर आधारित है कि उस दिन विधान सभा हाउस में नहीं थी, स्पीकर महोदय स्पीकर महोदय नहीं थे और 'हां' पक्ष या सरकारी पक्ष को जरूरत किसलिये पड़ी यह मानने की ? क्योंकि जब मैंने यह प्रश्न उठाया राज्यपालजी के सामने कि राज्यपाल महोदय को विधान सभा के सदस्यों को बाहर निकालने का अधिकार नहीं है और मैंने अध्यक्ष महोदय, आपसे रूलिंग चाही कि आप व्यवस्था दें कि क्या राज्यपाल विधान सभा के सदस्यों को निकाल सकते हैं, आप कुछ व्यवस्था देते; लेकिन मुझे अफसोस है, शर्म भी महसूस होती है कि राज्यपाल महोदय एक सैकन्ड का भी अवसर आपको सोचने का नहीं देना चाहते थे और उन्होंने यह कहा कि जो कार्य कर रहा हूं वह सीमाओं में कर रहा हूं । राजस्थान की जनता बखूबी जानती है कि यदि आप अपने अधिकार को स्ट्रैस करते तो कॉन्टीट्यूशनल डेडलोक नहीं होता । यदि अध्यक्ष महोदय दूसरी व्यवस्था देना चाहते तो उनको एक क्षण का भी अवसर नहीं दिया और उसका जो नतीजा हुआ वह सब जानते हैं । यह भी सभी जानते हैं कि राजस्थान में जो परम्पराएं कायम हुई हैं उनका बहुत कुछ श्रेय आपके धैर्य, संयम और कार्य कुशलता को है । वरना यू. पी. की विधान सभा को देखिये । यू. पी., जिसमें माननीय संपूर्णानंदजी कुछ अर्से तक मुख्य मंत्री रहे, यू.पी.की परंपराओं को आज राजस्थान पर थोपा जा रहा है ।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

मुझे खतरा है, यह इशारा हमारे मुख्य मंत्रीजी को होगा, सरकार को होगा या नहीं होगा; लेकिन गवर्नर महोदय को खुश करने के लिये यह प्रश्न उठाया है कि आप के दिल में जो चोट पहुंची है उसका खमियाजा ले लिया है। इस प्रकार का यह प्रस्ताव उनकी प्रेरणा से लाया जा रहा है। जो कानूनी पोइण्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं उनके आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मोशन का एडमिशन नहीं हो सकता न संविधान की तहत, न रूल १६१ में क्योंकि, अध्यक्ष महोदय ने किसी सदस्य को बाहर निकालने का आदेश नहीं दिया।

इस कानूनी लेकुना को फिल-अप करने के लिये यह प्रस्ताव हां पक्ष लाया है। जिसमें मान्यता है यहां पर कि हाउस, हाउस नहीं था, स्पीकर स्पीकर नहीं थे और यह तो एक वैसी मीटिंग थी। और अब सहारा लिया जा रहा है मनीराम बागड़ी के केस का। उस केस में तय हुआ लोक सभा में कि जो कुछ भी हो उसका हाउस बाद में नोटिस ले सकता है। अध्यक्ष महोदय, इस हाउस में दुर्व्यवहार हो उसका यह हाउस नोटिस ले सकता है, इस अधिकार को हम आदेश रूप से मानते हैं। लेकिन जैसा कि उस निर्णय में भी है, यह क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज है और क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज के नाते से यहां इस तरह का सब्सटेन्टिव मोशन नहीं आ सकता। यह मेरा निवेदन है।

यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज इस राजस्थान की विधान सभा में खूब डिस्कस हो—यह हमारी इच्छा है। हम इस बहस से भागना नहीं चाहते। हमारी यह भी इच्छा नहीं है कि इस बहस को स्थगित किया जाय। लेकिन मैं एक कानूनी मुद्दा उठाना चाहता हूं कि आज का दिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए नियत है। और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए दिन नियत किये जाने का प्रावधान नियमों में ही नहीं है, संविधान में भी है। संविधान कहता है कि स्पीकर लीडर ऑफ दी हाउस से सलाह करके दिन मुकर्रर करेंगे कि राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस कब होगी। आज का दिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के लिए मुकर्रर है। यह आर्टिकल १७६ इस बारे में बहुत साफ है—

"(2) Provision shall be made by the rules regulating the procedure of the House or either House for the allotment of time for discussion of the matters referred to in such address."

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो समय आज राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के लिए नियत है उस समय का कोई हिस्सा किसी दूसरे मोशन पर बहस करने के लिए निर्धारित नहीं हो सकता। आज आपकी यह मान्यता भी हो कि यह मोशन एडमीसिबल है, तो मोशन के दूसरे प्रोवीजन्स की तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, जिसके लिए आप टाइम मुकर्रर कर सकते हैं, आप दिन मुकर्रर कर सकते हैं कि उस मोशन पर बहस कब होगी। तो किसी मोशन को एडमिट करने का मतलब यह नहीं है कि सारी विधान सभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाय और

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

उस मोशन पर बहस शुरू हो जाय। उसके लिए कोई दिन या कोई टाइम मुकर्रर किया जाता है और उसका सम्पूर्ण रूप से प्रावधान है, रूल १२४ हमारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों का कहता है:

"The Speaker may, after considering the state of business in the House and in consultation with the Leader of the House, allot a day or days or part of a day for the discussion of any such motion."

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह एक बड़ा सवैधानिक मसला है जो इस मोशन के द्वारा डिस्कस सरकारी पक्ष करना चाहता है, जिसमें क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज इन्वोल्व्ड है, जिसमें राज्यपाल के अधिकारों का प्रश्न इन्वोल्व्ड है, जिसमें स्पीकर के अधिकारों का प्रश्न इन्वोल्व्ड है और उसमें यह प्रश्न भी इन्वोल्व्ड है कि क्या उस दिन माननीय राज्यपाल महोदय ने स्पीकर के अधिकारों का हनन करके कन्टेम्प्ट ऑफ हाउस नहीं किया? इतने महत्वपूर्ण मोशन पर बहस होनी है वह हिन्दुस्तान के लिए एक नजीर बनने वाली है क्योंकि, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्यपाल ने या हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति ने कभी यह हिम्मत नहीं की कि सार्जेन्ट-एट-आर्म्स को कहा हो कि फलां सदस्य को निकाल दो........

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): ऐसा भी कभी नहीं हुआ है।

श्री रामकिशन (वैर): हुआ है। नहीं हुआ है ऐसा उधर के लोग ही सोचते हैं। उत्तर प्रदेश में हुआ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: मुझे अफसोस है, अध्यक्ष महोदय, हमारे उधर के कुछ माननीय सदस्य सोचते हैं कि उनकी संख्या १०४ है इसलिए वे जो कुछ कर लेंगे वह जनतांत्रिक होगा। मेरा निवेदन है कि जनतांत्रिक केवल संख्या के बल पर नहीं हो सकता है। इसलिए जो जनतंत्र में निहित सिद्धान्त हैं उनके आधार पर आपकी मान्यता जो हो सकती है, आपकी मान्यताओं से हमारी मान्यता कुछ भिन्न हो सकती है। और भिन्न मान्यताओं के आधार पर, हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमने जो कुछ किया है इस विधान सभा में आप यह मत समझिये कि हमने बेहोश होकर किया है। हमने बहुत ही अपने सिद्धान्तों को, मन को, दिमाग को कंट्रोल कर किया है और जो कुछ हमने किया, हमने किया नहीं, राज्यपाल का आदेश पहले होता है, उन्होंने सार्जेन्ट-एट आर्म्स को बुलवाया तो हमने अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, हमारी मान्यता है कि राज्यपाल का कोई अधिकार हमको बाहर निकालने का नहीं है, हमने रेजिस्ट किया और रेजिस्ट करेंगे, यदि भविष्य में कभी कोई राज्यपाल इस प्रकार मौका देंगे, तो हम निश्चित रूप से कहते है कि हम रेजिस्ट करेंगे।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो निवेदन करना चाहता हूं, वह पहले नम्बर यह कि इस मोशन को अस्वीकार किया जाय; दूसरे यह कि यदि इस मोशन को स्वीकार करें, इसे एडमिट करें तो इस मोशन को सेपरेट डील करने के लिए टाइम और डेट मुकर्रर करें जिससे इस पर बहुत चिन्तन करने का, मनन करने का टाइम हमको मिले और सरकारी पक्ष को भी मिले और

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
इस दिन तक के लिए इस पर बहस स्थगित की जाय।

इस निवेदन के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री मानसिंह महार (आमेर)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष एक ऐसा मसला है जिसके सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप जो हैं, जिन्होंने यह हमारे सामने एक सब्सटेंटिव मोशन रखा है, उन्होंने इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह से नहीं समझा है, मैं यह मान कर चलता हूं। मैंने जब तक उनकी जुबान से यह नहीं सुना था कि राज्यपाल जब अपना अभिभाषण दे रहे थे उस समय हाउस सेशन में नहीं था तब तक तो मैं फिर भी उनकी बात को मानता, लेकिन जब उन्होंने यह फैसला दे दिया कि हाउस सेशन में तब आया कि जब २० मिनिट के रिसेस के बाद हम फिर मिले और हमने शोक-प्रस्ताव पास किया, तब से हाउस सेशन में आया। इससे मैं समझता हूं कि यह मामला बहुत उलझ गया और इस उलझन का एक ही कारण है कि हमारे राज्यपाल महोदय ने एक कॉन्स्टीट्यूशनल गलती की और हमारी कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप ने उस कॉन्स्टीट्यूशनल गलती को छिपाने के लिए एक दूसरी कॉन्स्टीट्यूशनल गलती की। यह बहुत क्लीयर है। आज से नहीं, मैं १९५२ में भी, अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा का सदस्य था, तब से हमको·······

**श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी)** : बीच में रिसेस होता है।

**श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक)** : आधे घंटे का।

**श्री मानसिंह महार** : तब से हमको सेशन बुलाने का सम्मन जाता है, उसके अन्दर जो लफ्ज़ हैं वे आप देख लीजिये, उनमें आज भी कोई अन्तर नहीं है। वही एक पद्धति है, वही लफ्ज़ हैं। यह सेशन जिस दिन से बुलाया जाता है उसके दो दिन पहले से हमको टी. ए., डी. ए. मिलता है, यह नहीं कि हमको मिलता नहीं। आप देखिये, इसमें अहम् चीज है वह यह है, १९५२ से लेकर आज तक दो-चार बार ऐसा हुआ हो तो मैं कह नहीं सकता कि जब गवर्नर साहब का अभिभाषण हो गया हो और उसके १५–२० मिनिट का रिसेस होने के बाद दुबारा हाउस को बुलाया गया हो। मैं एक-दो बार की नहीं कहता, मैं आपसे कहता हूं कि चौदह वर्ष के अन्दर दस बार गवर्नर महोदय ने अपना एड्रेस पढ़ा है और उसके बाद हाउस एड्जोर्न हो गया। यह आप देख लीजिये, १९५२ से आपको बताता हूं और तब से हम लोग, जिस दिन से सेशन चालू होता है, गवर्नर जिस दिन हाउस को एड्रेस करता है, उसके दो दिन पहले से टी. ए., डी. ए. ड्रॉ करते हैं। तो इसमें कोई डिफीकल्टी नहीं है। सेशन चालू हो गया। अब गवर्नर साहब ने कोई गलती की—वह दूसरी चीज है। मगर उसको शील्ड मत कीजिए। वह एक कॉन्स्टीट्यूशनल पोइन्ट है। उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हाइएस्ट ऑथोरिटीज़ को एग्जामिन करने दीजिये। लेकिन उस गलती को छिपाने के लिए आप कहें कि उस समय सेशन चालू नहीं हुआ था—तो इस चीज़ को मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। यह मेरा निश्चित

(श्री मानसिंह महार)

धारणा है कि सैशन जब से गवर्नर महोदय हमको सम्मन्स भेजते हैं, और जिस तारीख से और जिस समय के लिए भेजते हैं, तब से चालू हो जाता है। यह सम्मन का पत्र है, इसकी भाषा को आप पढ़ लीजिये और देख लिजिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें है, "विधान सभा भवन, जयपुर दिनांक ........ भारत के संविधान के अनुच्छेद १७४ खंड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय ने राजस्थान विधान सभा का अधिवेशन विधान सभा भवन, जयपुर में आहूत करने का आदेश दिया है तथा शनिवार दिनांक २६ फरवरी को ११ बजे उक्त अधिवेशन के प्रारम्भ होने का समय निश्चित किया है। अतः आप श्री मानसिंह उक्त स्थान पर तथा उक्त दिन को विधान सभा के अधिवेशन के लिए आहूत किये जा रहे हैं।"

**श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :** प्रारंभ है।

**श्री रामकिशन (वैर) :** प्रारम्भ हो गया

**श्री मानसिंह महार :** इसलिए मैं आप से निवेदन करूं कि यह बहुत क्लीयर है। मैं यह कहता हूँ कि जो कुछ हुआ २६ तारीख को उसके लिए हमारी पार्टी और जनसंघ के नेता ने एक अलग से प्रस्ताव भी दिया है कि उसके लिए हमको अफसोस है, दुख और मैं समझता हूं कि इधर बैठने वाले हमारे मित्र भी हैं इसमें कोई भी नहीं करेंगे हिचकिचाहट........

**श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर):** किनको नहीं होनी चाहिए? अन्याय किया है उनको भी होनी चाहिए।

**श्री मानसिंह महार :** मैं उस पर आ रहा हूँ, मुरलीधरजी, आप घबराइये नहीं। उनको रिग्रेट करनी चाहिए और यह एपीसोड खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन यह एपिसोड यहीं खत्म होने वाला नहीं। अगर वे भी रिग्रेट शो कर दें तो, यह कॉन्सटीट्यूशनल पोइन्ट है, जैसे ही यह सदन मिला इस सदन की कार्यवाही प्रारंभ हुई। हमारे लिये तो आप सुप्रीम अॉथेरिटी हैं। आप अगर उन सदस्यों को बिठाना चाहते या आप उन सदस्यों को निकालना चाहते और निकाल देते तो हमको कोई एतराज नहीं था। आप हमारे लिये सुप्रीम अॉथोरिटी है। हम आपके आदेशों को शिरोधार्य करते हैं और उनको मानने में हम किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं करते। लेकिन मैं सही अर्ज करना चाहता हूं कि जिस समय गवर्नर महोदय ने "अॉर्डर! अॉर्डर !!" कहा उस समय मुझे बहुत अखरा कि आज यह क्या हो रहा है? डेमोक्रेसी आज राजस्थान में नये तरीके से पैदा हो रही है और जब गवर्नर महोदय ने हमारे साम्यवादी और समाजवादी सदस्यों को एक एक करके बाहर निकाला; बाहर निकालना, यह कोई नई घटना नहीं। मै कहता हूं कि आपने या आपकी जगह पर मनोनीत किये गये व्यक्ति द्वारा निकाला जाता तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन गवर्नर साहब ने अपने हाथ में पॉवर्स ले लिये। कुछ लोगों की यह मान्यता है कि यह विधान के विपरीत था। मैं यह नहीं समझता, हमारे अध्यक्ष महोदय भी ऐसा ही करते, यदि कोई उनकी शान के विपरीत था। हमारे अध्यक्ष भी वही करते, मगर उन्होंने सारे पॉवर्स अपने हाथ में ले लिये। उनको मैं, जिन लोगों ने गवर्नर महोदय को भाषण नहीं देने दिया, उनको

(श्री मानसिंह महार)

मैं ताइद नहीं करता, मैं कहता हूं कि वे गलत थे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होता हमारे इधर बैठने वाले मित्रों ने गलती की तो उस गलती के लिये गवर्नर भी गलती करते। वे आपको कहते कि आप जरा सदन को कन्ट्रोल में कीजिये, यह बात तो मान्य हो सकती थी, मगर यह बात नहीं होकर यह नई बात पैदा हो गई। दुःख इस बात का है कि हमारे लॉ मिनिस्टर, लॉ ग्रेजुएट हैं लेकिन इस पर किसी प्रकार का प्रकाश डालने में असमर्थ हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एडवोकेट जनरल को इसके लिए बुलाइये या सुप्रीम कोर्ट को रेफर कीजिए। यह एक बहुत ही अहम कॉन्सटीट्यूशनल मसला हो गया है। आप कहते हैं कि हाउस सशन में नहीं था। मैं यह कहता हूं कि कांग्रेस के चीफ व्हिप को अपने यह शब्द वापिस लेने चाहिए। जिस समय गवर्नर आते हैं और जब House is in Session, इस प्रकार की बात कांग्रेस व्हिप ने कही है, मैं समझता हूं कि उन्होंने यह ना समझी से कही है और यह सरासर गलत है और अगर इस गलती को फिर सदन में दौहराते हैं तो मैं यही कहूंगा कि वे गलती करेंगे और गलत परम्परा डालेंगे। एक गलती गवर्नर महोदय ने की, लेकिन इस गलत फहमी में कोई सही इंटरप्रिटेशन आपके सामने नहीं आया।

दूसरी गलती यह हुई की दुबारा २० मिनट बाद जब मीट किया उनको उपस्थित नहीं होने दिया जाना चाहिए था। लेकिन वे उपस्थित ही नही हुए उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने दी गई, जिसको मैं कॉन्सटीट्यूशनली बहुत गलत समझता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें किसी की गलती भी नहीं क्योंकि मामला बहुत पेचीदा है।

इंग्लेन्ड में, जहां से हमारे संविधान को बनाने के लिये प्रेरणा मिली है. इस प्रकार की घटनाएं कभी नहीं हुईं कि जब कभी किंग या क्वीन पालियामेंट को एड्रेस करने के लिये हों और किसी सदस्य को निकाला गया हो। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां पर तो नजारा ही कुछ और है। वहां पर जो भी शासक पालियामेंट को एड्रेस करने के लिये आते हैं वे हाउस ऑफ लॉर्ड्स से हाउस ऑफ कोमन्स को आते हैं और दो बार दरवाजा खटखटाते हैं और उसके बाद स्पीकर महोदय कहते हैं "C m in"। जब स्पीकर महोदय की इजाजत होती है तो पालियामेंट में जाकर अपना एड्रेस सुनाते हैं।

हमारे यहां पर भी आप दरवाजा बन्द करदें और गवर्नर, जब तक आप हुक्म न दें कि आप अन्दर पधारो. न पधारें। मगर हमारे यहां पर अलग बात है। आप दरवाजे पर पधार जाते हैं और उनको रिसीव करके लेकर अपने पास में बिठाते हैं। मैं कहता हूं कि भारत के संविधान के बनाने वाले लोग ऐसे थे कि उन्होंने इस प्रकार की इज्जत प्रदान की, इसका मतलब यह नहीं कि जब वे भाषण देने आवें तो सुप्रीम अथोरिटी बन जाएं और अध्यक्ष को भी नहीं पूछें। कुछ लोगों की मान्यता है कि उनको पॉवर्स वेस्ट कर दिये गये। इसकी भी दलीलें देता हूं कि जिस प्रकार के पॉवर्स लेजिस्लेशन में गवर्नर को वेस्ट हैं उसी प्रकार के पॉवर्स हाई कोर्ट में भी वेस्ट करते हैं। इसका

(श्री मानसिंह महार)

मतलब यह नहीं होता कि हाई कोर्ट में वे मुग्रायना करने को जावें और हाई कोर्ट के जजों को जो फैसला देते हों यह कहें, Please Keep quiet

श्री रामानन्द अग्रवाल : That has been done here.

श्री मानसिंह महार : रामानन्दजी खुश हो रहे हैं। मैं उनको डिफेन्ड नहीं करता हूं। यह एक आदमी की ही सारी करतूत है और एक आदमी को ही सजा देनी चाहिये।

श्री रामानंद अग्रवाल : पहले सदन के अधिकारों की रक्षा करें और फिर सदन कोई सजा देदे तो कोई बात नहीं। लेकिन गवर्नर को अधिकार नहीं है।

श्री मानसिंह महार: एक गलती हुई। मैं यह नहीं कहता हूं कि हम उस गलती को छिपाने की सजा न दें। मैं कहता हूं कि कांग्रेस के चीफ व्हिप यह कह दें कि हमने गलती से कह दिया कि ११ बजे आवें।

एक माननीय सदस्य : ऑर्डिनेन्स निकला है।

श्री मानसिंह महार : ऑर्डिनेन्स ने तो यह सब किया ही है।

उसके बाद सदन के नेता सबस्टेन्टिव मोशन दें। उसके बाद होना चाहिये। लेकिन यह जो लीगल पोइन्ट लड्ढाजी ने रख दिया था, बहुत ही गलत है और जल्दबाजी में फैसला दे दिया कि हाउस सेशन में नहीं है।

श्री रामकिशन (वैर) : इनके फैसले से क्या होता है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उन्होंने कहा है कि हाउस सिटिंग में नहीं था।

श्री मानसिंह महार : मतलब यही था। विधान सभा उस समय शुरू नहीं हुई थी और विधान सभा शुरू तब हुई जब आपने शोक प्रस्ताव रखा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बात कहना कतई गलत है और संविधान को नहीं समझना है। भारत के १६ विधान हैं ? इस प्रकार की बातें कहते हैं वे इसको समझते नहीं हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह बहुत ही अहम् विषय है और इस पर चाहिये तो यह था कि सरकार रात भर में विचार करती, कल एतवार का दिन भी मिला था। लॉ डिपार्टमेन्ट से राय लेती।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ले ली।

श्री मानसिंह महार : कुछ नहीं, यह बिल्कुल बेकार है। अगर वे इस पर अपनी राय नहीं दे सकते तो मैं कहूंगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर को लॉ डिपार्टमेन्ट के सेक्रेट्री को डिस्मिस करना चाहिये और अगर राजस्थान सरकार के पास इतनी छोटी सी बात को डील विद् करने के लिये कोई आदमी नहीं हो तो इनकेपेबिलिटी को मान लेना चाहिये और इसे मान कर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना चाहिये।

मैं आपसे कहता हूं कि इस मसले को और आगे रेफर कीजिये। यह मसला यों ही हल होने वाला नहीं है। सदन के माननीय सदस्यों को एक के बाद एक को सदन से निकाला गया। गवर्नर साहब हमारे सदन

# Page No. 69



(श्री मानसिंह महार)

के सदस्य नहीं हैं, वे हमारे माननीय अतिथि होते हैं, कॉन्स्टीट्यूशनल हैड होते हैं पर जहां तक इस सदन के सदस्यों का सवाल है, he is a stranger to this House.

मैं कहता हूं उनके अधिकार लिमिटेड है. हमारे संविधान में उनको कितने अधिकार हैं वे डिफाइन्ड हैं। वे उनसे अलग जाते हैं तो वह गलत है। यह मसला क्योंकि उठ गया; चाहे जान में उठा हो, चाहे अनजान में उठा हो, उठ गया है तो इस मसले को आगे रेफर करके करना चाहिये और मुख्य मंत्रीजी अपने चीफ व्हिप के नासमझी के जो शब्द हैं उनको वापिस लें। अगर यह नहीं हो तो इस हाउस की एक कमेटी बना दीजिये और अगर आप यह कहते हैं कि आपकी कमेटी की रिपोर्ट कई दिनों में आयेगी तो आपका मोशन, लड्ढा साहब अपने शब्दों को वापस ले लें और इसके बाद में इस मोशन पर बात करने की बात हो सकती है। पर जब तक चीफ व्हिप का यह कहना है कि मीटिंग नहीं थी उस दिन हाउस की तो क्या खेल-कूद हो रहा था. अगर खेल-कूद था तो हमारे सदन के सदस्यों को जो जंचा वह किया, क्या अधिकार था किसी को?

पहली बात तो यह कि हमारे सदन की वह सिटिंग थी, कॉन्स्टीट्यूशनल सिटिंग थी। इस मसले को रखा है तो इसे आगे रेफर किया जाय, क्योंकि यह कॉन्स्टीट्यूशनल मसला है। हम ताड़ना जरूर हमारे मित्र को देंगे। क्योंकि हमारे मित्र हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि लड्ढा साहब ने जो मंशा रखी है वह साफ करें।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

**श्री अध्यक्ष** : अब काफी बहस हो चुकी है।

**श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक)** : एक पोइन्ट रखना है.........

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर)**: एक कॉन्स्टीट्यूशनल पोइन्ट रखना है.........

**श्री अध्यक्ष** : कोई नया पोइन्ट जो नहीं आया है वही रखें।

(विराम)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : अध्यक्ष महोदय, मनीराम बागड़ी के केस को इसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में रखूंगा तब निवेदन करूंगा........

**श्री अध्यक्ष** : अभी किस पर बोल रहे हैं?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : एडमिसिबिलिटी के बारे में। उस केस के कन्क्लूजन्स ड्रॉ हुए हैं, उसमें साफ लिखा है :

"The Committee has no doubt that the action of Shri R.S. Yadav, M. R. Bagri and B. N. Mandal in interrupting the Presidents' delivering his address to the members of Parliament was deliberate and pre-meditated and pre-conceived."

जिस स्थिति का जन्म हुआ और जिसके लिये 'अशोभनीय', 'निंदनीय' ऐसे शब्द

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
माननीय लड्ढा साहब ने प्रयोग में लिये हैं, उस स्थिति का जन्म कब हुआ ?

**श्री अध्यक्ष :** इस प्रस्ताव की वैधानिक आपत्ति के बारे में बोलें ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** मैं उसी पर आ रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष :** उस पर आप एकदम आजाइये, आप तो सारी घटना के बारे में बोल रहे हैं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** यह बताना आवश्यक है कि गवर्नर को पॉवर्स आर्टिकल १५४ के तहत दिये हुए हैं, वे कॉन्सटीट्यूशन की इस किताब में साफ हैं--

"Executive power of State...."

एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंन्ट दे रखा है, जिसमें क्लीयरली कहा हुआ है कि जो इसके आर्टिकल १६३ के सम्बन्ध में रेफर किया है। गवर्नर साहब के पॉवर्स के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं :

"154. Executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution. Nothing in this article shall be deemed to transfer to the Governor any functions conferred by any existing law or any other authority."

ये गवर्नर साहब के पॉवर्स डिफाइन्ड हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट इसमें मौजूद है कि एक ब्रांच दूसरी ब्रांच में इन्टरफियर नहीं कर सकती। माननीय सदस्य ने कोई बात कहनी चाही, जब आपके पॉवर्स के सम्बन्ध में आर्टिकल १८१ साफ है; केवल एक समय होगा जब आप प्रिसाइड नहीं करेंगे, वर्ना कोई ओकेजन ऐसा नहीं है जब कि यह माना जाय कि अध्यक्ष प्रिसाइड नहीं कर रहे हैं। जिस समय राज्यपाल महोदय हाउस को एड्रेस करने आये उस समय आप प्रिसाइड कर रहे थे। कुछ माननीय सदस्यों ने पोइन्ट ऑफ आॅर्डर रेज किया, उस समय गवर्नर साहब ने आपके अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया, उससे प्रोवोकेशन हुआ। उस समय हाउस के मार्शल को बुला कर रामानन्दजी अग्रवाल को नहीं निकालते तो अध्यक्ष महोदय अपनी परम्परा के अनुसार अधिकारों को काम में लेते। इस हाउस के प्रिविलेजेज का हनन उनके द्वारा ही नहीं हुआ, इस हाउस के मार्शल ने ऐसे व्यक्ति के ऑर्डर को ओबे किया जिसके ऑर्डर को उसे ओबे नहीं करना चाहिये था। आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इस हाउस के मार्शल को ऑर्डर कर सकते हैं, गवर्नर साहब को कोई अधिकार नहीं है। उनका अधिकार किसी को दिया नहीं जा सकता, किसी को सुपुर्द नहीं किया जा सकता, एक ब्रांच दूसरी ब्रांच में इन्टरफीयर नहीं कर सकती, लेजिस्लेचर में एग्जीक्यूटिव इन्टरफियर नहीं कर सकती, जुडीशियरी में कोई दूसरी ब्रांच इन्टरफियर नहीं कर सकती। आर्टिकल १५४ से यह क्लीयर हो जाता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह सब्स्टेन्टिव मोशन आया है यह प्रिविलेज के मोशन को इन्वोल्व करता है और मोशन की एड्मिसिबिलिटी के अन्दर रूल १२१ इस प्रोसीजर का बहुत क्लीयर है कि कोई भी इश्यू, आपके प्रिविलेज का,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हाउस के प्रिविलेज का, हाउस के मेम्बर्स के प्रिविलेज का हनन हुआ है, वह केवल गवर्नर के द्वारा ही नही बल्कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा हुआ है जो इस हाउस का मार्शल है, जिसने हाउस के प्रिविलेजेज़ का हनन किया है। बागड़ी के केस में प्रिविलेज का इश्यू माना है, हाउस द्वारा कमेटी फॉर्म की जाकर उसके द्वारा।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार सब्स्टेन्टिव मोशन मूव नहीं हो सकता।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर)** : अध्यक्ष महोदय, आज की बहस के दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्राउन और कॉन्स्टीटयूशन का जिक्र हुआ। यह बिलकुल सही है कि हमारी सारी सिच्युएशन, कॉन्स्टीट्यूशन, ब्रिटिश पद्धति को लेकर बनाई गई है और उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। पर जो कन्क्लूज़न्स उनसे निकाले गये उनके बारे में मुझे सन्देह है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह दलील बार-बार दी, जोर से दी, कि हाउस को सबसे बड़ी मान्यता है, किंग को उसके बाद में मान्यता दी गई है, पार्लियामेंट को सबसे बड़ी मान्यता दी है।

इसी सिलसिले में एक और बात आपके सामने निवेदन कर दूं कि ब्रिटिश संविधान का जो हमने जिक्र किया तो वह बहुत ही छोटी सी चीज है उसका बड़ा अंग तो कन्वेन्शन्स हैं और उनका महत्व तो किसी तरह से घटाया नहीं जा सकता।

**श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)** : वहां संविधान नहीं है। कन्वेन्शन्स ही सब कुछ हैं।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : उन कन्वेन्शन्स के नीचे यह चीज है कि आप क्राउन की इन्सल्ट न करें।

जो क्राउन की मिसाल है—He is an embodiment of the will of the people. जो क्राउन की पोजीशन है वह बाहरी आदमी में नहीं है, वह एम्बोडीमेंट हमारी विल का है, हमारी एक सुप्रीम एम्बोडीमेंट है। इसलिए यह कहना कि हम क्राउन को गालियां दे सकते हैं या उसके रिप्रेज़ेन्टेटिव की अवहेलना या उनकी इन्सल्ट कर सकते हैं, इन पुरानी चीजों की दलील देने की जरूरत नहीं।

इस समय दो सवाल मेरे दिमाग के सामने आते हैं। एक चीज यह कि क्या राज्यपाल की इन्सल्ट करने में माननीय सदस्यों ने कोई गलत काम किया या नहीं? क्या इस बारे में सदन में दो राय हैं? मेरे ख्याल से इस बारे में सदन में दो राय नहीं हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : That is not the question.

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : मैंने आपकी दलीलें बड़े ध्यान से सुनीं। आप भी सुनिए। इस बारे में दो राय नहीं हैं ....

**श्री रामानन्द** : दो राय हैं; निश्चित है।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना)**: गवर्नर पद की इन्सल्ट हुई या पर्सन की हुई.......

**श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर)** : राज्यपाल से बड़ा संविधान है, उसकी इज्जत बढ़ी।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : जिसके बारे में अपनी जानकारी या बिना जाने-बूझे पोइंट को घुमाते हैं वह पेश करता हूं कि ऑफेन्स हुआ या नहीं। आपका कहना है कि स्पीकर के पॉवर्स गवर्नर ने रिजर्व रखे। सजा देने का सवाल तो दूसरा है, पहले whether the offence was committed or not ऑफेन्स कमिट हुआ है। उसमें दलील यह है कि सजा गवर्नर महोदय न देकर अध्यक्ष महोदय देते, तो यहां यह भी हमारा अधिकार है कि संविधान के अनुसार गवर्नर जो संदेश देते हैं उसे आदरपूर्वक हम सुनें। हमको आपने सुनने नहीं दिया....

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : सिटिंग शुरू हुई या नहीं, यह पोइंट है।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : अगर आपको मेरा कहना कडु भी लगे तो भी आप सुनने की कृपा करें। आप सड़क पर जाते हैं, आप एक्सीडेंट करते है, किसी की जान चली जाती है। आप कहते हैं कि पुलिस ही पकड़ती, बाहर वाले आदमी ने क्यों पकड़ा? उस मामले में आपकी दो राय हो सकती हैं, लेकिन जहां तक सवाल है ऑफेन्स का वह प्रिसीड करता है। आप दलील दूसरी देते हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : दूसरे पकड़ सकते हैं, लेकिन चालान पुट-अप नहीं कर सकते।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : मेरा निवेदन यह है कि हाउस जो विल ऑफ दी पीपुल को रिप्रेजेंट करता है और उनके एम्बोडीमेंट की इन्सल्ट हुई है, इसमें दो राय नहीं। साथ ही साथ जो आपोजीशन के नेता ने कहा कि जिस तरह का प्रावधान है उसमें कुछ कमी कर दी जाय....

**श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)** : यह मर्सी पिटीशन नहीं है।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : यदि हमारा अपने संविधान से प्रेम है तो हमें इन चीजों को पैसिवली नहीं देखना चाहिए। इस इन्स्टीट्यूशन की इज्जत बनाने के लिए जो भी उचित कार्यवाही हो वह आप करें।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर)** : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व मेरिट्स पर काफी आर्ग्यूमेंट्स आपके सामने आए, लेकिन असली मसला यह है कि माननीय सदस्यों को निलंबित करने का जो प्रस्ताव विचारने जा रहे हैं, वह कहां तक उचित है? अपनी-अपनी विचारधाराओं को लेकर जिस विषय पर आवश्यकता नहीं थी उस पर चर्चा कर दी और दलील दी जाती है कि ऑफेन्स हो गया, तो संविधान के अन्तर्गत जिस आदमी को अधिकार दिए गए हैं वे ही काम करें। इस प्रजातंत्र में, Right is might, and might is not right." जो सही बात है, जो संविधान कहता है, जो कानून और नियम कहते हैं, वह सच बात है और इसके विपरीत शक्ति से यदि कोई कार्य करना चाहे तो चलने वाली चीज नहीं है और उसको हम राइट नहीं कह सकते। किसी भी

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

संकल्प को लाने के लिए, बिल पर विचार करने के लिए, ऑर्डिनेन्स पर विचार करने के लिए नियम बने हुए हैं। अगर कोई भी नियम रूल्स ऑफ प्रोसीजर में नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी के व्हिप ने जिस प्रोविजन को बताया कि "inherent powers of the Speaker" वह क्या चीज होती है ? कानून में भी है inherent powers of the Court १५१ जाब्ता दीवानी और उसको कैसे एक्सरसाइज किया जाता है और आप अपनी इन्हेरेन्ट पॉवर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं, ऐसी अनुमति दे सकते हैं या नहीं, या केवल जो चीज आपके सामने कागज पर आगई, वही सही तरीका है। इस दृष्टिकोण से मैं कहता हूं कि रात-दिन ऐसे मसले आते हैं, अदालत के सामने कागजात आते है, दस्तावेज डाले जाते हैं, अब वे डॉक्यूमेंटस एडमिसिबल इन्टु ऐवीडेन्स हैं या नहीं यह अर्ज कर देना चाहता हूं, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट को लेकर मैंने कोर्ट के सामने डाल दिया और डाल देने से कोर्ट ने अपने दस्तखत कर दिए और हुक्म भी कर दिया और हाकिम ने मोहर भी लगा दी तो वह डाक्यूमेंट अगर कानून की दृष्टि से एडिमिसिबिल इन्टु एवीडेंस नहीं है तो इन्एडमिसिबिल करार दिया जाता है। ऐसी दलील....

श्री अध्यक्ष : इसके आगे बहस कीजिए।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : एडमिसिबिलिटी के लिए रूल्स है जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में हैं। उन रूल्स के तहत यह होता है कि सस्पेंड हो जाय तो उसके बाद हाउस को पॉवर्स होती है कि कन्सीडर किया जाय। "In view of the express provisions of the law, the inherent power which is going to be exercised that is the judicial pronouncement."

और इस ज्युडिशियल प्रनाउन्समेन्ट्स का सहारा लेते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि क्योंकि हमारे स्पीकर महोदय स्वयं कानून के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, वे जानते हैं कि कानून का इन्टरप्रिटेशन कैसे किया जाता है; इन्टरप्रिटेशन करने से पहले आप यह नहीं भूलेंगे कि एक्सप्रेशन आपके सामने है। आप निलम्बित कर सकते हैं। शक्ति जो है उसको हम चैलेन्ज नहीं कर सकते। लेकिन उस शक्ति को किस प्रकार काम में लाना चाहिये, उसकी उपदेयता कैसी होनी चाहिये, उसका उपयोग कैसे होना चाहिये, यह एक प्रोसीजर का सवाल है, जिद्द का सवाल नहीं है। किसी रास्ते जाना है तो रास्ते रास्ते क्यों नहीं जाया जाय; जंगल, पहाड़ और समुद्र को लांघने की क्या आवश्यकता है? नियम, रास्ते आपके सामने बने हुए हैं तो उनको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। नियमों में इन्हेरेन्ट पॉवर को नहीं तोड़ा जा सकता, जो उसमें हैं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर ( बांदीकुई ) : अध्यक्ष महोदय, दो बातें सदन के सामने अब तक वाद-विवाद में आयी हैं। २६ तारीख को जो मीटिंग हुई थी वह राज्यपाल एज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हैड के नियन्त्रण में थी या स्पीकर के ? दलीलें देकर जो विरोधाभास क्रियेट किया गया है कि उस रोज मीटिंग थी, मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा न कह कर इस पर जो दो रूलिंग्ज हुई हैं उनकी तरफ आपकी तवज्जोह दिलाऊंगा।

"In India the Speaker on his election has not to claim any privi-

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

leges from the constitutional head of the State, since they are guaranteed by the statute or Rules of procedure. But he is looked upon as the protector and safe custodian of the rights and privileges of the House as well as of individual members."

माननीय अध्यक्ष, यह हाउस ऑफ कॉमन्स की वोल्यूम के पेज ४२ पर है।

इन दो को रेफर करते हुए माना कि यह जो सवाल है उस रोज राज्यपाल महोदय कॉन्स्टिट्यूशनल हैड होने के नाते यहां थे और स्पीकर महोदय का उस दिन कोई ज्युरिस्डिक्शन नहीं था, यह दलील दी जा रही है, यह बिल्कुल गलत है। इस पर काफी विवाद हो कर इंगलिश लॉ और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के क्या राइट्स हैं इसको डिस्कस करते हुए दलील दी है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेम्बर्स के राइट्स का प्रोटेक्टर है। इसलिये राज्यपाल सब कुछ नियन्त्रण कर रहे थे, यह बात राइट नहीं होती है। स्पीकर महोदय का ही नियन्त्रण था, चाहें राज्यपाल कॉन्स्टिट्यूशनल हैड होते हुए भी यहां हों। मीटिंग वह नहीं थी, यह कह कर ताबीर करके मौका दे दिया, उसके लिए यह दलील है कि सदस्यों को नोटिस मिला २६ तारीख को ११ बजे उपस्थित होने का सेक्शन ३ के अन्तर्गत, सेक्रेटरी श्री अनोप सिंह का। रूल ३ के अन्तर्गत हम यहां आये। वह राज्यपाल का है या और किसी प्रिसाइडिंग ऑफिसर का है उसके तहत हम यहां आये। सेक्शन ३ के अन्तर्गत हम यहां आये। रूल ३ को किस प्रकार कन्डक्ट किया जाय और कौन प्रिसाइड करेंगे, यह सेक्शन ३ के बाद आता है। रूल ३ :

"When a session of the Assembly is summoned, the Secretary shall intimate to each member the time and place appointed by the Governor for the meeting of the Assembly and shall cause a notification to be issued in the Gazette."

उसके बाद रूल ११ है :

"A sitting of the House is duly constituted when it is presided over by the Speaker or any other member competent to preside over a sitting of the House under the Constitution or these rules.

तो २६ तारीख को रूल ३ के नोटिस के तहत हम आये, उसकी ११ के अन्दर ड्यूली कॉन्स्टीट्यूटेड मीटिंग जब होगी जब स्पीकर प्रिसाइड करे या उनके द्वारा अधिकृत मेम्बर प्रिसाइड करे। उसी प्रकार रूल १२ है :

"Section 12—The House shall sit on such days as the Speaker, having regard to the state of business of the House, may from time to time direct."

उसके बाद सेक्शन १५ है, स्कोप ऑफ डिस्कशन। इन तीनों चीजों का नियन्त्रण करने के लिए सेक्शन ३, ११ व १५ हैं, उनके तहत में किस प्रकार सिटिंग कॉन्स्टिट्यूट होगी उसको इन रूल्स में दिया है। ११ बजे २६ तारीख को जो मीटिंग हुई वह सेक्शन ३, ११ व १५ के तहत में थी, तो कोई माने नहीं कि सेक्शन २९१ और २९२ अपनी जगह लागू न हों।

मेरे ख्याल से यह सब कुछ ताबीर की है। सेक्शन १२१ के तहत हाउस में किसी

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

तरह का मोशन आ सकता है उससे बचत के लिए यह तावीर कर दी गई। उसमें यह है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेज का मोशन आवेगा तो १२१ के अन्तर्गत नहीं आ सकता। चूंकि यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेज का मोशन था और १२१ में वह कवर-अप नहीं होता था, इसलिये उस दिन की मीटिंग को मीटिंग ही नहीं बताया। दो मुद्दे हैं। उनका कार्य इतने तक ही सीमित था कि वे आकर सन्देश दें। उस दिन की मीटिंग स्पीकर महोदय के द्वारा ही रेगुलेट होनी चाहिए थी और इन रूल्स के अन्तर्गत ही कार्यवाही कन्डक्ट की जानी चाहिये थी।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और विचार करेंगे। जिस वक्त इस प्रस्ताव को रखा जाता है इस हाउस को इन्हेरेन्ट पॉवर्स हैं, उसकी दलील दी जाती है, लेकिन इस रिजोल्यूशन में यह आखिरी रिलीफ चाहते हैं कि मेम्बर्स को उस सजा के तहत निलम्बित कर दिया जाय, निष्कासित कर दिया जाय। वह वही रिलीफ है जो सेक्शन २९२ के अन्तर्गत है। केवल डिस्कशन हाउस में करें और हाउस जो चाहे सजा दे, इतना ही रख कर चलते तो ठीक है; हाउस को पॉवर्स है जो चाहे सो करे। आपने दादरसी चाही, रिलीफ चाही, यह २९२ के तहत चाही। सजा दिलाना चाहते हैं तो सेक्शन २९२ अपनी जगह आता है। सेक्शन २९१ के तहत नेम आउट करने की बात मानी जाय तो उस दिन हाउस ऑफ दी हे से विदड्रॉ करने की बात भी सही नहीं उतरती है, क्योंकि आधा घण्टे बाद ही हाउस ओपरेट हुआ तो वे ही माननीय सदस्य हाउस में आये और वे बोले।

इन दलीलों को देखते हुए मेरा निवेदन है कि यह दलील दी गयी कि उस रोज मीटिंग नहीं थी, इसलिए इसका औचित्य सही नहीं है।

(३.०० म.प.)

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की एडमिसिबिलिटी पर बहस करते हुए कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। ज्यादातर ने गवर्नर के कन्डक्ट को लेकर, गवर्नर द्वारा की गई कार्यवाही को लेकर अधिक विचार व्यक्त किये गये, जिसका इस प्रस्ताव की एडमिसिबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी सदन के समक्ष जो विचार आये हैं उसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न करूंगा।

सबसे पहिले यह बतला दूं कि यहां पर मीटिंग और सेशन, इन दो शब्दों के बीच में क्या फर्क है। इन दोनों शब्दों की वैधानिक पोजीशन क्या है? विधान सभा के सेशन से क्या मतलब है, इसको स्पष्ट करना आवश्यक है। हम २९ तारीख को, We were in this House but still we were outside from the House and we were more so in the House; यह पोजीशन हम अण्डरस्टेन्ड कर लें तो इसका सारा महत्व मालूम हो जायगा। कानूनी तौर पर देखा जाय तो हम विधान सभा की बिल्डिंग में भी थे और बाहर भी थे। बाहर रहने की स्थिति में जो हमारी स्थिति थी उसी प्रकार बिल्डिंग के भीतर रहते हुए भी वह स्थिति होती।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : तो क्या हम यहां होते हुए भी नहीं थे, तो क्या भुतहा महल है क्या?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : यहां थे भी और नहीं भी····

**श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०)** : तो वैसी हालत में वह घटना हुई भी और नहीं भी हुई।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : मैं अर्ज कर रहा था कि हम इस बिल्डिंग के अन्दर थे, विधान सभा में थे, वैसी हालत में गवर्नर को अधिकार है कि वे आदेश दे सकते हैं। By matter of convenience we were in this House and not by matter of legislation वे चाहते तो इस भाषण को अपने घर पर भी दे सकते थे, अन्य स्थान पर भी दे सकते थे. By matter of convenience we were in this House and not by matter of legislation. सन् १९५४ में भी जब राजस्थान में भूतपूर्व गवर्नर थे उन्होंने अपने यहां शामियाना लगाकर वहां पर विधान सभा को मेसेज दिया था।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** : हाउस से मतलब आप बिल्डिंग का नहीं लेते हैं क्या ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : विधान सभा की डेफीनिशन में वह नहीं आता, बिल्डिंग में तो हम थे। "मीटिंग" और "सैशन" अगर इनका अर्थ स्पष्ट हो जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि हम मीटिंग में नहीं थे। We were meeting here but it was not a meeting. We assembled here to hear the Address what he wanted to inform us. उसके लिये हम एकत्रित हुये थे। It was not a meeting as defined by our rules of procedure. It was not a meeting as defined in it. We were not sitting as required by our rules.

रूल ११ का जो हवाला दिया गया है उसके लिये हमारे रूल्स ग्रॉफ प्रोसीजर यह बतलाते हैं कि मीटिंग कब से शुरू होती है, किस तरह से कार्यवाही हो, उसे मीटिंग माना जाय।

हमारे संविधान में इस बारे में लेकुना है, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि हमने अब तक सिटिंग किसको कहा है, गवर्नर की पोजीशन को हमने क्या माना है ? इस विधान सभा का अधिवेशन जब शुरू होता है उससे पहले गवर्नर का एड्रेस होता है। हमारे यहां क्या परम्परायें रही हैं उस बात को अगर हम ध्यानपूर्वक सुनें तो हमें पता चल जायगा कि जब गवर्नर हमें एड्रेस करते हैं तो 'मित्रो' बोलते हैं। अगर स्पीकर महोदय को लेकर एड्रेस किया जाता तो 'अध्यक्ष महोदय' इस प्रकार से संबोधन करते। इसमें ऐसा नहीं किया गया।

स्पीकर महोदय का जहां तक बैठने का सवाल है वे यदि स्पीकर की हैसियत से बैठते तो अपने आसन पर बैठते, जिस आसन से बैठकर विधान सभा का संचालन करते हैं। तो इससे यह माना जायगा कि यह केवल सीटिंग अरेन्जमेन्ट था। He was not sitting there in the capacity of a Speaker. He was not as a Speaker there.

आप गवर्नर महोदय का एड्रेस देख लीजिये। इसके संबन्ध में मैं और तीन-चार बातें बताना चाहता हूं। प्रोसेशन में वे आते हैं उनके साथ ए० डी० सी० वगैरह आते हैं, वे यहां अन्दर तक आते हैं। यदि हाउस की मीटिंग होती है तो उसमें स्ट्रेन्जर प्रवेश

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
नहीं कर सकते । उस समय स्ट्रेन्जर होते है इसलिये उसको हाउस की मीटिंग नहीं कहा जा सकता ।

मीटिंग का कायदा यह भी होता है कि उसके लिये कोरम की आवश्यकता होती है । कोरम के अभाव में वह मीटिंग नहीं हो सकती, लेकिन गवर्नर के एड्रेस के समय यह कोरम आदि का प्रश्न नहीं होता है । उस समय कोरम का प्रिविलेज क्लेम नहीं कर सकते । मीटिंग के शुरूआत में क्वेश्चन अवर होता है और उस दिन क्वेश्चन अवर भी नहीं होता । यदि किसी दिन क्वेश्चन अवर नहीं रखते हैं तो उसके लिये स्पीकर हाउस की परमिशन से ऐसा कर सकते है ।

जब स्पीकर महोदय हाउस में प्रवेश करते हैं तो उस समय सार्जेन्ट-एट-आर्म्स डिक्लेअर करता है, "माननीय सदस्य-गण, माननीय अध्यक्ष" वैसा उस दिन नहीं होता है ।

हमने पिछले वर्षों में जिस प्रकार का आचरण किया है. हमने राज्यपाल महोदय के लिये यह माना था कि उनको संविधान के १७६ आर्टिकल के तहत ऑब्लीगेशन हैं वे हमको संदेश दे सकते हैं । वे जब मेसेज देने के लिये यहां आते हैं तो एक प्रोसेशन में आते हैं और यहां आने के बाद वे अपना सन्देश सुनाते हैं ।

एक दफा इस प्रकार का प्रश्न पार्लियामेन्ट में भी चला था । जब प्रेसीडेन्ट भाषण देने के लिये आये तो वे अध्यक्ष के आसन पर बैठ गये तो उस पर अध्यक्ष ने कहा कि यह तो मेरी चेयर है, इस पर तो केवल लोक सभा के अध्यक्ष ही बैठते हैं । यदि कोई मेहमान आता है तो उसको ऊंची कुर्सी दे सकते है, लेकिन अपना आसन नहीं; लेकिन प्रेसीडेन्ट उनके आसन पर बैठते हैं, क्योंकि उस समय उनको आसन के भी अधिकार होते हैं । इन सारी बातों को देखते हुए हमारी जिस प्रकार की परम्परायें रही हैं, व्यवस्थायें रही हैं उससे यह साफ साबित होता है कि हम यहां पर मीट करते हैं, लेकिन वह मीटिंग नहीं हो सकती, वह मीटिंग नहीं हो सकती। जैसा हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल ११ में बतलाया है:

"A sitting of the House is duly constituted when it is presided over by the Speaker or any other member competent to preside over a sitting of the House under the Constitution or these rules.

अपनी पहली मीटिंग तब प्रारम्भ होती है जब स्पीकर उसको प्रिसाइड करते हैं । आपको याद होगा जब यहां से राज्यपाल महोदय का प्रोसेशन चला गया तो उसके बाद में सेक्रेटरी, विधान सभा यह घोषणा करते हैं कि राज्यपाल महोदय प्रस्थान कर गये हैं. उसके बाद हम यहां से जाते हैं । यदि स्पीकर उस समय प्रिसाइड करते होते तो स्पीकर महोदय यह अनाउन्स करते कि सदन की कार्यवाही कल इतने बजे तक के लिये स्थगित की जाती है । ये सारी बातें इसमें सोचने लायक हैं ।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सेशन और सिटिंग दोनों में भेद है । At the commencement of the Session Governor comes. Sitting starts when he presides over the meeting.

**श्री मुरलीधर व्यास** : तो आपका कहने का मतलब यह है कि उस दिन की जो भी कार्यवाही हुई वह सारी फोर्ज्ड थी। एक दिन सेशन और दूसरे दिन मीटिंग।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : एक यह भी बात कही गई कि रूल ३ के तहत यह मीटिंग बुलाई गई इसलिये यह हाउस की सिटिंग थी ?

**श्री मानसिंह महार (आमेर)** : यदि आप उसको मीटिंग नहीं मानते तो उस समय वाच एन्ड वार्ड के आने की क्या जरूरत थी, पुलिस वालों को ही बुला लिया जाता।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : मैं इस पर भी आता हूं। I will show you the authority also.

रूल ओ के तहत यह जो मीटिंग बुलाने की बात कही जाती है कि यह मीटिंग स्पीकर साहब के द्वारा बुलाई गई है। यह बात नहीं कि यह समन जो इश्यू किया गया है। वह गवर्नर द्वारा किया गया है, वह इसलिये कि वे आपको कुछ सन्देश देना चाहते हैं। उस सन्देश को सुनने के लिये आप आते हैं और बाद में उस पर डिस्कशन करते हैं संविधान के अनुच्छेद १७६ का पहला भाग यह है।

"Special address by the Governor-"

ऐसी हालत में जिस परिस्थिति को हम डिस्कस कर रहे हैं उसको रेगूलेट करने के लिये रूल बनाने वाली बात हमारे कॉन्स्टीट्यूशन में प्रोवाइडेड नहीं है। ऐसी स्थिति में संविधान में प्रोवीजन नहीं है तो क्या यह माना जाय कि प्रेसीडेन्ट या गवर्नर संसद और विधान सभा को एड्रेस करें उस समय के अन्दर इस प्रकार की हरकतें हों तो उनको रोकने के लिए कोई साधन नहीं रखने हैं। क्या संविधान बनाने वालों का यह विचार था ? मैं यह कह सकता हूं यह उनका विचार नहीं हो सकता।XXXX मीटिंग के बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मीटिंग को तभी रेगुलर माना जाता है जब कि उसमें अध्यक्ष को उसको रेगुलेट करने का अधिकार हो।

**श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)** : हमारे रूल्स में यह कहां है ?

**श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत)** : आप तो यही बता दें कि किस प्रकार आप इसे मीटिंग नहीं मानते हैं।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : मैं इस बारे में एक नहीं कई ऑथोरिटीज को कोट कर सकता हूं। वे संविधान के माहिर हैं। मैं पहले मि० बसु साहब की कमेन्टरी आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा है ......................

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)** : ५२२ पढ़िये।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : The President is entitled to prevent the breaches of order in the Assembly addressed by him.

इसके आगे और कहना चाहता हूं।

इसमें तो यह लिखा है कि साथ आदमी आवें तो उनसे निकलवा दें।

---

XXXXअध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उनसे करवा सकते हैं।

**श्री रामकिशन** (वैर) : सार्जेन्ट-एट-आर्म्स को नहीं कह सकते।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना) : केवल अपनी आत्म रक्षा के लिये वह भी।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : × × ×

**श्री मानसिंह महार** (आमेर) : × ×

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : × × ×

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिहनगर) : × × × ×

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : × × × ×

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : × × ×

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : × × ×

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : × × ×

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना) : × × × ×

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : × × ×

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** : × ×

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : × × ×

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : × × ×

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : × × ×

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** : × × × × ×

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : तो यह उनके हुक्म से लाये हैं रिजोल्यूशन आप ?

---

××××अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : उनके हुक्म से लाना भी कोई पाप नहीं, और हम अपनी स्वयं की जिम्मेदारी समझ कर लावें तो भी पाप नहीं। मैं लाया हूं इसे केवल इसलिये कि मैं फील करता हूं कि माननीय सदस्य ने गलती की और प्रस्ताव के जरिये मैं जैसा अनुभव करता हूं वह लाया हूं।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** : आप कुछ भी अनुभव करिये। हमें फांसी पर चढ़ा दो, हम तैयार हैं चढ़ने के लिये आपकी ब्रूट मेजोरिटी के सामने। पर कानून के अन्तर्गत बात करिये।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : अब मैं माननीय अध्यक्ष जी, एक बात कहूं कि बहस करते हुए कहा गया कि ११६, १२१ के मातहत यह प्रिविलेज का क्वेश्चन है। हमने कोई प्रिविलेज का क्वेश्चन रेज नहीं किया, हालांकि सभी कन्डीशन फुलफिल होती हैं एडमिशन के लिये यह प्रस्ताव। पर मैं साथ ही यह भी निवेदन करदूं कि सिर्फ ११६ पर ही एडमिशन के लिये यह रिलाई नहीं करता, तीन फैक्टर्स पर रिलाई करता है।

पहला, पालियामेन्टरी प्रेक्टिस और कन्वेन्शन और प्रिसीडेन्ट्स पर यह रिलाई करता है। दूसरा, अपनी लोकसभा की रिपोर्ट के आधार पर रिलाई करता है; पंजाब विधान सभा के निर्णय के आधार पर रिलाई करता है एण्ड लास्टली रूल ११६ आलसो, जिस पर रिलाई करता है। ११६ की कन्डीशन्स १२० में दी हुई हैं वे फुलफिल होती हैं. इसलिये उसका सवाल नहीं उठता है।

एक सवाल, जयपुर, आमेर और डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने उठाया कि कमेटी इसके लिये क्यों नहीं बनादी जाय।

(श्री रामप्रसाद लढ्ढा)

मैं, माननीय अध्यक्षजी, निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय सबसे पहले यह सवाल लोक सभा में आया, पंजाब विधान सभा में आया ५८ या इसके आस-पास, तो उस समय यह पहला उदाहरण था और उस वक्त लीगली और कॉन्स्टीट्यूशनली सारी बातें समझना चाहते थे, सारे प्रश्न को थोरोली एग्जामिन करना चाहते थे। इसलिये उन्होंने एग्जामिन करने के ख्याल से कमेटी बनाई और फिर उस कमेटी की रिपोर्ट को उन्होंने स्वीकार किया और एग्जीक्यूट भी किया।

अब ५८ से आज आठ वर्ष होने को आये हैं। इस बारे में काफी अनुभव प्राप्त किया जा चुका है और वे सारे पोइन्ट्स इस बारे में इतने थ्रेश आउट हो गये हैं कि नये सिरे से कमेटी बनाकर उनको फिर से थ्रेश आउट करने को कुछ नहीं रह गया है। तो इस चीज को देखते हुए कमेटी की आवश्यकता मैं अनुभव नहीं करता।

फिर भी जब कुछ सदस्य यह मानते हैं कि कमेटी बने, तो जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि वह कमेटी भी मिनिएचर है हाउस की, एक तरह से छोटा हाउस है। तो अगर वह मिनिएचर कमेटी एग्जामिन कर सकती है सारे मसले को तो हाउस भी कर सकता है। जो पोइन्ट इतना थ्रेश आउट है उसको और थ्रेश आउट किया जा रहा है। पोइन्ट इतना एविडेन्ट है कि यह साफ है कि सदन में राज्यपाल के प्रति डिसरेस्पेक्ट शो की गई। इसके सिवाय और कोई मुद्दा नहीं हो सकता। मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिये जो प्रस्ताव मैं रखने जा रहा हूं, उसको सर्व सम्मति से पारित किया जाय। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि :

"इस सदन का मत है कि............

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि वह मोशन जो वे पढ़ रहे हैं वह वे तब पढ़ सकते हैं वह हाउस की प्रोपरटी तब होगी जब मेरे पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर आपका डिसीजन हो जावे। वह डिसीजन आज आ जावे, कल आ जावे, तब तक इसे रिजर्व रक्खें, या डेफर करें। जब तक डिसीजन न आ जावे तब तक न मोशन पढ़ा जा सकता है, न उस पर विचार हो सकता है। केवल उसके लीगल आस्पेक्ट पर विचार हो सकता है।

**श्री रामकिशन** (वैर) : उनको समय जरूर दें, सुन जरूर लें जिनको फांसी दी जाती है।

**श्री अध्यक्ष** : वह इसमें है नहीं।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना) : मैं रिपीट नहीं करना चाहता। उप-मंत्री महोदय ने एक नई बात कही है। उन्होंने सेशन और सिटिंग में अन्तर बताया। यह बात मैं मानकर चलता हूं।

A Session is just like a war and sitting is just like a battle. तो मैं निवेदन करूंगा कि माननीय उप-मंत्रीजी यह भूल गए कि जो सेशन कमेन्स हो रहा है उसकी जो फर्स्ट सिटिंग है वह वह है जिसमें कि गवर्नर महोदय भाषण दे रहे थे। दूसरा इस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि जो गवर्नर को

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

अधिकार दिये हैं उनके लिए यदि देखा जाये तो मैं आपका ध्यान आर्टिकल १७५ की तरफ दिलाता हूं :

"Right of Governor to address and send messages to the House or Houses."

**श्री रामप्रसाद लढ्ढा** ( उप-मंत्री, राजस्व ) : 175 is a different section आप उसको देखिये ।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** : हमारे संविधान में अंग्रेजी के दो शब्दों का प्रयोग किया गया है; एक तो लेजिस्लेचर और दूसरा लेजिस्लेटिव असेम्बली । लेजिस्लेचर को उन्होंने १६८ में डिफाइन किया है । उसमें यह है:

"Legislature which shall consist of a Governor and Houses.

उसमें यह व्यवस्था है कि जहां दो हाउसेज़ हैं वहां तो "लेजिस्लेचर" शब्द का प्रयोग किया गया है और जहां एक ही हाउस है वहां लेजिस्लेटिव असेम्बली कहलायेगा । तो मेरा सब्मिशन यह है कि आर्टिकल १७६ के तहत गवर्नर महोदय यहां पर अपना कार्य कर रहे थे, वह लेजिस्लेटिव असेम्बली को एड्रेस कर रहे थे, न कि मेम्बरों के समुदाय को । आर्टिकल १७५ में यह व्यवस्था है कि जब एड्रेस करेंगे तो हाउस को उस मीटिंग को अटेन्ड करने के लिए वह सदस्यों को बुला सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं कि वह उसमें आयें । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह इन्डीविजुअल सदन के मेम्बरों को एड्रेस कर रहे हैं, वह तो सदन को एड्रेस करते हैं । जब सदन को एड्रेस करते हैं तो इसके माने यह हैं कि स्पीकर सदन के हैड के रूप में बैठता है । यह हमारा डिकोरम है, हमने पार्लियामेन्टरी परम्परा डेवलप की है कि हम किसी गैस्ट को बाहर से बुला लायें और वह हमको एड्रेस करे । जब वह एड्रेस करता है तो वह असेम्बली के वक्ता के रूप में है । यह नहीं है कि बाई वर्च्यू ऑफ हिज हाई ऑफिस वह आल इन ऑल हो गया हो और हमारे ओवर एण्ड एबव हो गया हो या जस्ट लाइक गाड हो गया हो–इस तरह का प्रावधान संविधान में नहीं है । तो इस व्यवस्था में ऐसा मानकर चलें कि फर्स्ट सिटिंग है उसमें ही वह सदन की मीटिंग है । इसलिए मैं कहना चाहूंगा और खास तौर से जुरिस्प्रुडेन्स का सिद्धान्त है उसको भी सामने रखना चाहिए । वह मैं रखूंगा जब कि हम इसकी डिटेल में जायेंगे । मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा कि कोई इन्फ्रिंजमेन्ट का रूल होना चाहिए । कोई कॉन्स्टीट्यूशनल प्रणाली तो हो । अगर वह एग्जिस्ट नहीं करती है तो बड़ी भयानक स्थिति होगी जो कि बाद में मेरिट्स के समय सदन के सामने आयेगी और मैं यह मांग करता हूं कि अध्यक्ष महोदय, आप हाउस के कस्टोडियन है, यहां पर जो अध्यक्ष के मूलभूत अधिकार हैं, उनका भी प्रश्न है और उनका भी हनन हो रहा है ।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** ( सांचोर ) : यह तो सारी बातें रिपीट कर रहे हैं ।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** : तो अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का आशय यह

(श्री मुकुटविहारीलाल गोयल)

है कि इस पर आपकी तरफ से पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह): He is repeating the same.

श्री अध्यक्ष : सदन के समक्ष एक प्रस्ताव है जिसके विषय में माननीय सदस्य, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल व अन्य माननीय सदस्य ने आपत्ति रखी है कि हमारे नियमों के और संविधान के अन्तर्गत इस प्रकार का प्रस्ताव सदन के समक्ष नहीं आ सकता है इसलिए इस पर विचार नहीं किया जाये। उसके सिलसिले में विशेषाधिकार के जो हमारे नियमों में प्रावधान हैं उनका उल्लेख किया गया है और यह बताया गया है कि जो यह सारी व्यवस्था हो रही है एक तरह से विशेषाधिकार प्रस्ताव के समान है या विशेषाधिकार की ही है, इसलिए उन्हीं प्रावधानों के अनुसार कार्य करना चाहिए जो कि विशेषाधिकार के संबंध में हमारे नियमों में उल्लिखित हैं। मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रश्न विशेषाधिकार का नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो श्री बागड़ी का प्रश्न था लोक सभा के लिए वह भी विशेषाधिकार का प्रश्न था और समिति को भेजा गया। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि वह प्रश्न विशेषाधिकार का नहीं था। वह तो एक मेम्बर का व्यवहार किस प्रकार का होता है – 'कन्डक्ट आॅफ दी मेम्बर' के आधार पर लेकर निर्णय लिया गया था और यह प्रश्न भी हमने विशेषाधिकार का नहीं माना है, बल्कि जो विधान सभा के सदस्य होते हैं वे अपने पद के अनुरूप कुछ आचार या व्यवहार करें उसको देखने के लिए, सोचने के लिए इस प्रस्ताव को आपके सामने लाने की अनुमति दी है। उसके लिए हमारे नियमों में प्रावधान नहीं है। पर जहां तक कन्डक्ट आॅफ मेम्बर्स का प्रश्न है, उनके व्यवहार का प्रश्न है उसको किस तरह हम डील करें उसमें क्या होगा। लेकिन इसके बारे में हमारे सदन की और जो दूसरे सदन हैं हमारे देश में, जो विधान सभायें और हैं और लोक सभा इत्यादि में जो प्रावधान हैं उसके अनुसार हमने कार्य किया है।

लोक सभा में मुदगल का एक केस हुआ था उसके सम्बन्ध में एक सदस्य का व्यवहार किस प्रकार का हो उसके बारे में वह प्रश्न उठा था। हमारी विधान सभा में भी श्री मथुरादास माथुर के संबंध मे प्रश्न आया था और वह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं माना जाकर एक सदस्य का व्यवहार किस प्रकार का हो, उसको लेकर सदन में प्रश्न आया था और उस पर वाद-विवाद हुआ और मतदान हुआ और उसको इस ढंग से स्वीकार किया। इसलिए यह प्रश्न इस प्रकार से उठाया जा सकता है कि जो माननीय सदस्यों के नाम इस प्रस्ताव में उल्लिखित हैं उन्होंने इस प्रकार का व्यवहार किया जो कि माननीय सदस्य के नाते नहीं करना चाहिए था और जो उसके अनुरूप नहीं था, इसलिए प्रिवलेजेज की या अन्य धारायें हैं उनको इस समय प्रश्न में उठाना उचित नहीं है और क्योंकि एक सदस्य के व्यवहार के संबंध में हमने हमारे सदन में भी कार्य किया है और बाहर भी लोकसभा में भी इस तरह की पद्धति रही है इसलिए मैं यह उचित समझता हूं कि इस प्रकार के प्रस्ताव को हम स्वीकार कर सकते हैं।

# Page No. 83



(श्री अध्यक्ष)

इस संबंध में और भी कई बातें उठाई गईं जिनको मैं समझता हूं कि सीधे जो अभी आपत्ति उठाई गई उससे संबंध नहीं है और उसका निराकरण करने के लिए आवश्यक नहीं है कि अन्य मुद्दों को यहां पर हल किया जाये या उनका यहां पर उत्तर दिया जाये। अगर वे और किसी पृष्ठभूमि में उठाये जायेंगे और आवश्यक हुआ तो हम उस पर दूसरी तरह से विचार कर सकते हैं। अभी जो प्रश्न है वह यह है कि जो यह कहा गया कि इस तरह का प्रस्ताव नहीं आ सकता तो मेरी मान्यता है कि इस प्रकार का प्रस्ताव आ सकता है क्योंकि यह माननीय सदस्यों के व्यवहार के संबंध में है जिसके ऊपर पहले भी हमने इस प्रकार की कार्यवाही की है। इसलिए मेरी व्यवस्था है कि उप-मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसको प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का मत है कि········

**श्री अध्यक्ष :** माननीय उप-मंत्रीजी शुरू करें उससे पहले मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो अध्यक्षों की कॉन्फ्रेन्स है उसके बारे में हवाला दिया गया और उनकी प्रोसीडिंग्स को पढ़ा गया। मैं नहीं समझता कि इस तरह से करना चाहिये क्योंकि जो कॉन्फ्रेन्स की प्रोसीडिंग्स हैं उनमें न तो निर्णय हैं और न ही वह कोई डॉक्यूमेन्ट है जो कि पढ़ा जा सके। वह एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। तो जो भी उल्लेख इस प्रकार के किए गये हैं और जो कोट किये गये हैं वे प्रोसीडिंग्स में नहीं आये, और भी किसी तरह का उनके बारे में प्रचार नहीं किया जाये और माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया उसी समय मुझे बताना चाहिए था लेकिन जो बहस चल रही थी उसके दौरान मैं कुछ नहीं कहना चाहता था। और भविष्य में भी मैं निवेदन करूंगा कि उसके बारे में, कोई निर्णायक स्थिति क्योंकि नहीं है और स्वच्छ विचार जो कॉन्फ्रेन्स में रखते हैं उनको पब्लिकली डिबेट करके रखा गया है तो जो हम चाहते हैं कि उन कॉन्फ्रेन्सेज में भी हम स्वच्छन्दता के तरीके से विचार करें और उसको पब्लिकली डिस्कस नहीं होने दें तो वह भी अच्छी नीति नहीं होगी यदि हम ऐसा करें। इसलिए मेरी व्यवस्था है कि इसके बारे में जो भी उल्लेख आये हैं उनको हमारी प्रोसीडिंग्स में या अन्य बाहर नहीं लाया जाये।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व):** अध्यक्ष महोदय, "इस सदन का मत है कि दिनांक २६ फरवरी, १९६६ को इस विधान सभा में राज्यपाल के अभिभाषण के समय

(१) सर्व श्री रामानन्द अग्रवाल
(२) मानिकचन्द सुराणा
(३) उमरावसिंह ढाबरिया
(४) रामकिशन
(५) योगेन्द्रनाथ हांडा
(६) मुरलीधर व्यास
(७) नत्थीसिंह (भरतपुर)
(८) विट्ठल भाई

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(९) मोहनलाल सारस्वत

(१०) हरिशंकर

(११) केदारनाथ शर्मा

(१२) दयाराम

ने अपने भाषणों तथा उच्छृंखल व्यवहार में और जान-बूझकर लगातार अपने प्रयत्नों द्वारा राज्यपाल को बोलने से रोका, और इस प्रकार उन्होंने राज्यपाल के विधान सभा में अभिभाषण करने सम्बन्धी संवैधानिक कर्तव्य पालन में बाधा डाली और उक्त अभिभाषण को सुनने के अन्य सदस्यों के अधिकार में भी हस्तक्षेप किया जो सदन के सदस्य के लिए अवांछनीय, गौरवहीन तथा अशोभनीय था और उस महान अवसर के प्रतिकूल तथा प्रचलित परिपाटी के विपरीत था और जो संविधान का तिरस्कार भी है और साथ ही राष्ट्र का अपमान है।

यह सदन यह निर्देश भी देता है कि सर्व श्री रामानन्द अग्रवाल, मानिकचन्द सुराणा, उमरावसिंह ढाबरिया, रामकिशन, योगेन्द्रनाथ हान्डा, मुरलीधर व्यास, मथ्थीसिंह (भरतपुर), विट्ठल भाई, मोहनलाल सारस्वत, हरिशंकर, केदारनाथ शर्मा, दयाराम को इस सत्र के अवशिष्ट काल तक सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।"

**श्री अध्यक्ष:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

**श्री रामकिशन** : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर...

**श्री हरिदेव जोशी** (जन स्वास्थ्य मंत्री): दूसरा प्रस्ताव भी साइमल्टेनियसली पेश किया जावे तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर): आप समझते हैं कि पहले दोनों प्रस्ताव पेश हो जायें और दोनों पर ही साथ साथ बहस हो?

**श्री अध्यक्ष** : मेरी सहमति है, आपका प्रस्ताव भी प्रस्तुत हो जाय तो।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : मैं समझता हूं कि पहले जो प्रस्ताव प्रस्तुत है उस पर विचार किया जाय....

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : जब आपका प्रस्ताव पारित हो जाता है तो बाद में मेरे प्रस्ताव का क्या महत्व है?

**श्री अध्यक्ष:** पहले आपके प्रस्ताव पर मतदान कर देंगे

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : मेरे ख्याल से इतनी बहस हो गई है और मुझे भी जो कुछ कहना था वह भी कह दिया है, अब मैं यह ठीक नहीं समझता कि जो आर्ग्यूमेंट्स मैंने दिए हैं उनको मैं दो बार, तीन बार कहूं, मेरे विचार से उचित नहीं होगा। आपकी मैजोरिटी है, आपका बहुमत है, आप प्रस्ताव लाने पर तुले हुए हैं तो आप लावें; बहुत कुछ हद तक मैं भी सहमत हूं इस प्रस्ताव के विषय में और जो बातें कही गई हैं उनसे भी, लेकिन अगर आप यह चाहें कि विरोधी दल के सभी लोग आपके प्रस्ताव का समर्थन करें या सदस्यों को सारे अधिवेशन के लिये बिलम्बित करने का जो प्रावधान है उसके साथ भी हम "जी हुजूरी" करके "हां" में "हां" मिलायें, तो हम इसके लिए तैयार नहीं हैं।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
(विराम)

और इस सम्बन्ध में हम अपना रोष प्रकट करेंगे और वह रोष हम जिस तरह से विरोधी पक्ष संवैधानिक रूप से कर सकते हैं, वही हम करेंगे। हमारे पास इसके अलावा और रास्ता ही क्या है ? अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव पर मतदान हो जाय तो मैं समझता हूं कि मेरा जो प्रस्ताव है वह कोई महत्व नहीं रखता। जनसंघ के जो माननीय नेता हैं उनका प्रस्ताव भी मेरे प्रस्ताव के समान ही है, उनका और मेरा प्रस्ताव एक-सा ही है, अगर वे चाहें इस प्रस्ताव को मूव करना तो वे कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि मुझे अब इस प्रस्ताव को मूव नहीं करना चाहिए इस वर्तमान परिस्थिति में और जो बहस यहां पर हुई है उसको सुनने के पश्चात्।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो एक प्रस्ताव उप-मंत्री, श्री रामप्रसादजी लड्ढा, ने प्रस्तुत किया है और जिन परिस्थितियों में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके सम्बन्ध में हमने तो यही उचित समझा कि जो घटनाएं इस सदन में २६ फरवरी को श्रीमान् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान घटित हुई हैं उनके सम्बन्ध में जिन व्यक्तियों के विरुद्ध यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है उन्होंने भी कुछ स्पष्टीकरण देते हुए कुछ परिस्थितियां सदन के सामने रखीं, जिनमें बताया गया कि किसी दुर्भावना से उन्होंने यह नहीं किया और जिन परिस्थितियों में उन्होंने किया वे भी आज सुबह सदन के सामने कही गईं। जो राज्य की कुछ समस्याओं के प्रति, राज्य के संवैधानिक हैड के सामने, राज्य के हैड का ध्यान उन परिस्थितियों की ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने यह किया........

श्री रामकिशन (वैर) : अभी परिस्थितियां नहीं रखी हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैं जानना चाहता हूं कि आपने इस प्रस्ताव को एडमिट करने के बाद इसकी टाइम लिमिट भी बहस के लिए फिक्स कर दी है क्या रूल १२६ के अन्तर्गत ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न इस समय यह है कि दूसरा प्रस्ताव भी सदन के सामने रखा जाय या नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं समझता हूं कि जो कुछ भी हुआ उसमें सभी प्रकार की राय सभी लोगों की है। यह हो सकता है कि कुछ लोग उस प्रकार के प्रदर्शन से या उस प्रकार की घटनाओं से सहमत न हों। मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का हवाला आपका आदेश होने के बाद नहीं देना चाहता, लेकिन अध्यक्ष महोदय, जिस समय अंग्रेजों का साम्राज्य था और जिस समय भी लेजिस्लेचर्स में एक बार नहीं तो अनेकों बार जो गवर्नर जनरल भाषण देने आते थे तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि स्वयं कांग्रेस पार्टी के सदस्य प्रदर्शन भी करते थे, सदन से बहिर्गमन करते थे और उनके अभिभाषण में कई प्रकार की बाधा उपस्थित करते थे। इस प्रकार का एक राजनैतिक तरीका, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सन् ४७ से पहले भी इस देश में, जिस समय कि अंग्रेजों की हुकूमत थी, था। उसके बाद भी मैं समझता हूं कि, मैं रेफरेंसेज का हवाला

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं देना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं किXXXमें भी इस प्रकार के प्रसंग आये हैं। यह कोई नई चीज नहीं है कि विरोधी पक्ष जो राज्य का सबसे बड़ा हैड है, उसके ध्यान में कुछ चीजें लाये, राज्य के हैड के सामने अपने विचार प्रगट करे, राज्य में जो ज्वाला धधक रही है, जो धधकती हुई समस्यायें हैं उनकी तरफ राज्य के हैड का ध्यान आकर्षित करे। मैं समझता हूं कि काफी हद तक यह बात वाजिब हो सकती है कि यह किन परिस्थितियों में हो, अपनी समस्यायें रखने का वाजिब समय है या नहीं, यह हो सकता है। लेकिन यह सब तो कांग्रेसी भी करते आए हैं। आज उनके पास सत्ता है इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता कि उन पर कोई आक्षेप लगावे, आज उनको यह अच्छा नहीं लगता कि विरोधी पक्ष सरकार के ऊपर किसी प्रकार का कटाक्ष करे। यह हो सकता है कि कटाक्ष का समय कौन सा हो, आरोप लगाने का समय कौन सा हो, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, और मैंने पहले भी निवेदन किया है कि लोक सभा में भी ऐसे प्रसंग आए हैं और उस समय हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री पण्डित जवाहरलालजी नेहरू और हिन्दुस्तान को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के फादर, जिनको मैं फादर ऑफ़ दी डेमोक्रेसी ऑफ इण्डिया मानता हूं और वे हैं स्वर्गीय मावलंकर, दोनों ने समय समय पर इस सम्बन्ध में विचार प्रगट किए हैं और अपने विचार प्रगट करते हुए कहा है कि इन बातों को नियमों के अन्दर इन सारी चीज को नहीं रख सकते। ज्यादा अच्छा यह होगा कि विरोधी पक्ष के लोगों को कॉन्फिडेन्स में लिया जाए, विश्वास में लिया जाए और जितनी भी उनकी शंकाएं हैं, जितने भी उनके आरोप हों, जितनी भी समस्यायें हैं या राज्य की समस्याओं के सम्बन्ध में जो भी वे कहना चाहते हैं, उन समस्याओं के संबंध में विचार किया जाय और उनको समाप्त किया जाय; इसके बारे में गुडविल क्रीएट की जाए, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन कायम किए जायं और उनको विश्वास में लिया जाय। इस प्रकार के विचार कई बार स्वर्गीय पण्डित जवाहरलालजी नेहरू ने प्रगट किए हैं और कई बार लोक सभा में उन्होंने अपने विचारों को प्रगट करते हुए जोर दिया है और फादर ऑफ दी इण्डियन डेमोक्रेसी, लोक सभा के अध्यक्ष, श्री मावलंकरजी ने भी अपने जीवन-काल में इस बात पर जोर दिया है कि हिन्दुस्तान में लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए, लोकतांत्रिक ढंग से काम करने के लिए विरोधी पक्ष को विश्वास में लिया जाय, लेकिन जन जीवन की समस्याओं को हल करने की दृष्टि से शासन ने क्या रुख अपनाया, राजस्थान की सरकार इस दृष्टि से असफल साबित हुई है। राज्य के जन जीवन की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया लेकिन इस सरकार ने हमेशा उदासीनता का रुख अपनाया।

शायद आप यह कह सकते हैं कि यह मौका नहीं था। मैं भी सहमत हो सकता हूं कि यह मौका नहीं था, लेकिन इससे पहले इसके मूल में जाना होगा। सारे प्रश्न की जड़ में जाना होगा कि आखिर क्यों लोगों को इसके लिए मजबूर होना पड़ा? जिन्होंने यह सवाल खड़ा किया कि उस समय सदन में ऐसा नहीं करना चाहिये था, उनको यह भी सोचना चाहिये कि जो लोग सदन में बैठे हैं वे लाख,

XXXअध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
लाख लोगों की जन संख्या द्वारा चुन कर, उनके नुमायन्दे बन कर आये हैं और वे भी पार्ट ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन हैं, वे भी गवर्नमेन्ट का हिस्सा हैं, वे भी लेजिस्लेचर का हिस्सा हैं, ये भी राजस्थान की बेहबूदी के लिए जिम्मेदार हैं। वे आवश्यक समझते हैं कि जन-जीवन के लिए जो विषम स्थितियां पैदा हो रही हैं उनका निराकरण हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज कौन कांग्रेस का आदमी महसूस नहीं करता कि आज जो राजस्थान की परिस्थिति है उस पर समुचित ध्यान देना चाहिये। सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है, उस समय इस प्रकार का वातावरण पैदा होता है। आज लोगों में व्यापक असंतोष व्याप्त है, अकाल की स्थिति हो रही है, लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, ब्याज भी नहीं चुका पा रहे हैं, व्यापक रूप से भ्रष्टाचार फैल रहा है, मोरल डिजनरेशन हो रहा है, नैतिक मूल्य गिर रहा है, सामाजिक मूल्य गिर रहा है। राज्य सरकार इस ओर से उदासीन है। और कुछ नहीं कर पा रही है तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि इसके लिए हम अपनी आवाज उठावें। राजस्थान की २ करोड़ जनता के नुमायन्दे केवल कांग्रेस वाले ही नहीं हैं विरोधी-पक्ष वाले भी उनके नुमाइन्दे हैं। हम, सदन में केवल भत्ता लेने नहीं आते, केवल प्रतिष्ठा प्राप्त करने नहीं आते। हम आते हैं जन-जीवन के कष्टों को निवारण करने के लिए, हम इसलिये आते हैं कि उनके दुख-दर्द को सरकार के सामने रखें। सरकार यदि उस ओर ध्यान नहीं देती है तो सरकार को पत्र लिखें, इस पर भी ध्यान नहीं देती है तो उसके खिलाफ डिमोस्ट्रेशन करें, लोगों को मिलावें, सरकार का ध्यान आकर्षित करें। राज्य की जो सब से बड़ी और ज्वलंत समस्याएं हैं वे सामने रखें। किस समय रखा जाय न रखा जाय यह भावना का सवाल हो सकता, इसमें भावावेश भी हो सकता है। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि ज्वलन्त समस्याओं को रखा जाय। राजस्थान की ज्वलन्त समस्याओं को राज्य के संवैधानिक हैड के सामने रखें। उन समस्याओं को उनके सामने रखें जिनके कारण जनता का जीवन अस्त-व्यस्त है और ऐसा करना विधान सभा के सदस्यों का कर्त्तव्य है। केवल कांग्रेस का ही कर्त्तव्य नहीं है, विरोधी पक्ष का भी कर्त्तव्य है। कॉन्स्टिट्यूशनल अपोजीशन को साथ लेकर ही समस्याओं को हल किया जा सकता है। लेकिन मुझे दुःख है कि राजस्थान सरकार विरोधी-पक्ष की परवाह नहीं करती। लालबहादुरजी की आड़ में बात करते हैं लेकिन लालबहादुरजी हमेशा विरोधी पक्ष की कद्र करते रहे, उनसे सलाह लेते रहे। विरोधी पक्ष को साथ में लेकर चलने का उनमें बहुत बड़ा गुण था। यदि विरोधी पक्ष को साथ लेकर राजस्थान सरकार चलती तो आज यह परिस्थिति पैदा नहीं होती। मैं पूछना चाहता हूं कि आज इस प्रकार की स्थिति यहां पर किसकी वजह से है?

आज आप कहते हैं कि राज्यपाल महोदय को भाषण नहीं करने दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि राज्यपाल को भाषण क्यों नहीं करने दिया और किसने नहीं करने दिया, क्या यह आपकी गवर्नमेन्ट है? केवल १० आदमियों ने कार्यवाही नहीं चलने दी। यह गवर्नमेन्ट इम्पोटेन्ट है एक मिनट भी राज्य में रहने लायक नहीं है। आज मैं सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बरों को आश्वासन देना चाहता हूं कि अब इस सरकार के सामने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

डिमोस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। लोकतांत्रिक तरीके, से कॉन्स्टिट्यूशनल से हम यह साबित करके दिखायेंगे, आयन्दा आने वाले चुनावों में यह कांग्रेस नहीं आ सकेगी। हम इस कांग्रेस को समुचित नष्ट करके दिखायेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आखिर भाषण न सुनने देने की परिस्थिति पैदा की तो इस सरकार ने की है। और मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के लिये इससे ज्यादा लज्जा की और कोई बात नहीं हो सकती। यह जो हुआ वह तो लज्जा की बात है ही लेकिन इससे भी ज्यादा लज्जा की बात यह है कि राज्यपाल को पीछे के दरवाजे से ले गये। आखिर हिन्दुस्तान की जनता क्या कहेगी? राज्यपाल की गाड़ी जहां खड़ी थी उधर से उनको नहीं ले जाया गया, यह तो इनकी व्यवस्था है। राजस्थान के गवर्नर को प्रेस्क्राइब्ड रास्ते से नहीं ले जा सके। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने गवर्नर का स्मगलिंग किया। गवर्नर को पीछे के रास्ते से ले जाकर राजस्थान सरकार ने राजस्थान के संवैधानिक हेड की इज्जत नहीं बढ़ाई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे कांड में जो कुछ हुआ वह शोभा बढ़ाने वाला नहीं हुआ। सदन में कई बार डिस्ऑर्डरली सीन पैदा हो सकते हैं। लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था जैसे सरकार में कोई मंत्री नहीं है, कोई आदमी नहीं है, किसी सदस्य ने नहीं कहा खड़े होकर कि यह क्या हो रहा है? खड़े होकर बोलने की किसी ने हिम्मत नहीं की कि आखिर यह क्या है? हो सकता है रामानंदजी ने गड़बड़ शुरू की, हो सकता है दूसरों ने की, लेकिन जो मेम्बर बोलकर बैठ गये उनको बाहर क्यों निकाला गया। हम कई बार बोलते हैं, कुछ कहा-सुनी होती है लेकिन बोलकर बैठ जाते हैं, उनको कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि उन बातों का रिपीटिशन नहीं होता, बोलकर जो बैठ जाते हैं उनको भी निकाल दिया। इस हाउस के डिकोरम को मेन्टेन करने के लिये कांग्रेस के जो मेम्बर बैठे थे उन्होंने उनकी जो जिम्मेदारी थी उसको नहीं निभाया और चुपचाप बैठे रहे भेड़-बकरी की तरह और एक के बाद एक सदस्य को निकालते गये.....

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, वित्त) उस समय हम आपके दाव में नहीं फंसे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आप क्यों फंसेंगे, आप फंस नहीं सकते। आप तो देख रहे थे कि सुखाड़ियाजी की अच्छी फजीती हो रही है, क्योंकि आप देख रहे थे कि हाई कमान्ड को मालूम पड़ जाय कि राजस्थान की कांग्रेस में एकता नहीं है। राज्यपाल का अपमान होता रहा और कांग्रेस मेन देखते रहे, इससे ज्यादा बात दूसरी नहीं हो सकती। यह सारी परिस्थिति पैदा हुई। इस सारी परिस्थिति पर मुझे दुख है, हम इस मसले को आगे नहीं बढ़ाते। आखिर सदन में कई बार इससे भी ज्यादा घटनाएं होती हैं, लेकिन कानून से सब बंधे हुए हैं, नियम सब पर लागू होते हैं। विधान सभा द्वारा कानून पास होते हैं उन पर गवर्नर की सील लगती है। विधान सभा राज्यपाल के और संसद में राष्ट्रपति के भाषण होते हैं, जो कानून पास होते हैं उन पर राज्यपाल और राष्ट्रपति की मुहर लगती है, लेकिन वे सोवरिन नहीं हैं। सोवरिन पीपुल हैं। विधान सभा के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सदस्य पीपुल के रिप्रजेन्टेटिव हैं इसलिये उनका कर्त्तव्य है, इस सारी परिस्थिति को देखना चाहिये था। सदन में कई बार ऐसे मौके आये, अन-टुवार्ड्स हैपनिंग हुई, ऐसी भी बातें हुई जो हिन्दुस्तान में कहीं नहीं हुई। दुर्भाग्य की बात है सरकार के लिये। इस सरकार ने राजस्थान में ऐसी परिस्थिति पैदा की है पिछले १५ सालों में हिन्दुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। इस सारे दृष्य की जिम्मेदारी सुखाड़ियाजी आपके कंधों पर है। इस सारी परिस्थिति के बारे में सोचें और इस प्रकार का रिजोल्यूशन आवे जिसमें परसुएशन हो जिससे इन सारी चीजों की पुनरावृत्ति न हो और हाउस की डिसेन्सी और डिकोरम बना रहे, सदन की परम्पराएं मजबूत हों। कांग्रेस की ब्रूट मेजोरिटी के आधार पर आप जो चाहें कर सकते हैं लेकिन लोकतंत्र की स्वस्थ परम्परा के लिये गलत परम्परा नहीं होनी चाहिये। इस प्रकार की अनटुवार्ड्स हैपनिंग केबिनेट के मेम्बर द्वारा भी हुई थी लेकिन हमने उसको ड्रोप कर दिया। इस प्रस्ताव में ऐसा लगता है कि विन्डक्टिव एटिट्यूड है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सारे ही मेम्बर्स दोषी थे ? जो खड़े होकर बैठ गये उनको निकालने की क्या आवश्यकता थी ? लेकिन उनके नाम भी उन्होंने इसमें जोड़ दिये, मानो इस प्रकार से उन्हें कोई माप मेसेकर करना हो, मानो इस प्रकार के एक झटके से खत्म करना हो सारे के सारे लोगों को। उनके नाम इसमें जोड़े गये, मानो एक नादिरशाही तरीके से सारे के सारे लोगों को इस एक झटके से खत्म कर दें जिस तरह से एक बूचड़खाने में एक छुरा चलता है और सारे के सारे जीवों की गर्दनें उस एक छुरे के वार से कट जाती हैं। इस विधान सभा में एक स्लाटर हाउस की तरह इन सारे के सारे लोगों को खत्म करना चाहते हैं, आखिर किसी को आपत्ति हो तो कुछ लोग तो बोल सकते थे। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ....

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) : आप लिस्ट में से नाम काट दें।

**श्री चन्दनमल बैद** : आप लिस्ट में से नाम काट कर बता दें कि कौन ठीक है और कौन गलत है।

**श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेड़ा) : आप खुद काटिये। आप खुद बताइये। मैं कहता हूं वह टाइम अब दूर नहीं है जब आपको इसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा कि किस तरह से आप जनतंत्र को दबाना चाहते हैं, जनता की आवाज का गला घोटना चाहते हैं।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसींद): बोलो मत, हार्ट फेल हो जायगा।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, माननीय चन्दनमल बैद यह जानना चाहते हैं कि किन किन सदस्यों के नाम इसमें से निकाल दिये जाने चाहिए और किन सदस्यों को इसमें निकाला जाय। इससे लगता है कि उन्होने ऐसा तो महसूस किया है कि सबको नहीं निकालना चाहिए।

**श्री चन्दनमल बैद** : आप कह रहे हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : वे केवल नाम जानते हैं। वे नाम जनते हैं आप नाम जानते हैं तो आपको बोलना चाहिए, आपको बोलने का अधिकार है कि इन इन को नहीं निकालना चाहिए, सबको निकालना उचित

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं है । मैं आपको कहना चाहता हूं कि सदन से सदस्यों को निकालने से समस्या हल नहीं होने वाली है । सस्पेंड करने से कोई समस्या हल नहीं होने वाली है; आखिर एक सदस्य राजस्थान के एक लाख लोगों का प्रतिनिधि है । इस सदन का एक सदस्य राजस्थान की एक लाख जनता का प्रतिनिधि है । तो यदि आप इस सदन के बारह सदस्यों को निकालते हैं तो राजस्थान की बारह लाख जनता को इस सदन में अपना रिप्रेजेन्टेशन करने के अधिकार से महरूम कर रहे हैं । आप गम्भीरता से इस मसले पर सोचें, क्योंकि यह आज का ही सवाल नहीं है । हम ऐसा प्रस्ताव पास न करके निन्दा कर सकते हैं । हमने उस समय भी उनका समर्थन नहीं किया था और हमने उस समय साफ किया था कि अपनी बात को कहने के और समय भी आ सकते हैं । हमने कम्यूनिस्ट सदस्यों से कहा था, रामानन्दजी से भी कहा था, हालांकि हमारा उनसे मतभेद था, लेकिन हमने कहा था कि यही एक मौका नहीं है कि हम अपनी सब चीजें रखें । हमारा उनसे मतभेद हो सकता है लेकिन जो बारह सदस्यों को निकालने वाली बात है, जो राजस्थान की बारह लाख जनता को विधान सभा में अपना प्रतिनिधित्व करने से महरूम करने का सवाल है, यह गम्भीर मसला है । आखिर हम लोग चुन कर आये है, इलेक्शन लड़ कर आये है और इलेक्शन में लड़ कर यहां आना कोई साधारण बात नहीं है, इसलिए दुनिया की कोई ताकत इस अधिकार से महरूम नहीं कर सकती है, मेरा सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि राजस्थान की बारह लाख जनता के प्रतिनिधियों को एक झटके से निकाल देना, आने वाले समय के लिए सदन की सारी कार्यवाही में भाग लेने से वंचित कर देना, सारे समय के लिए और सारे काल के जनता का प्रतिनिधित्व करने से महरूम कर देना, और विशेषतौर से इस बजट अधिवेशन में, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है इस विधान सभा का, आखिर महत्वपूर्ण अधिवेशन है, इस अधिवेशन में भाग लेने से महरूम कर देना—कहां तक उचित होगा ?

श्री चन्दनमल वैद : Mercy ! Mercy

श्री रामकिशन (वैर) : मर्सी हमें नहीं चाहिये । मर्सी से बैठे हैं आप लोग । हम लोग अपनी ताकत से यहां बैठे हैं, किसी की मर्सी से नहीं । आप कभी लड़े हैं अंग्रेजों के खिलाफ ? मर्सी ! किसकी मर्सी ! (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल से) आप कहिये । उनसे बात हो रही है । हम ऐसे नहीं हैं कि मर्सी से बैठे ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): निकालने में जोर आता है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा ( कोलायत ): यह बेचारे इसलिए मौन है कि मर्सी पर बैठे हैं ।

श्री रामकिशन : किसी की खुशामद करके आप यहां बैठे होंगे, आप किसी की मर्सी पर बैठे होंगे । हम किसी की मर्सी से यहां पर नहीं बैठे हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा: इसी वजह से उठ नहीं रहे हैं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : यह जनता की आवाज है जिसको अंग्रेजों के वक्त में लोगों को सूली पर चढ़ा देने और गोली से दाग देने पर भी नहीं दबा सके । यह जनता की भड़कती हुई आग है, जो बुझ नहीं सकती । आप भले ही गोलियां चलायें, लाठियां बरसायें, लेकिन जनता की आवाज सख्त से सख्त रूप में प्रगट होगी उसे कोई रोक नहीं सकता है ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : मैं कह सकता हूं.........

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य ! ऑर्डर प्लीज !

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा**: हमारे सामने इलेक्शन लड़ लें, हमारे मुकाबले में बारह के बारह मिनिस्टर आ जायं, तो उनकी जमानत जब्त करवा दें । हम ऐसे ही नहीं आये हैं । हम बारह को निकालिये और बारह मिनिस्टर आकर हमसे चुनाव लड़ें, उनकी जमानत जब्त करवा देंगे । सुखाड़िया साहब भी चुनाव लड़ लें ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं.........

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : ऐसी बातें करना फालतू है ।

**श्री रामकिशन** : सजा दें लेकिन हल्की बात मत करें ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर यह प्रस्ताव हमने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया था । मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव के कारण सम्पूर्ण समस्या ही हल हो जाती है । इस प्रस्ताव के इस प्रकार शब्द हैं --'यह सदन दिनांक २६ फरवरी को सदन में घटित घटनाओं पर खेद प्रगट करता है ।' इस प्रस्ताव को यह सदन पारित करे और इस हाउस के इस सैन्स को आप राज्यपाल को कन्वे कर दें । इस प्रस्ताव पर विचार करें, इसको आप मेजोरिटी से नहीं बल्कि यूनानीमसली पास कर दें और यह राज्यपाल महोदय को कन्वे कर दिया जाय, तो मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय की प्रतिष्ठा बच जायगी, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जायगी । इसलिए इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि इन माननीय सदस्यों को निकाल दें । इससे राज्यपाल महोदय की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ जायगी । मैं समझता हूं कि यह समस्या को हल करने का तरीका नहीं है, यह कोई इलाज नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्वतन्त्र पार्टी के नेता और विरोधी पक्ष के नेता महारावल साहब ने प्रस्ताव रखा है, उस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं । उनसे लगता है कि उनके मन में भी शंका है कि सरकारी पक्ष इस पर गौर न करे और आखिर में तीन घंटे की बहस के बाद, तमाम कॉन्स्टीट्यूशनल और लीगल मुद्दों के होने के उपरान्त भी उनका जवाब नहीं दें और ऐसा लगता है जैसे सरकारी पक्ष इस बात पर तुला हुआ है कि इन माननीय सदस्यों को निकालेंगे, इनको निकाल कर छोड़ेंगे । मैं समझता हूं कि इन परिस्थितियों में इस प्रकार के प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं हो सकता है । अगर ऐसी बात नहीं है तो आप इस प्रकार के विचार रखिये, मैं अपना रिजोल्यूशन मूव कर रहा हूं; आप इस रिजोल्यूशन पर विचार कीजिये । लेकिन इस सदन के इन सदस्यों को निकाल कर राजस्थान की बारह लाख जनता को रिप्रेजेन्ट करने वाले सदस्यों को विधान सभा की कार्यवाही में पार्टीसिपेट करने से महरूम मत कीजिये । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जो रुख अख्तियार कर रखा है, इससे लगता है कि वह इस बात के लिए तैयार नहीं है और चार घंटे की बहस के बाद भी सरकार का मूड ऐसा लगता है कि नहीं, इस बार हमें कोई ऐसा बदला लेना है, इन सदस्यों को निकालना है, या ऐसा कोई पुण्य कर्म करना है । वह समझते हैं कि इससे इन्हें कोई पुण्य मिलने वाला

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है इसलिए उन्हें कुछ करना है, जैसे किसी शास्त्री ने या किसी ज्योतिषी ने बता दिया हो। तो बात दूसरी है। फिर तो इस प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल मात्र प्रस्ताव पेश कर देने से तो कुछ होता नहीं है। मैंने एक ऑल्टरनेटिव सदन के समक्ष रखा है कि सदन खेद प्रगट कर दे। मैं समझता हूं कि खेद प्रगट करना ऐसी बात है कि किसी महिला के हाथ लग गया तो सोरी कह दिया तो उस महिला ने माफ कर दिया। आप महिला से ज्यादा नही है। इसमें क्या बात हुई.......

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) : आप कह रहे हैं ? या उनकी तरफ से कह रहे हैं ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल:** वे कह सकते हैं। लेकिन एक वायुमण्डल बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के प्रस्ताव के ऊपर विचार करने के लिए स्थिति बनाने की आवश्यकता है। सोरी कह दिया अफसोस कर दिया, कोई भी शब्द कह दिया। यह जरूरी नहीं है कि शब्द अंग्रेजी ही कहना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा वातावरण बने कि उनका मन अभिभूत हो जाय और सोचें कि इस हद तक ठीक नहीं हुआ और वह अपनी बात को अगर मगर लगा कर कह सकते हैं। सवाल यह है कि इस प्रकार की स्प्रिट सदन में आ जाय, इस तरह का वायु-मण्डल सदन में बन जाय तो कोई रास्ता निकल सकता है। मेरा निवेदन है कि जो एक बार गलती की है उसके बाद अब दूसरी गलती करने जा रहे हैं। तो गलती से गलती का सुधार नहीं हो सकता-- यह समझना चाहिए हमें। इसलिए सरकार और कांग्रेस पक्ष के सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न बहुत गम्भीर है इसलिए ही मेरा यह प्रस्ताव है। हालांकि इसे मैंने पेश नहीं किया है, लेकिन विदड्रा भी नहीं किया है। यदि सरकारी पक्ष इस नतीजे पर पहुंचे कि वह इसे स्वीकार करने को तैयार है, तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्तुत कर दूंगा। फिर प्रस्ताव पर विचार चले और मेरिट पर विचार हम करेंगे।

**श्री रामकिशन** (वैर): अध्यक्ष महोदय..

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : इधर की साइड का भी नम्बर आ जाय।

**श्री रामकिशन** : यह सवाल नहीं है, जिन माननीय सदस्यों का. . .

**श्री अध्यक्ष** : जिन माननीय सदस्यों का इस प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है उनको प्राथमिकता दी जायगी।

**श्री रामकिशन** : आज जिस स्थिति पर विचार कर रहे हैं, हमारे दल के लोग भी इस स्थिति से खुश नहीं हैं। लेकिन मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से और खास तौर पर कांग्रेस के उन लोगों से, जिन्होंने लोकतंत्र अहिंसा, समाजवाद और इस देश में जमूहरियत कायम करने के लिए संघर्ष किया है, निवेदन करना चाहता हूं कि वह हमें इस सत्र से निकालें, इस सदन से निकालें, साल के लिए निकालें, दो साल के लिए निकालें, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, यह है कि जिन कारणों से यह परिस्थिति पैदा हुई, क्या सरकार या सरकारी पक्ष

( ४.०० म.प. )

(श्री रामकिशन)

के लोग उनको दूर करने के लिए तैयार हैं ? ऐसा मालूम पड़ता है जिन माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव को रखा है कि हमें निष्कासित कर दिया जाय–वह यह समझते हैं कि हम यहां कोई २१ रुपये रोज भत्ते के लिए आये हैं या विधान सभा की कुर्सियों पर बैठने आये हैं। हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हों, जिनकी धारणा इस तरह की हो। लेकिन हमारे लिए विधान मण्डलों में प्रवेश करना, लोकतंत्र की पवित्रता के लिए संघर्ष करना जीवन-दर्शन का अंग है। इस दृष्टि से यदि हम निकाल दिये जायं तो हम इसका स्वागत करेंगे। सरकारी पक्ष यह समझ ले कि हमने कोई अपराध किया है और इसके कारण कि अनुभूति उनके मन में होनी चाहिए। हमें कोई सजा लेने में कष्ट नहीं होगा, हमें कोई अफसोस नहीं होगा। हम यह मान कर चलते हैं कि हमने जो कुछ किया है उसके अलावा लोकतंत्र की रक्षा करने के लिये कोई अन्य उपाय हो नहीं सकता था। इसकी सारी पृष्ठभूमि को यदि आप समझेंगे,तो मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव पेश किया है उनको शर्म आएगी, उनको अफसोस होगा। आखिर कौन कारण ऐसा था जिसके कारण मुझे जैसे आदमी को भी उत्तेजित हो जाना पड़ा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आज तक किसी घटना से इतना उत्तेजित नहीं हुआ, सिवाय एक बार के जब मैं एक घटना से उत्तेजित हुआ और वह इस कारण कि हम देखते थे कि सरकार कानून को तोड़ने के लिए इरादा बांधे हुए बैठी है। जिन्होंने कानून तोड़ा, उनसे मुझे कोई नाराजगी नहीं है–तो उन सारी हालात ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया और जो मामले यहां पर हुए उन पर हमने पन्द्रह दिन तक विचार किया है। हमने अपने दूसरे वरिष्ठ साथियों से भी राय ली और मशविरा लिया। हमने यह देखा कि लोकतन्त्रीय सरकार को यदि निरंकुश बना दिया गया, तो लोकतन्त्र समाप्त हो सकता है। प्रश्न यह नहीं है कि एक आदमी कहां रहता है। वह उस पद पर रहता है या नहीं, यह बात नहीं है। लेकिन जो व्यवस्था है लोकतन्त्र में उसको समाप्त करने की कौन पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है, यह एक प्रश्न है। मामला यह नहीं है कि कुछ अध्यादेश लाये गये। हम जानते हैं कि सरकार को पूर्णरूप से अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकती है और अध्यादेश निकाल सकती है, लेकिन अगर एक-एक दिन में तीन–तीन अध्यादेश और एक-एक रात में दो–दो अध्यादेश निकाले जावें तो यह कहां तक न्यायोचित है ? अध्यादेश जारी करने के संबन्ध में एक छोटी सी व्यवस्था विधान में की गई है कि सरकार किन हालतों में अध्यादेश ला सकती है, उसमें स्पष्ट है कि यदि देश में कोई संकट हो, या विधान सभा का सत्र आरंभ होने वाला निकट भविष्य में नहीं हो और सरकार को वह कानून लाना आवश्यक हो और सरकार यह महसूस करे कि अध्यादेश के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है तो उस हालत में सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए। उसको हम चुनौती नहीं देते। लेकिन जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये अध्यादेश जारी किये गये हैं, चाहे माननीय मंत्री उनको यहां नहीं कहें, चाहे यहां पर वे इसको स्वीकार नहीं करें, लेकिन सरकार के जिन माननीय मंत्री ने यह काम किया है और इस प्रकार के अध्यादेश जारी किये गये हैं, मैं यह कहूंगा कि यह काम उनका निश्चित तौर से निन्दनीय

# Page No. 94



(श्री रामकिशन)

है । जब हमने देखा कि सरकार कानून तोड़ने के लिए आमादा है और अध्यादेशों का दुरुपयोग होता है और लोकतन्त्र का मखौल बनाया जा रहा है तो उसके खिलाफ राज्य के सर्वोच्च शासक से, जो संवैधानिक हैड है, उनके सामने जब वो यहां हमें संदेश देने आते हैं तो उनके सामने हम कुछ प्रार्थना करना चाहते थे और उसके लिए खड़े हुए। हमारा इरादा क्या था, हम उसके बारे में स्पष्टीकरण दो-दो लाइन में कहना चाहते थे । मैंने हमारे राज्यपाल महोदय को इस संबन्ध में एक चिट्ठी भी लिखी थी कि आपके राज्य के पंचायत मंत्री ने इस तरह से कानून को तोड़ा है और एक-एक रात में दो-दो अध्यादेश जारी किये गये हैं। और यह सब आपको किस लिये करना पड़ा, यह भी मैं यहां पर बता देना चाहता हूं। वह इसलिये कि भरतपुर जिला परिषद् के प्रमुख को आपको हटाने के लिए यह कानून तोड़ना पड़ा है ।

(व्यवधान)

हम उनके अध्यादेश जारी करने के अधिकारों को चुनौती नहीं देते। हम कोई यह समझते हों कि कुर्सियों पर चिपक कर बैठे रहना चाहते हैं यह बात नहीं है। अगर सदन यह निर्णय करें कि हमें निकाला जाए तो मैं एक क्षण भर के लिए भी ठहरना नहीं चाहूंगा। मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूं जो पदों और कुर्सियों पर चिपके रहें मैं तो यह कहूंगा कि मुझे तो वहां पर चिपकाया गया है । जब तक वहां मेरे साथ बहुमत है मैं समझता हूं कि मुझे डरने की जरूरत नहीं ।

अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि भरतपुर जिला परिषद् में कांग्रेस दल के सदस्य को दबाया गया और जब वे मन्त्री महोदय के दबाव में नहीं आये, तब यह किया गया । मैं उन सदस्यों का स्वागत करता हूं कि जो किसी के दबाव में नहीं आते और उनका भी स्वागत करता हूं कि वे माननीय मंत्री महोदय के दबाव में नहीं आये, मुझे वहां से हटा दिया जाय, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मगर अध्यक्ष महोदय, वहां होता क्या है ? भरतपुर जिला परिषद् की सदस्यता की शपथ पांच प्रमुख कांग्रेस जनों ने नहीं ली, जिनमें से माननीय मंत्री महोदय, श्री दामोदरलाल व्यास, भी एक थे ।

पिछली बार एक अध्यादेश सदन में लाया गया था, जिसमें यह था कि जिन जिन सदस्यों ने अभी तक शपथ सदस्यता की ग्रहण नहीं की हो, वे १६ अक्टूबर तक शपथ ले लें । और जिस समय यह कानून पारित करने के लिए खड़े हुऐ थे, उस समय श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने कहा था कि पंचायत मंत्री महोदय ने भी शपथ नहीं ली है, मुझे दुःख इस बात का है कि पंचायत मंत्री महोदय ने जिस कानून को पारित कराया, उस कानून को पालन करने के लिए कोशिश नहीं की। वे इसकी क्यों चिन्ता करते और क्यों शपथ ग्रहण करते ? उनके लिए तो सरकार की गद्दी है । वे क्यों पंचायत समिति में जायें और वहां पर शपथ लें । उन्होंने जिला परिषद् में जाने और शपथ लेने का कष्ट नहीं किया। उनके अलावा जिन जिन व्यक्तियों ने शपथ ग्रहण नहीं की थी, उनमें सर्व श्री टीकाराम पालीवाल, श्री जगन्नाथ पहाड़िया और श्री जगन्नाथ बोहरा आदि थे । इन सभी लोगों ने वहां पर जा कर कानून के अनुसार शपथ नहीं ली थी और

(श्री रामकिशन)

इस कानून के अनुसार परिषद् की सदस्यता के अयोग्य हो गये थे। अत. ४ जनवरी को जब सारा राष्ट्र श्री शास्त्री के निधन से शोक संतप्त था और सारे देश में शास्त्री जी का शोक मनाया जा रहा था और लोग आंसू बहा रहे थे, उस समय हमारी सरकार पक्ष के लोगों ने भी आंसू बहाये मगर मगरमच्छ के आंसू बहाये और उस तारीख को, ऐसे समय में यह अध्यादेश निकाला गया कि जो एम. एल. ए. और जो एम. पी. है, उनको शपथ लेने की जरूरत नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में डेवलपमेंट अधिकारी को १५ जून को चिट्ठी लिखी कि केवल एक जिला परिषद की वजह से इस प्रकार का अध्यादेश जारी किया जाता है, यह कहां तक उचित है। इसको माननीय मंत्री महोदय यहां स्पष्ट करेंगे। मैं यह कहूंगा कि वह केवल आडम्बर के तौर पर इसका जवाब न दें, लेकिन उनकी आत्मा इस संबन्ध में क्या कहती है यह बतायें। तो मैं कहूंगा कि जो व्यक्ति चोरी करता है, वह जल्दी जल्दी भागता है और भागने में गिर जाता है और यही हालत आपकी हुई। आपने जल्दी-जल्दी में अध्यादेश निकाला और इस कारण वह गलत निकल गया।

अध्यादेश में विधायकों की धारा संशोधित होने के बजाय सरपंच की धारा संशोधित हो गई और सरपंच को हटा दिया। कलेक्टर ने इस गलती को बताया तो फिर यह अमेण्डमेंट किया गया कि फलां धारा की जगह फलां धारा का अमेन्डमेंट माना जावे। मगर वो भी गलत निकल गई। राज्यपाल को वैसे तो इन्हेरेन्ट पॉवर्स हैं अध्यादेश निकालने का। मगर ये सारा हिस्ट्रिज क्यों और कैसे पैदा हुई। यह सुन कर शायद माननीय मंत्री को कष्ट होगा। आपको चीफ मिनिस्टर बनने के लिये या केन्द्रीय मन्त्री को, दो वोटों का लोभ था या क्या मालूम क्या बात थी, यह अध्यादेश निकाल दिया गया। मगर जिला परिषद् में अविश्वास प्राप्त करने के लिये १९ आदमियों के वोट चाहिये। वहां पर २७ तारीख को मतदान था और वहां पर बैठक शुरू हो गई थी उसमें १७ आदमी थे। कांग्रेस के लोगों को जिनको वो दबा कर वोट लेना चाहते थे उन्होंने उनके दबाव में आकर वोट नहीं दिए। मैं ऐसे कांग्रेस के सिद्धांतवादी लोगों की हमेशा तारीफ करता हूं जो अन्याय के सामने नहीं झुकते और किसी के दबाव में नहीं आते। जब अविश्वास का प्रस्ताव पास नहीं होता है तो जिलाधीश को मीटिंग को पोस्टपोन के लिये, स्थगित करने के लिये कहा जाता है और जब वह इन्कार कर देता है, क्योंकि धारा ५ में यह लिखा है कि नोट बी पोस्टपोन्ड, मैं अंग्रेजी नहीं बोलना चाहता फिर भी उसमें यह शर्त है कि किसी भी सूरत में मीटिंग पोस्टपोन नहीं की जावे। जब जिलाधीश ने इन्कार कर दिया तो श्री व्यासजी की प्रेरणा से यहां से एसिस्टेन्ट सेक्रेट्री को बुलाया गया। एसिस्टेन्ट सेक्रेट्री का लड़का हालांकि जोधपुर में गिर पड़ा था, मगर फिर भी उनको बुलाया गया। एसिस्टेन्ट सेक्रेट्री वहां आए और वहां पर किसी पार्टी की मशीन ली और बगैर किसी डिस्पेच नम्बर के एक कागज इस सम्बन्ध में कलेक्टर, भरतपुर को दिया गया। (व्यवधान) इसकी कॉपीज् हमारे पास हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे जिला परिषद् के अध्यक्ष पद से कोई लोभ नहीं है। मैं अभी

(श्री रामकिशन)

हट सकता हूं । माननीय मंत्री मुझे खाली कल या परसों एक प्राइवेट पत्र लिख दें जिसमें मुझसे इस पद से हटने की प्रार्थना कर दें हटने के लिये । मैं खुद हट जाऊंगा। मैं उस सरकार में जो लोकतन्त्र को मखौल समझती है, उस सरकार की किसी व्यवस्था का कोई अंग या सदस्य नहीं बनना चाहता, जो लोकतन्त्र की कीमत को नहीं समझती। मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस तरह २७ तारीख को वोट पूरे नहीं हो सके तो ४ तारीख को जब सारा राष्ट्र शास्त्री के निधन से शोक संतप्त था आपने यह अध्यादेश जारी किया, उसी प्रकार जिस बूथ पर कांग्रेस के वोट कम होंगे उसके लिये यह आॅर्डर सरकार निकाल देगी कि आज नहीं कल वोट देने के लिये आवें । मैं समझता हूँ कि हमारा सरकारी पक्ष यही कोशिश कर रहा है जो चांग-काई-शेक ने किया, जो अयूबकर, घाना, एक्रूमा में किया वही आज राजस्थान में किया जा रहा है । जब सारी घटनाओं में अविश्वास का प्रस्ताव पास नहीं हो तो हमारे मंत्रीजी जो विद्वान आदमी हैं और बुजुर्ग भी हैं इसलिये मैं उनके प्रति कोई अशोभनीय बात नहीं कहना चाहता, वे अमेन्डमेंट के द्वारा इस प्रकार की छूट दे दें । एक प्रधान श्री जगन्नाथ बोहरा धौलपुर वाले जिन्होंने शपथ नहीं ली कानून में यह लिखा है कि तीन महीनों में शपथ ले लेनी चाहिये । उनको तीन मीटिंगों में शपथ ले लेनी चाहिए थी । व्यासजी का दबाव है । प्रेम करते हैं या क्या करते हैं, मैं नहीं कह सकता । पुलिस के लोग बेचारे रोते हैं जिन्होंने उनको वहां से जिताया । आज वे ही लोकतन्त्र की हत्या करते हैं, वे दबाते हैं, मैंने उनसे कहा कि आप मत दबो । अध्यक्ष महोदय, एक झूठी दरख्वास्त दिलाते हैं कि चूंकि प्रमुख मेरे खिलाफ है, अतः शपथ नहीं दिलाते । लेकिन मैं आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूं बोहराजी मेरे समर्थक थे । उनसे यह झूठी एप्लीकेशन दिलाई गई । मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर वे मेरे खिलाफ थे तो तीन महीनों में इस प्रकार की दरख्वास्त क्यों नहीं आई ? इस तरह से यह एक दरख्वास्त झूठी दिलाई गई । इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करूंगा माननीय सदस्य श्री राजबहादुर, श्री जगन्नाथ पहाड़िया आदि ने ५ मीटिंगों में भाग नहीं लिया। इसके अतिरिक्त मुकुटबिहारीलाल और हरिशंकर भी हैं जिन्होंने जिला परिषद् की मीटिंगों में भाग नहीं लिया । इस प्रकार ७ आदमियों के नाम लिखकर राज्य सरकार के पास भेजा । राजस्थान सरकार इसमें क्या कहती है, राजस्थान सरकार का आदेश गया कि कांग्रेस के फलां फलां ५ मेम्बर मीटिंग में भाग ले सकते हैं, हरिशंकर और मुकुटबिहारीलाल के बारे में सोचा जा रहा है . . .

(विराम)

इससे बढ़कर और कोई घृणित हरकत नहीं हो सकती । इस अविश्वास के प्रस्ताव से हमें कोई चिन्ता नहीं, चाहे पहले दिन ही पास हो जाय, पर व्यासजी चिट्ठी लिखें और कह दें कि मेरा मुख्य मंत्री का चान्स आ रहा है, दो वोट और हो जायं मुझे इसमें कोई एतराज नहीं । पर प्रश्न यह है कि इस सारी पृष्ठ-भूमि में लोकतन्त्र रह सकता है क्या ? इसीलिए हमने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी । जोशीजी ने आदेश निकाल दिया कि कांग्रेस के हर सदस्य को वोट

(श्री रामकिशन)

देना होगा, चाहे वह बीमार ही क्यों न हो। ऐसी दशा में मुख्य मंत्री को कांग्रेस के बारे में निवेदन करना व्यर्थ था, क्योंकि यह उनकी पार्टी का प्रश्न रहा, अपने दल के खिलाफ वे कब कुछ करते, करना भी नहीं चाहिए। इसलिए हमने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी। केन्द्र में राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी कि यहां पर सारी मर्यादाओं को, कानून को तोड़ा जा रहा है, और कानून और इन सारी मर्यादाओं को तोड़ने में व्यासजी और राजबहादुरजी हैं। हमने राज्यपाल को पत्र लिखा कि आप हमें जवाब दीजिए, इन कानून विरोधी कार्यवाहियों को बन्द करवाइये, व्यासजी को मेम्बरशिप से बरखास्त कीजिए और आप अपने अभिभाषण के समय इस पर प्रकाश डालिये। राज्यपाल महोदय ने चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया, कोई जिक्र नहीं किया, हमारा डेपुटेशन आया उस समय बनारस चले गये थे। राज्य का सबसे विशिष्ट व्यक्ति हमारे यहां आये, उनके सामने हम हमारी बातें रखें, इस पर हमको गार्ड से निकलवा दिया जाता है। वह अगर अपराध है तो हम हजार बार यह अपराध करेंगे। हम माफी नहीं मागेंगे। माफी वे मांगें जो कुर्सियों पर बैठे सुविधाएं भोग रहे हैं, माफी वे मांगें जिनको राज्य चलाने का लोभ है। हम माफी नहीं मांगेंगे। इस मरन से ही नहीं, देश से निकलना पड़ेगा तो हम इसके लिये तैयार हैं। हमारे सामने परम्पराओं का प्रश्न है, लोकतान्त्रिक परम्परा का प्रश्न है, प्रमुख का प्रश्न नहीं।

एक और कारण से भी हमने यह किया है। घाना में क्या हुआ, नाइजीरिया में क्या हुआ? नाइजीरिया के एक भाग में चुनाव हुए, अबूबकर साहब ने उनको अवैध घोषित करा दिया, अबूबकर साहब की लाश ७ दिन बाद कूड़े के ढेर में पड़ी मिली, हम नहीं चाहते कि हमारे किसी मंत्री की लाश कूड़े में मिले। चांग काई शेक का क्या हुआ? एन्क्रूमा साहब का क्या हुआ; जिन लोगों ने कि लोकतन्त्र को तोड़ा है। इसलिये हमने जो कार्य किया है, किसी दुर्भावना से नहीं किया है, यह हमने इसलिये किया है कि देश में गोली से सरकार बदलने की परम्परा नहीं हो जाय, इसी लिये हमने कष्ट सहने का रास्ता स्वीकार किया है, जो रास्ता सुकरात ने स्वीकार किया, जो रास्ता प्रह्लाद ने स्वीकार किया, जो रास्ता ध्रुव ने स्वीकार किया और जो रास्ता गांधीजी ने स्वीकार किया, वही रास्ता हमने स्वीकार किया है। अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि यह अशिष्टता है। यह पूंजीवाद के प्रतीक लोग कहते हैं, यह उनकी अशिष्टता है, भगतसिंह ने बम्ब फेंका था तो कांग्रेस ने क्या कहा था, जो पुराने हैं वे जानते हैं, यह कहा था कि जगाने के लिये यही साधन हो सकता है। जिन ब्रिटिश परम्पराओं का अनुसरण आप कर रहे हैं वहां सड़े अन्डे और टमाटर फेंकते हैं, हम सड़े अण्डे और टमाटर नही फेंकेंगे, हम बम्ब नही फेंकेंगे, पर हमने एक चीज सुकरात से और प्रह्लाद से सीख ली है, हम अन्याय सहेंगे नहीं, हम मारेंगे नही, हम कष्ट सहेंगे। हम लोगों को कहेंगे कि हम राज्यपाल को अपनी बात कहना चाहते थे, इस अपराध में हमको निकाल दिया गया, एक महीने के लिये, दो महीने के लिये या अमुक अवधि के लिये निकाल दिया गया।

( श्री रामकिशन )

तो मैंने इस अध्यादेश की पृष्ठ-भूमि बताई। यह कह सकते हैं कि भरतपुर में प्रमुख के खिलाफ हुआ इसलिये यह किया। पर वास्तविक स्थिति यह है। पशु कर लगाया गया। यह हम मानते हैं कि विकास की बात करेंगे तो सरकार को पैसा देने की बात भी करनी पड़ेगी। हम अनपढ़, मूर्ख नहीं हैं, हो सकता है कि आप ज्यादा पढ़े-लिखे हों, ज्यादा बुद्धिमान हों पर इतना हम भी जानते हैं कि बिना पैसे के सरकार नहीं चल सकती। पर सरकार को पैसा किस लिये दिया जाय ? योजना के लिये पैसा दिया जाता है उसको गैर-योजना में खर्च कर दिया जाता है। दूसरी योजना में १२ अरब रुपया लिया गया, बांधों को बनाने के लिये, सड़कों को बनाने के लिये, यह पैसा लिया गया, बिजली लगाने के लिये लिया गया, अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिये पैसा लिया, कहा गया कि बिजली लगायेंगे, अनाज की पैदावार बढ़ायेंगे पर संसद की एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि १२ अरब में से ८ अरब २३ करोड़ रुपया गैर-योजनाओं में खर्च किया गया, लिपस्टिक और पाउडर के कारखाने खड़े करने में खर्च कर दिया गया, ऐसी सरकार के लिये पैसा देना अधर्म है। अगर हमारे पैसों से सड़कें बनतीं, नहरें बनतीं, यदि हमारे पैसों से डिस्पेन्सरी खोलते हैं, गरीब और अमीर का भेद मिटाते हैं, अनाज की पैदावार बढ़ाते हैं, तो सोशलिस्ट पार्टी सबसे पहले तैयार है टैक्स देने को। पर इसके लिये टैक्स देने को तैयार नहीं कि उस टैक्स के पैसे से मन्त्रियों के लिये उनकी इच्छानुसार सुविधाओं के बंगले बना दिये जायेंगे, चरतराम भरतराम को पैसा दिया जायगा, चाहे देश के लिये उपयोगी सामान बनाते हों या नहीं। यह मेरे ही विचार नहीं सरकारी बैंचों पर बैठे पुराने बुजुर्ग, विचारशील व्यक्ति बैठे हैं उनकी भी यही मान्यता है, पर उनकी मजबूरियां हैं, वे सच्ची बात, दिल की बात कह नहीं सकते। आज हमारे यहां अनुशासन का गलत अर्थ लगाया जाता है। अनुशासन का अर्थ है वाणी की स्वतन्त्रता और कर्म का बन्धन, पर इस देश में उल्टा हो रहा है। कर्म में छूट है और वाणी पर बन्धन और इससे देश में तानाशाही लाने की कोशिश की जा रही है।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, स्वतन्त्र पार्टी, जनसंघ के माननीय सदस्यों को पता नहीं था कि इसकी पृष्ठभूमि में क्या कारण हो सकता है। मौका ठीक नहीं था, या अशिष्टता थी, उनके दल का कार्यक्रम, उनका दल उनके साथ है, हम उनके कार्यक्रम और दल की इज्जत करते हैं, पर जो हमने काम किया है क्या कोई भी दुनियां का डेमोक्रेट हमें बता सकता है कि इसके लिये और क्या तरीका हो सकता था ? इसके दो ही तरीके हो सकते हैं, गोली चलाना या विरोध प्रदर्शन। गोली चलाना सोशलिस्ट पार्टी की नीति नहीं। सोशलिस्ट पार्टी की नीति समाजवादी समाज की रचना करने की है, हम गोली चलाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे सामने सत्याग्रही के रूप में कष्ट उठाने के सिवाय और कोई चारा नहीं, इसलिये हमने यह किया है और उसके लिये हमें कोई खेद नहीं है। राज्यपाल महोदय हमें निकलवाते नहीं,

(श्री रामकिशन)

हमारी बात सुन लेते तो हम स्वयं फैसला करके आये थे कि वहिर्गमन कर जायेंगे, बहिर्गमन कर जाते ।

आखिर हमारे लिये और चारा क्या था ? आप चाहे जो करें, कानून को तोड़ें, धाराओं को तोड़ें, नियमों को तोड़ें, विधान को, संविधान की मर्यादाओं को तोड़ें, उसके खिलाफ हम वाणी से अपना दर्द व्यक्त करना चाहते हैं, वह दर्द भी व्यक्त नहीं कर सकते ? इसके लिये अनैतिक शब्द का प्रयोग किया, अनैतिक शब्द का अर्थ वे क्या लगाते हैं ? जहां तक भाषा का सम्बन्ध है स्त्री-पुरुष के यौन संबंधों के अलावा दूसरे सम्बन्धों के अतिरिक्त अनैतिकता शब्द बहुत कम आता है, हिन्दी का अधूरा ज्ञान, अंग्रेजी का अधूरा ज्ञान, जो कहदें, कहदें । गालियां हम सहर्ष स्वीकार करेंगे ।

इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करता हूं कि राजस्थान सरकार हमें सजा दे, हम खुशी से स्वीकार करेंगे, लेकिन कम से कम जिस मंत्री महोदय ने जो यह काम किया है उसको आप कहें कि आप ऐसे कार्य मत करो। इतना कह दो तो भी हमें संतोष होगा । मुझे एक कहानी महाभारत की याद आती है। वह द्रोपदी की है। उसने एक बात कही थी, क्योंकि स्त्रियां मार्के की बात करती हैं। एक तो वे करती नहीं हैं और यदि करती हैं तो मार्के की करती हैं । एक घटना मुझे याद आती है जब भीष्म पितामह मर रहे थे तो दोनों कौरव पांडव उनके पास खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने कुछ कहानी कहना शुरू की कि ऐसा नहीं करना चाहिए । द्रोपदी सताई हुई थी क्योंकि उसके साथ जो महाभारत में कांड हुआ था वह संसार में कहीं भी नहीं हुआ है । वह हंसी इस बात पर कि मरते वक्त बूढ़ों में ज्ञान देने की आदत होती है । जब वह हंसी तो भीष्म ने पूछा। द्रोपदी ने कहा कि अब आपकी समझ में आया है कि यह काम करना चाहिए या नहीं । जब मेरी बेइज्जती हो रही थी उस समय आप शांत बैठे थे । मैंने जो बात कही वह प्रमाणित है या नहीं, इस संबंध में मुझे सन्देह है और मसूदा साहब विद्वान हैं वह बतायेंगे कि गद्दी पर कभी भी बहुत अधिक बुद्धिमान आदमी को नहीं बैठना चाहिए क्योंकि जब शक्ति और बुद्धि मिल जायगी तो वह आदमी संसार का विनाश कर देगा । हिटलर बुद्धिमान और शक्तिवान था तो उसने ऐसा ही किया । आप इस तरह के बुद्धिमान बन कर संसार को नष्ट मत करो। मेरा मतलब यह नहीं है कि दूसरे लोग बुद्धिमान नहीं हैं । इस सदन में मैंने १० बार बात उठाई है कि राजगद्दी पर कभी भी ब्राह्मण और कायस्थ नहीं बिठाने चाहिये, खासतौर से व्यासजी जैसे ब्राह्मण को। हिन्दुस्तान में दो तरह के ब्राह्मण हैं वशिष्टी और वाल्मीकी । वशिष्टी कर्म से अच्छे नहीं हैं और वाल्मीकी कर्म से अच्छे हैं। अगर पंचायत मंत्री भीखाभाई या नाथूराम मिर्धा होते तो इतना अनर्थ कभी भी नहीं कर सकते थे। बरकतुल्ला खां तो ऊंचे खानदान के हैं उनने तो नगरपालिकाओं में सब को सस्पेंड कर दिया था । यह बहुत गम्भीर मामला है। आप सजा दे दो हम सहर्ष घरों पर जायेंगे। व्यासजी आप राजाखेड़ा में चुनाव लड़लें, पुलिस का स्तेमाल न करें और वोटरों पर दबाव न डालें, इसी बात पर चुनाव लड़ें जो आपने काम किया है । जो कुछ उन लोगों ने किया है वह दबाव से और डर से । लोग मन से आप से प्रसन्न नहीं हैं। मैं केवल आप से

(श्री रामकिशन)

कहना चाहता हूं कि आज नहीं, कल नहीं परसों कभी भी चुनाव मुझ से लड़िए, मैं स्तीफा दे दूंगा इसलिए नहीं कि आप हटा देंगे, मैं नहीं हट सकता हूं। आप वहां जिला परिषद् की मीटिंग में जाते हैं लेकिन राजाखेड़ा में २२ डकैतियां हो गईं उस वक्त आप वहां नहीं पधारे। लड़के भगाए जा रहे हैं सरकार का कोई मंत्री नहीं गया, लेकिन जिला परिषद् की मीटिंग के लिए लोगों से कहा है कि मेरे साथ दौसा चलना। मैं उस दल को पसन्द करता हूं जिसमें अनुशासन हो। राज्यपाल के भाषण से पहले हमारी बैठक हुई थी। मैंने रामानन्दजी से कहा था, विरोध दल के बुजुर्ग नेता से कहा था, सतीशचन्द्री जी से कहा था कि हमारा इरादा केवल इतना है कि विरोध प्रदर्शन करना है, लेकिन राज्यपाल महोदय तो इतना गुस्से हो गये कि रामानन्द को, रामकिशन को निकाल दो और वह भी राज्यपाल महोदय श्री संपूर्णानंद जो दुर्भाग्य से कभी इस दल के मेम्बर रहे हैं और रहते हुए इन्टरनेशनल लॉ पर किताब लिखी है जिसके दो फिकरे मुझे याद हैं कि सरकार को बदलने का जनता को उसी तरह अधिकार है जैसे रोटी-रोजी का। लेकिन गद्दी पर क्या हो जाते हैं ?

सरकार हमें निकाले, उसके बाद आप, खुशी मनाएं और उसके बाद मिठाई खिलायेंगे लेकिन इस घटना की परिस्थितियों पर विचार करें। अगर सोच-समझकर कुछ करेंगे तो हमारा सजा पाना सार्थक होगा और रंज नहीं होगा। अगर इतना नहीं सोचेंगे तो अफसोस होगा। इन नत्थीसिंह और मुकुटबिहारीलाल ने अपनी छाती पर मोटर लदवाई थी, उन्होंने संघर्ष किया है। उन लोगों को तकलीफ क्या है ? जो सुखाड़िया की बगल में या व्यासजी के बगल में बैठ जायं, उनमें विवेक नहीं जाग सकता। इससे विरोधियों को कोई नाराजगी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, विरोधी दल के प्रत्येक सदस्य इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट करें और कांग्रेस के पार्टी के वे लोग जो लोकतंत्र, अहिंसा, सत्याग्रह और समाजवाद, जो गांधीजी की ४ देन हैं, में विश्वास नहीं करते, उनके खिलाफ विद्रोह करें नहीं तो यहां भी अबूबकर और एक्रूमा वाली हालत हो जायगी। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार विवेक से काम ले।

**श्री दामोदरलाल व्यास** (स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय,........

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना) : अभी तो हमें बहुत कुछ कहना है।

**श्री अध्यक्ष** : पहले माननीय सदस्य बोल लें।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I am speaking on point of personal explanation.

**श्री रामकिशन** : हम जो १२ अपराधी हैं उनको फांसी लगाने से पहले तो उनकी सुन लो कि हमारा दर्द क्या है।

(श्री दामोदरलाल व्यास के बोलने पर 'नो-नो' की आवाज)

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं कि किन हालात में यह अध्यादेश निकला ताकि आगे की बहस में सही बात आए।

**श्री रामकिशन** : अगर हमारा एक शब्द भी गलत हो तो हम फांसी खाने को तैयार हैं, आप एक्सप्लेनेशन क्या देंगे ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : ऐसे और भी कई मौके आ सकते हैं जब डिफेंस मैन ऑफेंस से ज्यादा अग्रावेटेड हो ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I want to explain the circumstances under which the ordinance has been issued.

**श्री अध्यक्ष** : उसके बारे में और भी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**: पहले १२ सदस्यों को बोलने का मौका दें ।

**श्री नत्थीसिंह** ( भरतपुर ) : अध्यक्ष महोदय, हम राज्य के कांस्टीच्यूशनल हैड की उपस्थिति में अपनी बात कहने के लिए मजबूती के साथ किन परिस्थितियों में खड़े हुए उसका कुछ दिग्दर्शन भाई रामकिशनजी ने कराया है। लेकिन वह कहानी अधूरी रह जायगी अगर उसका दूसरा पहलू इस सदन के सामने नहीं रखें । जो जवाब देने के लिए जल्दी-जल्दी पंचायत मंत्री खड़े हो रहे हैं उनकी उन कड़ियों को सुनते जाइए जिनसे वह कहानी बनाई गई है, वह जनतंत्र के इतिहास में काला धब्बा है । उनको एक एक कर सुनो हिम्मत के साथ और जवाब दो।

मैं मंत्री महोदय से पूछूंगा कि आप सदन की प्रतिष्ठा को कायम रखते हुए ईमानदारी के साथ बताओ इस सदन में कि जब २६ तारीख की रात को आपके पास भरतपुर जिला परिषद् के प्रमुख के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास करने के लिये पूरे सदस्य नहीं थे तो आप भरतपुर की पुलिस के एस० पी०, पं० शीसराम शर्मा की शरण में गये थे या नहीं ? और उनकी मिन्नतें की या नहीं कि आप येनकेन-

(शोरगुल)

प्रकारेण वोटरों पर दबाव डालो, उनको मजबूर करो कि वे जिला परिषद् के प्रमुख के खिलाफ जावें........

(शोरगुल-अश्रव्य)

मैं चेलेन्ज करता हूं श्री व्यासजी को कि वे बतायें कि उन्होंने पं० शीसरामजी, एस० पी० को किन्हीं लोगों के पास रात को जीप में भेजा या नहीं ?

(शोरगुल)

और ४ बजे आपको आकर जब एस० पी० ने कहा कि मेरी नहीं चली, तब आपने असिस्टेन्ट सेक्रेटरी को मजबूर किया कि क्योंकि धोंस, दबाव और गैर-कानूनी तरीके से गैर-कानूनी ऑर्डर पर दस्तखत कराओ। इन्हीं सरकारी हुक्कामों, एस० पी० के बल पर चुनाव जीत कर अविश्वास पास करा सकते हो, लेकिन जनतंत्र को कुचल नहीं सकते, हम कुचलने नहीं देंगे । वोटरों को धमका कर, विरोधी पक्ष को धमका कर, उनको कानून और मुकदमों में फँसा कर, उनको लालच देकर, उनको तोड़ने में विश्वास रखते होंगे लेकिन हम विश्वास रखते हैं हमारे दम में जब तक दम है हम आपकी काली करतूतों का भंडा फोड़ करेंगे ।

(व्यवधान)

देशभक्त आपकी गोलियों का सामना करेंगे । इस सदन से जाने के बाद, आपके द्वारा प्रस्ताव पास करने के बाद हम चुप नहीं बैठ जावेंगे व्यासजी। आपके और आप की सरकार के एक

(श्री नत्थीसिंह)

एक काले पन्ने को हम राजस्थान की जनता के सामने लायेंगे। जिस दिन तक सदन चलेगा, हमारा अभियान चलेगा। हम मजबूर करेंगे आपको, आपकी सरकार के घुटने टिका कर के रहेंगे। किन परिस्थितियों में टोंक के एक सदस्य ताना दे रहे थे कि व्यासजी भरतपुर में उधार चले गये। पहले मालपुरा टोंक में था अब भरतपुर में चला गया। हमने आपको यहां पहली दफा देखा। हम सदन में आये थे जब आप गैर-हाजिर थे। विशेष कुछ नहीं है, केवल चीफ मिनिस्टर बनाने का केन्द्रीय मंत्री द्वारा लोभ या हाई कमान के सामने दोष मुक्त कराने की बात है, आप एक झटके में गिर गये और उस नीचे दर्जे पर आ गये जिस नीचे दर्जे का मुकाबला हम उसी हालत में कर सकते थे जिसमें हमने किया।

( ४.३३ म. प. )

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं इस सदन से निलम्बित करने की बात करते हैं। किस लिये निलम्बित करने की बात करते हैं? हमने राज्यपाल का अपमान किया। हम कहते हैं राज्यपाल महोदय ने इस सदन का अपमान किया, हमारा अपमान किया और भारत के सर्वोच्च शक्ति सम्पन्न हमारे पवित्र संविधान का अपमान किया।

(शोरगुल)

आप गलत कैसे कहते हो? हम सही बात कहेंगे। जिस वक्त वे बैठे थे और एक एक को निकाल रहे थे मुझे याद आ रहा था वह जमाना जब यू० पी० में ये ही मुख्य मंत्री की गद्दी पर बैठे थे और विरोधी दल के सदस्यों को एक एक करके निकालते थे। वे उस दिन भी यह समझे थे कि वे यहां पर उसी तरह से बैठे हैं। उनका कर्तव्य था कि वे हमारी बात सुनते। जब पालियामेन्ट में बहस हो रही थी, डा० राधाकृष्णन ने सब्र से काम लिया। पालियामेन्ट में जो कुछ हुआ उसमें उन्होंने गम्भीरता कायम रखी। सदस्यों को कहने दिया और यहां तो विरोधी पक्ष की कोई बात सुनी ही नहीं। सुनने की आदत भी नहीं, उनके सामने सदन कुछ था ही नहीं और जैसे पुलिस के कोई चीफ अफसर हों....

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना): पुलिस के दारोगा कह दो।

**श्री नत्थीसिंह** : एक एक को निकालते चले गये। मुझे उस समय एक किस्सा याद आ रहा था कि एक स्कूल है और वहां के हैडमास्टर यह समझ कर उस स्कूल में नॉटी बॉय (शरारती लड़के) आ गये हैं इसलिये मास्टरों से दो-चार को बाहर निकालते जाओ, यही कार्य उन्होंने यहां किया। यह हमारा ही अपमान नहीं इस सदन का ही नहीं किन्तु राष्ट्र का भी अपमान है जो गवर्नर ने किया। गवर्नर महोदय ने इस सदन की हो बेइज्जती नहीं की, हमारी भी बेइज्जती की और संविधान को भी तोड़ा इसीलिए हमने इसमें संशोधन दिया है कि इस सदन को प्रस्ताव पास करना चाहिये कि गवर्नर श्री सम्पूर्णानन्द ने जो कार्यवाही २९ तारीख को की, जो सदन का अपमान किया, सदन की तौहीन की, हमारी तौहीन की, संविधान के विपरीत आचरण किया इसलिये यह सदन सर्व सम्मति से निन्दा करता है ताकि इतने बड़े आसन पर

(श्री नत्थीसिंह)
बैठने वाले व्यक्ति को यह महसूस हो कि आखिर किस तरह का काम करने जा रहा है।

अभी चीफ मिनिस्टर महोदय कह रहे थे कि इस तरीके की बातें कह कर गवर्नर के कन्डक्ट को डिस्कस किया जायगा। उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया है यह गवर्नर के कन्डक्ट के खिलाफ है। २६ तारीख की कार्यवाही गवर्नर के कन्डक्ट से सम्बंधित है। यदि २६ तारीख को गवर्नर के कन्डक्ट को डिस्कस नहीं करते हैं तो २६ तारीख के सम्बन्धित यह प्रस्ताव भी नहीं ठहरता और उसका सवाल नहीं उठता। यह स्थिति भी नहीं होती। कांग्रेस सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा की कि सदन को मजबूर होकर राज्यपाल के कन्डक्ट को भी डिस्कस करना पड़ रहा है। गवर्नमेन्ट के पास कोई डिफेन्स नहीं है। राज्यपाल ने जो काम किया सब गलत किया। कौनसे कानून की परिधि में वह आता है? इसलिये अपना मुंह बचाने के लिये आप यह नंगी तलवार हमारे सिर पर लटकाना चाहते हैं। ऐसी तलवारों को हमने देखा है, बहुत बार देखा है। आपकी यह तलवार भोंटी है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रिग्रेट वगैरा की बाट मत देखो। हमने जो कुछ किया है, ठीक किया है, उस पर हमें कोई अफसोस नहीं है। गवर्नर ने जो कुछ किया है अति शर्मनाक काम किया है, उस पर हमको लज्जा है, सदन को लज्जा है। इस प्रकार का लज्जाजनक काम इस राष्ट्र के राज्यपाल ने २६ फरवरी को इस आसन पर बैठकर किया। उस दिन उन्होंने इस सदन के अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं माना, सदस्य को सदस्य नहीं माना। सारे प्रावधान अपने हाथ में लेकर जो मनमानी, हाईहैंडेडनेस की वह कभी इतिहास में क्षमा नहीं की जा सकती।

हम यहीं तक सीमित नहीं रह जावेंगे। हमारे निकलने के बाद आप देखना राजस्थान का एक २ गांव, एक २ शहर इस शासन और गवर्नर के काले कानूनों की धज्जियां उड़ायेंगे। आप हमारे गले में इसके द्वारा फन्दा डाल कर हमारी जबान पर ताला लगाना चाहते हो! अभी देश में वह पूत नहीं जन्मा है जो हमारी जुबान पर ताला डाल सके। अंग्रेज नहीं लगा सके ताला जुबान पर, राजा-महाराजा नहीं लगा सके हमारी जुबान पर ताला ये कल परसों के क्या ताला लगायेंगे? मैंने गिनती की कि इनमें से कितने लोग सन् १९४७ से पहले के हैं। काफी कन्सेशन मार्क दिये, ग्रेस मार्क दे सकता था उतने दिये, लेकिन ६ से आगे संख्या नहीं बढ़ी। कुम्भारामजी और आ गए तो सात तक बढ़ी। इस पूरे समूह में ११३ से अधिक संख्या नहीं है जिन्होंने वह जमाना देखा होगा जब राष्ट्रीय सम्मान के लिये हम और दूसरे लोग जूझते थे, अंग्रेजों को निकालने और उनसे लड़ने के लिये लोग शहीद हो गये थे, क्या उस समय इस प्रकार के काले–कानून नहीं थे? क्या इस प्रकार के बंधन नहीं थे?

ये तो उस वक्त तैयार रहते हैं जब हलवाई द्वारा रसोई बनाकर तैयार रख दी हो तो खाने के लिये मेज पर सबसे आगे उपस्थित हो जाते हैं। हम जानते हैं कि यह संक्रमण-काल है। आजादी को प्राप्त हुए अठारह साल हो गये लेकिन इस

(श्री नत्थीसिंह)

कांग्रेसी शासन में अभी तक वह संक्रमण-काल ही है। आसमान से आजादी गिरी लेकिन वह आजादी खजूर में अटक गई उसे धरती पर लाना पड़ेगा। खजूर में लटकी हुई आजादी को धरती पर लाने में कुर्बानी देनी होगी। वह हम देंगे और उसके लिये हमेशा तैयार रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव लाया गया है उसमें १२ सदस्यों को निकालने का है जैसे इन बारह सदस्यों ने बड़ा भारी जुल्म कर दिया हो, हम चाहते हैं कि आप इस तरह के कारनामें ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आपका पाप का घड़ा जल्दी भर जाय और वह फूट जाय। मैं प्रस्तावक महोदय को इस बात की चुनौती देता हूं और इस प्रकार के प्रस्ताव पास करायें; आप इसमें बुद्धि का सहारा न लेकर पागलपन का सहारा लें तभी जाकर देश में क्रान्ति आयगी। आपका यह प्रस्ताव आपकी मदहोशी का परिचायक है, पागलपन का परिचायक है, इसमें कही भी बुद्धिमानी नजर नहीं आ रही है।

आप यह अनुमान करते है कि इससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी? हम कहते हैं कि सारा मखौल इस जनतन्त्र का राज्यपाल ने बनाया है। उस मखौल पर आप उनकी छाती ठोक रहे हैं। इससे ज्यादा मखौल जनतन्त्र का और हो नही सकता। इसके लिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं. . . .

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द): आप फिर सीमा में रहते।

**श्री नत्थीसिंह** : हम आप जैसे इनके पीछे रोते नहीं फिरते हैं।

व्यासजी मैं तो आपके दुखों को ही कह रहा हूं आप नहीं कह सकते जिस वक्त हमको यहां से निकाला जा रहा था उस समय क्या दृश्य था. . . .

**श्री चन्दनमल वैद** (उप-मंत्री, उद्योग): आपको सही तरीके से चला जाना चाहिये था।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): आपके तो होठों पर गुलामी की मोहर लगी हुई है।

**श्री चन्दनमल वैद** : आपके तो गले में लटकी हुई है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : वह आपके गले में अब लटका दी है।

**श्री नत्थीसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय माननीय सदस्यों को सदन से बाहर निकाला जा रहा था उस समय वे लोग भी यहां हाउस में आगये जो वाच एन्ड वार्ड के सिपाही नहीं थे। ऐसे लोग सिविलियन ड्रेस में यहा आगए और वे हाउस से लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं, क्या यह आपके लिये अभिमान की बात है? यहां आप पूरे आदमियों को रखते नहीं और फिर बुलाते हैं सिविलियन ड्रेस में यहां आकर मेम्बरों को घसीट कर बाहर ले जाते है, जिनमें से एक तो कांग्रेस स्वयं सेवक की वर्दी में थे, दूसरे चूड़ीदार पाजामा और अचकन पहने हुये थे। इस प्रकार के लोगों को अन्दर लाया गया, उनसे सदस्यों को धक्के दिलवाये गये, क्या आप इसे जनतन्त्र की प्रतिष्ठा कहते हैं? क्या इसी से जनतन्त्र की मान मर्यादा कायम करना चाहते हैं? इससे ज्यादा शर्मनाक बात और नहीं हो सकती। यह चोरी और

(श्री नत्थीसिंह)

ऊपर से फिर सीना जोरी । यह सीना जोरी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, जिस समय उमरावसिंहजी ढाबरिया को सदन से बाहर निकाला जा रहा था उस समय जब माननीय सदस्य मेज के नीचे चले गये तो उनको घसीट कर निकाला गया ....

**श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़):** उनको नियमों के अनुकूल सदन से अपने आप बाहर चला जाना चाहिये था। आप मेज के नीचे घुस जायेंगे तो इसी प्रकार का बर्ताव होगा ।

**श्री नत्थीसिंह :** सदन से बाहर निकालने का केवल एक व्यक्ति को अधिकार है और वह है माननीय अध्यक्ष को जो किसी भी मेम्बर को बाहर निकलवा सकते हैं । इसके लिए भी नियम हैं, पहले माननीय सदस्य का नाम लेकर पुकारना चाहिये कि वे सदन से बाहर चले जाय, उसके बाद नहीं जाते हैं तो मार्शल द्वारा बाहर ले जाने का आदेश दिया जाता है । लेकिन जिस समय गवर्नर महोदय यह आदेश दे रहे थे उस समय आप मूक हो गये थे और आज आप मुखर हो रहे हैं, आप आज उनके इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं। बंगाल के अन्दर इस प्रकार का कार्य हो रहा है लेकिन आज तक आपने अखबारों में पढ़ा वहां के सदस्यों के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया गया ? यहां तो सदन के अन्दर पुलिस बुला ली गई और उनके द्वारा मेम्बरों को घसीट कर बाहर ले जाया गया । इस पर भी आप यह कहते है कि हम सदन की प्रतिष्ठा रखना चाहते हैं। मैं प्रस्तावक महोदय को बताना चाहता हूं कि जिस सदस्य को खून निकला वह आपकी तरह ५६ में राजनीति में नहीं आया । आप जिसके इलाके से चुन कर आकर डिप्टी मिनिस्टर बने हुए हैं उस व्यक्ति ने उस इलाके में सन् ३६ से जन-जागरण का काम शुरू किया, आज से नहीं । राजनीति में आप उनसे २० साल छोटे हैं । जवानी की उम्र उन्होंने उस इलाके में जन-जागरण के लिए बितायी है । आपको सन् ५६ में डिप्टी मिनिस्टर बनाया गया, आपने जी-हजूरी करके यह जो पद पाया है उसके कारण आप हमारे खिलाफ इस प्रकार के प्रस्ताव लाकर दबाना चाहते है, हम इस तरह से दब नहीं सकते। सदन की परम्परायें तोड़ी हैं तो राज्यपाल ने तोड़ी हैं, कांग्रेस दल ने तोड़ी हैं । हम इसका मुकाबला करेंगे, हमने किया है और करते रहेंगे, हम इस प्रकार के प्रस्ताव के आगे कभी नहीं झुकेंगे ।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल :** उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं....

**श्री उपाध्यक्ष :** पहले उन माननीय सदस्यों को बोलने दें जिनका नाम इस प्रस्ताव में है ।

**श्री मानसिंह महार (आमेर) :** हम सब इस पर बोलेंगे ।

**श्री मुकटबिहारीलाल गोयल :** उपाध्यक्ष महोदय आज हमारा देश जनतन्त्र की मोड़ पर खड़ा है, देश का इतिहास बन रहा है । राजस्थान भी आज एक मोड़ पर खड़ा है, मुझे रह रह कर इस इतिहास की याद आ रही है जब वीर भगतसिंह ने अपनी आवाज को प्रस्फुटित करने के लिए

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

असेम्बली में बम्ब फेंका था। उस समय महात्मा गांधी ने उसके कार्य की निन्दा की थी लेकिन देश ने उनके काम को सराहा था। मैं १२ सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने जनतन्त्र में अपनी आवाज बुलन्द करने के लिए इस प्रकार का मार्ग अपनाया। आज जब कि जनतन्त्र को खतरा हो गया है, जनतन्त्र की परम्पराओं को कायम रखने के खातिर अपने आपको अग्नि परीक्षा में डाला उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। बहादुरो! आपका यह कार्य हमारे जनतन्त्र को आगे बढ़ाने वाला है। जिस समय वीर भगतसिंह ने असेम्बली में बम्ब फेंका था उस समय भी महात्मा गांधी जैसे व्यक्तियों ने उसकी निन्दा की थी। आप जैसे लोग जो कांग्रेस में बैठे हैं क्षुद्र बुद्धि के कारण आप इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं यह आपकी बुद्धि का फर्क है....

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्षुद्र बुद्धि नहीं, द्रव्य बुद्धि के कारण....

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम जब इस सारे घटना चक्र का अवलोकन करते हैं तो हमें यह प्रतीत होगा कि भरतपुर जिले के राजाखेड़ा के अन्दर एक सीट खाली हुई उसके लिये चुनाव लड़ा गया, उस चुनाव के लिये पंचायत मंत्री उम्मीदवार थे। यह कांग्रेस की जो फौज यहां बैठी हुई है उनकी रहनुमाई करने के लिये वहां पहुंची। वहां के एक मामूली किसान के लड़के थे....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप प्रस्तुत विषय पर कहिये।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** : उपाध्यक्ष महोदय, वहां का एक काला इतिहास है, वहां पर पुलिस की ताकत के बल से लोगों के सिर तोड़े गये। राजस्थान सरकार को उसके लिये शर्म नहीं आयी। उनको तो उन्हें चुनाव जिताने की फिक्र थी, उनको जिताने के लिये राज्य सरकार ने पूरी ताकत लगा दी, पुलिस का खुले आम प्रयोग किया गया।

माननीय सदस्य गंगाजली लेकर वहां के एक आदमी को खरीदने के लिये ५० हजार रुपये तक रिश्वत देने के लिये तैयार हो गये। मैं व्यासजी महाराज से कहना चाहता हूं वहां के लोगों का आप पचास हजार में ईमान खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिये वहां के लोगों के ईमान को खरीदा नहीं जा सकता।

राजस्थान में जिस प्रकार जनतन्त्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है नन्दा का फन्दा जहां ढीला पड़ता जा रहा है, कामराज साहब, जो गान्धीजी की गद्दी पर बैठे हैं, सत्य, अहिंसा के पुजारी हैं आज उनके द्वारा ही जनतन्त्र की हत्या की जा रही है। वहां पुलिस को यह कहा गया कि मुकुटबिहारीलाल को पकड़ लिया जाय। मुझे पकड़ने के लिये पुलिस वाले इधर-उधर फिर रहे थे। लेकिन जिस के साथ वहां की जनता का प्रेम होता है उनके आगे किसी के काले मन्सूबे पूरे नहीं हो सकते, नहीं हो सके; नहीं होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इन पाशविक शक्तियों द्वारा जो व्यक्ति जीत कर आता है राज्य की इस विधान सभा में और जिस व्यक्ति

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

का जीवन हो, जन्म ही इस पर आधारित रहा हो, जिसका पिछला इतिहास काला रहा हो, जिस व्यक्ति ने ईमानदारी से काम नहीं किया हो, उसके हाथ में यह जनतन्त्र और यह शासन की बागडोर कैसे सुरक्षित रह सकती है?

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

**श्री उपाध्यक्ष** : आॅर्डर प्लीज ! मैं आपसे निवेदन करूं, अभी आप जो यह सारा भाषण कर रहे हैं, बाद में वाद-विवाद में क्या करेंगे ? अभी तो जो प्रस्ताव से सम्बन्धित मसला है, उसी पर बोलें, और दूसरों को भी बोलने का अवसर दें ।

**श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द)** : यह तो काला कोट का असर आ रहा है।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** : इन सारी काली बातों का, काली घटनाओं का ज्ञान राज्यपाल महोदय को कराने के लिये उनको एक ज्ञापन दिया गया और प्रार्थना की गई कि इस प्रकार के काले कारनामों की ओर उनके करने वालों की जांच कराई जाय जो कि जनतन्त्र की रक्षा के लिये जरूरी है, पर राज्यपाल महोदय ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया । वहां पर आठ हजार पुलिस के आदमियों का लवाजमा लगाकर मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर नहीं आने दिया गया ।

(घण्टी)

**श्री उपाध्यक्ष** : यह विषयान्तर है ।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** : आपकी आज्ञा मान लेता हूं । दूसरी बात पर आता हूं । तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जिस व्यक्ति का जन्म ही इस तरह के काले कारनामों में हुआ उसी के हाथ में दुर्भाग्य से या सौभाग्य से पंचायत विभाग के मन्त्री का काम सौंप दिया गया। पर इसके बाद भी यह उम्मीद की जाती थी कि इतनी ठोकरें खाने के बाद उनको अक्ल आई होगी और अपने पुराने अतीत के काले कारनामों वाले इतिहास को भूलकर वे सही रास्ते पर चलेंगे, उस काले इतिहास को फिर से नहीं दोहराया जावेगा और पंचायत राज्य के मूलभूत सिद्धान्त की रक्षा की जावेगी । पंचायत राज्य की ऊंची शानदार परम्पराएं कायम की जावेंगी । पार्टी बन्दी के दलदल को, गन्दी राजनीति को इस पंचायत राज के पवित्र मन्दिर से दूर रक्खा जावेगा । पर आशा दुराशा ही साबित हुई ।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : बार बार वही बात कह रहे हैं ।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** : व्यास जी महाराज झांसे में आकर राजस्थान के मुख्य मन्त्री बनने के स्वप्न में कुर्सी पर बैठ कर सारी मर्यादाओं को भूल गये । मैं इन सारी बातों को छोड़ देना चाहता हूं जो माननीय रामकिशनजी ने इस सदन के समक्ष रक्खी है । मैं तो जो एकाध बात रह गई है, वही रख रहा हूँ ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य और मंत्रीगण सभी इस तरह से देखें कि जनतन्त्र की शुद्ध परम्पराओं को कायम करना सब का एक पुनीत कर्तव्य है । सदन के द्वारा, इस विधान सभा के द्वारा कानून बनाया गया । पंचायत राज कायम किया गया और उस पंचायत

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
राज के कानून की मर्यादाओं में रह कर हम इस बात की कोशिश कर रहे थे....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं फिर आपसे निवेदन करूं कि यह विषयान्तर है।

**श्री रामकिशन (बैर) :** उपाध्यक्ष महोदय, वेदना उनकी बहुत गहरी है इसलिए इसे प्रकट हो जाने दें।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** दर्द उनका हृदय चीर कर बाहर निकलना चाहता है, उसे आप निकलने दें, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल :** जो आप आज्ञा देंगे, वही करूंगा, उसको रूल आउट नहीं करूंगा।

हमने इन तमाम घटनाओं की पृष्ठ-भूमि में राज्यपाल महोदय से लिखा-पढ़ी की, पत्र दिये। एक नहीं, तीन-तीन पत्र दिये। हमने राष्ट्रपति महोदय से केन्द्र के एक मंत्री के खिलाफ पंचायत राज्य की व्यवस्था को तोड़ने के एक महानतम अपराध में, जनतन्त्र का खात्मा करने के एक अक्षम्य अपराध में कार्यवाही करने की प्रार्थना की। इसके सिवाय हमारे पास चारा क्या था उपाध्यक्ष महोदय? एक जनतन्त्री प्रणाली में इसके अलावा हम कर भी क्या सकते थे? आप देखिये हम अर्जी दे सकते हैं, उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। हम डिमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, हम हर सम्भव जनतान्त्रिक तरीकों के माध्यम से इन गलत बातों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं यही तो कर सकते हैं। परन्तु हमारे तमाम संवैधानिक तरीके फेल हो गये। कोई भी तरीका इस राजस्थान में शेष नहीं रहा जिसको अपनाकर हम अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचा सकें, पर कोई असर उन तरीकों का नहीं हुआ। वे सब तरीके फेल हो गये। उनकी निरंकुशता, उनका अन्याय, अत्याचार वैसे ही चलते रहे। उनके काले कारनामे उसी रफ्तार से चलते रहे। हमने सोचा शायद राज्यपाल महोदय के चारों तरफ इस सरकार के कर्मचारियों का, चापलूस लोगों का एक ऐसा ढांचा बना हुआ होगा, ऐसे अधिकारी उनके चारों तरफ इन्होंने नियत कर रखे होंगे और शायद इन मिनिस्टरों ने हमारी उन सारी बातों को राज्यपाल तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता रहा होगा तो हमने दूसरा तरीका सोचा। अब वह तरीका बच रहा सदन में जब राज्यपाल महोदय पधारें तो उनको वे बातें सुनाई जावें, कही जावें, निवेदन किया जावे। अब संविधान के अन्दर यह कहां पर लिखा है कि हम उनसे यहां पर कोई निवेदन नहीं करें। आप निवेदन करने पर रोक लगाकर क्या इन असेम्बलियों को, धारासभाओं को एक कोरा नाटक और ढोंग बनाना चाहते हैं? क्या आप यहां किसी ड्रामे का सीन मात्र करना चाहते हैं। एक परिपत्र लिखकर भेज दिया गया कि जब राज्यपाल आवें तो इतने टाइम पहले अपनी सीट पर बैठ जाओ, जब आवें तो उठ कर खड़े हो जाओ, राज्यपाल महोदय खड़े हो जावें तो बैठ जाओ, वे अपनी बात कहलें तो फिर खड़े हो जाओ। तो एक ड्रामे की तस्वीर इस तरह से हो जावे। क्या यही जनतन्त्र है उपाध्यक्ष महोदय?

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

जिस इंग्लैंड के जनतन्त्र की आप दुहाई देते हैं तो वहां की बात मैं आपको बता दूं। वहां यह परम्परा है इस बात की कि एक लोअर हाउस से, निचले सदन से, ऊंचे सदन में प्रस्ताव जाता है तो फौरन सदन के दरवाजे बन्द कर दिये जाते हैं और उनका रिप्रेजेन्टेटिव बहुत अनुनय-विनय पूर्वक नोक डाउन करता है कि दरवाजा खोलदो, तब दरवाजा खोला जाता है। हमने उपाध्यक्ष महोदय, यहां कोई दरवाजा बन्द नहीं किया उनका। फिर हमने ऐसी कौनसी अशिष्टता कर डाली ? हम निहायत नम्रता के साथ अपनी सीट से खड़े हुए; माननीय शब्द से सम्बोधित करके हमने अपनी बात उनके सामने कहनी चाही। हम यही बात कहना चाहते थे···

**श्री उपाध्यक्ष** : आप उस समय उपस्थित थे क्या ?

**श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रामीन्द)** : आप नहीं थे।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** : मैंने यह तमाम बातें अपने साथियों से ज्ञात की हैं कि हम केवल उनसे यह बात कहना चाहते थे कि राजस्थान में आज ऐसी कौनसी संकटकालीन स्थिति पैदा हो गई थी, ऐसी कौनसी एमर्जेन्सी····

( समय-समाप्ति-सूचक-घंटी )

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज ! समय समाप्त हुआ सदन की बैठक····

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)** : समय किस घड़ी से समाप्त हुआ ; left or right ?

**श्री उपाध्यक्ष** : On the right.

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर)** : राइट खत्म हो गया, राइट का समय खत्म हुआ, लेफ्ट खत्म नहीं हुआ, उनका समय खत्म होगया, लेफ्ट का नहीं हुआ।

**श्री उपाध्यक्ष**: सदन की बैठक कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है और यह जो संकल्प है उस पर विचार कल जारी रहेगा।

(तदनन्तर सदन की बैठक म० प० ५ बजे मंगलवार, दिनांक १ मार्च, १९६६ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

---

परिशिष्ट १

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५ का उत्तर देखिए )

*Conditions for auction of shops at Madhoganj, Bandikui.*

(i) The value of all pakka shops, constructed by the Government, shall be determined by the PWD and depreciation charges shall be calculated at the rates charged by the PWD. If the present occupiers are willing to purchase these shops they shall be allowed to do so by paying the valuation of the super structure, minus the depreciation, and plus the value of the land, to be assessed at the average patta rate of the last three years of the area situated in the vicinity of these shops. In addition to this, all arrears of rent due from the occupiers shall be recovered, and the ownership of the shops shall not be transferred unless all the arrears have been paid, together with the price of the land and the shop.

A valuation statement in respect of each shop shall be prepared in consultation with the Executive Engineer and after proper scrutiny final disposal shall be made by the Collector. A report in each case, together with the statement, shall be furnished to the Government.

(ii) Where the shops have been constructed by the shop-keepers themselves average patta rate of the last three years of the land in the vicinity of the area shall be charged from them.

(iii) Those shops, whose occupi- ers are not willing to purchase them be put to open auction.

( समयाभाव के कारण समय में न लिए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर )

**पंचायत समिति उनियारा कान्ट्रेक्टर**

२०. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति उनियारा ने एक ट्रैक्टर खरीद किया है? यदि हां, तो कब और कितनी लागत का ?

(२) पंचायत समिति उनियारा के पास कृषि के लिए कितनी भूमि उपलब्ध है जिसके लिए यह ट्रैक्टर खरीद किया गया ?

(३) उक्त ट्रैक्टर जब से लिया गया है तब से आज तक इससे कितनी आमदनी हुई है और इस पर कितना खर्चा हुआ है? आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) उक्त ट्रैक्टर की खरीद में क्या टेन्डर मंगवाये गए थे ?

**उत्तर**

(१) जी हां। ट्रैक्टर दिनांक ४-९-६३ को खरीदा गया जिसकी कुल लागत १९,४०३) रु० थी।

(२) पंचायत समिति क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को जो पंद्रह-पंद्रह बीघा भूमि अलॉट की गई है उसकी जुताई ट्रैक्टर द्वारा की जाती है।

(३) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(४) जी हां।

**पंचायत समिति उनियारा में ट्रैक्टर से हुई आय व खर्चे की सूची**

(दिनांक ४-९-६३ से २१-१-६६)

| आय | खर्चा |
|---|---|
| ४९६३.०१ | ९७२७.४६ |

**गंग केनाल परमानेन्ट एलॉटमेन्ट रूल्स**

२१. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान कोलोनाइजेशन एक्ट के तहत बने कोलोनाइजेशन गंग केनाल परमानेन्ट अलॉटमेन्ट रूल्स की अब कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि गंग केनाल कॉलोनी अब ३५ वर्ष से भी अधिक पुरानी हो चुकी है ?

(२) क्या सरकार उपरोक्त एक्ट और रूल्स खारिज कर के टिनेन्सी एक्ट के

तहत काश्तकारों को खातेदारी हकूक देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) नहीं ।

यद्यपि गंग कैनाल कॉलोनी को बने ३५ वर्ष से अधिक हो गए है, परन्तु राजस्थान कोलोनाइजेशन एक्ट ही १९५४ में पारित किया गया और इसके आधीन यह नियम १९५६ में बनाए गए । अभी डेढ़ लाख से भी अधिक बीघा भूमि का स्थाई आवंटन इन नियमों के आधीन होना है । इसलिए इन नियमों को लागू रखने की नितान्त आवश्यकता है ।

(२) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

बिक्री कर की छूट

२२. श्री अब्दुल जब्बारखां (निम्बाहेड़ा) : क्या वित्त एवं कर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कृषि कार्यों हेतु अगर कृषक खुद अन्य प्रान्त से इन्जिन, पाइप, बिजली की मोटर, ट्रेक्टर आदि लाए तो उनसे सेल्स टैक्स नहीं लिया जाता ?

(२) क्या राज्य सरकार ने इस प्रकार की छूट कानूनन दे रखी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) उपर्युक्त परिस्थिति में राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कर देय ही नहीं होता, अतः छूट का प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी रकम की वसूली

२३. श्री अमरसिंह (दूदू) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील दूदू के लोरडी ग्राम में गत गर्मी में मोडूलाल पटवारी की हत्या जहर द्वारा की गई थी ?

(२) यदि हां, तो इस पटवारी के कागजात सरकारी व नक्शे वगैरह उसकी मृत्यु के बाद कहां पर बरामद हुए ?

(३) सरकारी रकम कितनी कम पाई गई ?

(४) इस रकम की वसूली किनसे होना निश्चित हुआ ?

उत्तर

(१) यह तो सही है कि श्री मोडूलाल पटवारी की मृत्यु दिनांक १७-६-६५ को लोरडी ग्राम में हुई । किन्तु इनके बारे में अभी तक कैमीकल एग्जामिनर की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि इनकी मृत्यु जहर से हुई या किसी अन्य कारण से ।

(२) कागजात सरकारी व नक्शे श्री रघुनाथ पटेल (भूतपूर्व सरपंच) के यहां मिले।

(३) तहसील से १६२१.५० रुपये न मिलना बतलाया गया है।

(४) पुलिस की रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

अर्जुनपुरा में पाठशाला भवन के लिये राशि

२४. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत सोगरिया, पंचायत समिति लाड़पुरा, जिला कोटा को ग्राम अर्जुनपुरा में पाठशाला के भवन निर्माण के लिये रकम दी गई थी? अगर हां, तो कब कब, कितनी कितनी?

(२) क्या यह सत्य है कि सरपंच ने उक्त रकम को पंचायत कोष में जमा नहीं किया?

(३) क्या यह सत्य है कि ऑडिट ने अपनी रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में रकम में खयानत बताई है?

(४) अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(३) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(४) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

बाली में छात्रावास

२५. श्री मोहनराज (बाली) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि समाज-कल्याण विभाग द्वारा बाली में डी-नोटिफाइड ट्राइब्स के छात्रों के लिये एक छात्रावास खोला गया है जिसकी क्षमता २५ छात्रों तक की है?

(२) क्या यह सही है कि बाली व आसपास के क्षेत्रों के ग्रामों में डी-नोटिफाइड ट्राइब्स के लोगों की आबादी के साथ साथ अनसूचित जाति के लोगों की भी आबादी अधिक है और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये बाली में कोई छात्रावास नहीं है?

(३) क्या यह सही है कि बाली में चल रहे छात्रावास के मौजूदा मकान की क्षमता ५० छात्रों को आराम से रखने की है?

(४) क्या सरकार इसी छात्रावास में २५ के स्थान पर ५० छात्रों के लिये स्थान निश्चित कर २५ छात्र अनुसूचित जाति के लिये जा सकें; ऐसे आदेश देने का विचार करेगी?

उत्तर

(१) बाली जिला पाली में डि-नोटीफाईड ट्राइब्स के लिये एक छात्रावास खोला गया है जिसकी स्वीकृत संख्या इस समय ३० छात्रों की है।

(२) बाली के ग्रास-पास के ग्रामों में अनुसूचित जाति के लोगों की आबादी काफी है। बाली में अनुसूचित जाति के छात्रों का छात्रावास नहीं है।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं। ऐसा करना जब ही संभव होगा जब अनुसूचित जाति के होस्टल खोलने का बजट में प्रावधान हो। तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूरा हो चुका है अतः चौथी पंचवर्षीय योजना में ही विचार किया जा सकेगा।

### अलवर शहर में बेदखली

२६. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अलवर शहर में स्थित मोहल्ला खोहरा के कुछ निवासियों को जेर दफा ९१, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बेदखल किये जाने के नोटिस दिये हुए हैं? यदि हां, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है?

(२) क्या यह सही है कि इन लोगों में से कुछ लोगों को बेदखली के नोटिस इस कारण दिये गये हैं कि उन पर आरोप हैं कि उन्होने बिना कृषि भूमि को गैरकाश्त भूमि में परिवर्तन कराये मकान बना लिये हैं?

(३) क्या अलवर शहर में ऐसे और भी कोई लोग हैं जिन्होंने कृषि भूमि को बिना परिवर्तन कराये मकान बनाये हैं?

### उत्तर

(१) जी हां। ३२ आदमियों को ऐसे नोटिस दिये गये थे।

(२) जी हां। उन्होंने कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से मकान बना लिये हैं।

(३) ऐसा होना सम्भव है पर तहकीक तौर पर जब ही कहा जा सकता है जब कि नगर का पूर्णरूपेण सर्वेक्षण कराया जाय।

### ग्राम पंचायत नागल राजावतान में गबन

२७. श्री जोरावरसिंह चौहान (गिरवा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील दौसा की ग्राम पंचायत नागल राजावतान में सन् १९५५ से ६० के समय में करीब ६०००) रु० का गबन हुआ है?

(२) क्या यह सही है कि उस समय के सरपंच व उप-सरपंच ने मिलकर सन् १९५८ में पंचायत समिति, दौसा से ११६६४) रु० व सन् १९५९-६० में ३५८७) रु० की प्राप्त खाद को बाला-बाला बेचकर रकम का ग्राम पंचायत के कागजों में इन्द्राज नहीं किया?

(३) क्या यह सही है कि दौसा कृषि गोदाम से जो ८१ मन गेहूं इस ग्राम पंचायत में बीज के लिये आया था उसका भी इन्द्राज ग्राम पंचायत रोकड़ में नहीं है और उस समय के सरपंच आदि ने ऊपर-ऊपर ही बेच दिया?

(४) यदि उपरोक्त तथ्य सही हैं तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी हां। खाद प्राप्त हुआ था जिसका एक अलग रजिस्टर में हिसाब रखा गया था व वसूल राशि उसमें जमा की गई थी।

(३) केवल ७५ मन गेहूं ही प्राप्त किया था जिसका इन्द्राज अलग रजिस्टर में किया गया था।

(४) पंचायत की रोकड़ में समय पर रकम जमा न करने बाबत स्पष्टीकरण मांगा गया है और गेहूं व रकम को वसूली की जा रही है।

कुआ बनाने के लिये राशि

२८. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की पंचायत समितियों में नया कुआ बनाने के लिये दस हजार की ग्रान्ट दी जाती है और जन सहयोग से दस प्रतिशत राशि अर्थात् एक हजार लिया जाता है?

(२) क्या यह सही है कि इस प्रकार ग्यारह हजार की राशि नया कुआ बनाने के लिये बहुत कम पड़ता है?

(३) क्या सरकार ने इस समस्या पर विचार किया है कि निर्धारित राशि दस हजार रुपया देने पर कुआ बन नहीं सकता और यदि इस निर्धारित राशि से अधिक पंचायत समिति देती है तो ऑडिट ऐतराज करता है?

उत्तर

(१) स्थानीय विकास कार्यों की योजना के अन्तर्गत नए कुओं के लिए अनुदान देने की अधिकतम सीमा दस हजार रुपये है।

(२) जी हां।

(३) निर्धारित राशि में कुआ नहीं बन सकता। यदि शर्त के अनुसार खर्च नहीं किया जाय तो ऑडिट का ऐतराज होगा।

सरचार्ज की वसूली

२९. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार काश्तकारों के लगान के अलावा वसूल किये जाने वाले सरचार्ज की वसूली अब बन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(२) सरकार को इस सरचार्ज से प्रति वर्ष कितनी वसूली होती है?

उत्तर

(१) जी नहीं। अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

(२) प्रति वर्ष सरचार्ज से जो आय हुई है, उसके आंकड़े निम्न प्रकार हैं—

| | |
|---|---|
| ६०-६१—२,५८,९३६ | वास्तविक आय के आंकड़े। |
| ६१-६२—७,५३,७९९ | |
| ६२-६३—१०,१३,८८६ | |
| ६३-६४—३७,०७,७८३ | |
| ६४-६५—३४,४९,३७२ | |

## सांचोर में चमड़ा क्रय विक्रय भंडार की स्थापना

३०. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या खादी ग्रामोद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) सांचोर पंचायत समिति क्षेत्र में कुल कितने मोचियों के परिवार हैं जो चर्म उत्पादन एवं विक्रय का कार्य करते हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि कि सांचोर में इतने चर्म उत्पादक होते हुए भी वहां अभी तक राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से चमड़ा क्रय विक्रय भंडार (लघु केन्द्र) नहीं खोला गया है ? अगर हां, तो क्यों ? क्या खादी बोर्ड की तरफ से अब शीघ्र ही ऐसा केन्द्र खोल दिया जावेगा ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) इसकी जानकारी बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं है।

(२) बोर्ड की ओर से सीधा बिक्री भंडार खोले जाने की योजना नहीं है। बोर्ड की योजना के अन्तर्गत बिक्री भंडार केवल उन्हीं सहकारी समितियों को दिये जाते हैं जो आदर्श चर्म रंगाई केन्द्र (Model Tannery Center) के अन्तर्गत आते हों और जिले स्तर पर बिक्री की व्यवस्था हो।

इसलिए बिक्री केन्द्र खोले जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

परिशिष्ट ३

( कृपया तारांकित प्रश्न सं० ३ का उत्तर देखिये )

नक्शा पटवारियान जो निलम्बित हैं

| क्रम सं० | नाम पटवारी | तहसील | किस तारीख से निलम्बित है |
|---|---|---|---|
| | | **उदयपुर** | |
| १ | श्री रणजीतसिंह | गिरवा | ८-११-६२ |
| २ | श्री चिमनसिंह | कोटडा | २६-८-६४ |
| ३ | श्री गणेशलाल | बल्लभनगर | ३०-६-६५ |
| ४ | श्री हिम्मतसिंह | गोगून्दा | १६-१-६६ |
| | | **चित्तौडगढ** | |
| ५ | श्री इन्द्रसिंह | छोटी सादडी | १-२-६६ |
| ६ | श्री इनायत खां | वेगूं | १७-६-६५ |
| ७ | श्री शोभालाल | निम्बाहेडा | २२-७-६५ |
| | | **भीलवाड़ा** | |
| ८ | श्री बहादुरसिंह | सहाड़ा | ४-११-६३ |
| ९ | श्री कन्हैयालाल भन्डारी | मांडलगढ़ | २०-१०-६५ |
| १० | श्री चान्दमोहम्मद | माण्डलगढ़ | २०-१-६६ |
| ११ | श्री केदारलाल सोनी | हुरडा | १६-८-६५ |
| १२ | श्री रहमतखां | आसीन्द | २३-८-६५ |
| १३ | श्री गणपतसिंह | आसीन्द | १२-११-६५ |
| १४ | श्री भंवरलाल भट्ट | शाहपुरा | १०-१२-६५ |
| १५ | श्री शफी मोहम्मद | बनेड़ा | ३-११-६५ |

परिशिष्ट ४

( कृपया अतारांकित प्रश्न सं० ७ का उत्तर देखिये )

समाज कल्याण योजना गोविन्दगढ़ (लक्ष्मणगढ) की समाज कल्याण योजना संचालन समिति के सदस्यों की सूची।

| | | |
|---|---|---|
| १. | श्रीमती पुष्पा देवी | अध्यक्षा |
| २. | श्री कान्तिचन्द्र मोदी | उपाध्यक्ष |
| ३. | श्री विकास अधिकारी | कोषाध्यक्ष |
| ४. | मंडलाधीश, अलवर | सदस्य |
| ५. | श्री गोकुलचन्द, एम. एल. ए. | सदस्य |
| ६. | श्री अध्यक्ष, समाज शिक्षा समिति | सदस्य |
| ७. | श्री भगवान सहाय | सदस्य |
| ८. | श्रीमती केसरदेवी | सदस्या |
| ९. | श्रीमती कबूली देवी | सदस्या |
| १०. | श्रीमती प्रकाशवती जैन | सदस्या |
| ११. | श्रीमती लक्ष्मीदेवी गुप्ता | सदस्या |

नोटः—उक्त समिति को ५ वर्ष से अधिक हो गया था अतः राज्य बोर्ड ने इसको दिनांक २५-८-६५ को भंग किया जाकर विकास अधिकारी को नई समिति के मनोनयन तक चार्ज दिया गया है।

## शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक २८ फरवरी, १९६६)

| स्कम्भ सं० | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| ५० | ३–४ | श्री विजयसिंह झाला श्री अध्यक्ष : | श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला |
| ५४ | अन्तिम से ६ | दिया | दिशा |
| ६० | १२ | ईवर | ईयर |
| ,, | १७ | इंडस्ट्रिय | इन्डट्रियल |
| ,, | १९ | ड्रिटी | डिप्टी |
| ६२ | अन्तिम से ३ | कम्पाऊंडर | कम्पाउंडर |
| ६३ | ,, ,, २ | १.७७,६०० | १,७७,६०० |
| ६५ | ४ | नही | नहीं |
| ७० | अन्तिम | रही ? | रही है ? |
| ७१ | ५ | जाव | जावे |
| ९५ से १०० | शीर्षक | प्रशोउतर | प्रश्नोत्तर |
| ९६ | २ | आग आर जिलो | आगे और जिलों |
| ९७ | १ | म | में |
| ९८ | अन्तिम से ५ | विस्तत | विस्तृत |
| ९९ | २१ | जवे | जावे |
| ,, | २३ | **श्री वुम्भाराम आर्य** | **श्री कुम्भाराम आर्य** |
| १०० | १ | अय | अन्य |
| ,, | ७ | अर्य | आर्य |
| ,, | १७ | **श्री अब्दुल जब्बार** | **श्री अब्दुलजब्बार** |
| १०१ | अन्तिम से ६ | कार्याहीं | कार्यवाही |
| १०२ | ४ | इजेक्टमेट | इजेक्टमेन्ट |
| ,, | २५ | कमण्ड नही | कमाण्ड नहीं |
| ,, | अन्तिम से ४ | राजस्थन, | राजस्थान, |
| १०३ | १ | श्री जुझरसिंह | श्री जुझारसिंह |
| ,, | १७ | प्रशोतर | प्रश्नोत्तर |
| १०५ | २२ | एव | एवं |
| ,, | २३ | व। | क्या |
| १०६ | शीर्षक | अतारांकित प्रश्नोत्तर | तारांकित प्रश्नोत्तर |
| १०९ | २१ | ब।न | बयान |
| १११ | १९ | कुछ स्थगन-प्रस्ताव है। | श्री अध्यक्ष : कुछ स्थगन-प्रस्ताव हैं। |
| ११५ | ११ | प्रस्ताओं | प्रस्तावों |
| ११८ | अन्तिम से ७ | है | हैं। |
| ११८ | ५ | **श्री मोहनलाल सुखाडिया** | **श्री मोहनलाल सुखाड़िया** |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ११६ | ८ | पोजीशन | पोजीशन |
| १२६ | अन्तिम से ७ | ( प्रति सदन की मेज पर रखना). | प्रति सदन की मेज पर रखना |
| १२६ | १५ | वाद-विवाद। | वाद-विवाद |
| १३१ | २० | डिक्स | डिक्श- |
| १३४ | १४ | metter | matter |
| १३७ | १८ | theeof | thereof |
| ,, | १६ | Speakeas | Speaker has |
| ,, | २० | Shri Ram Kisan | Shri Ram Kishan. |
| १४४ | ३ | श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (अलवर) : | श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल |
| ,, | ७,१४ | **श्री सतीशचन्द अग्रवाल** | **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** |
| ,, | ११ | लड्ढा | लड्डा |
| ,, | १६ | मै | में |
| ,, | १६ | हु | हूं |
| १४७ | १६ | प्रस्ताव | प्रस्ताव |
| १४६ | अन्तिम से ४ | वाद-त्रिवाद | वाद-विवाद |
| १५६ | ३ | by t he | by the |
| ,, | ६ | कमेन्समेन्ट | कमेन्समेन्ट |
| १५६ | अन्तिम से २ | करक्ट | कन्डक्ट |
| १६० | ६ | दृष्टि- | दृष्टि- |
| ,, | १५ | वैधानक | वैधानिक |
| १६६ | १३ | (२.०० म.प्र.) | (२.०० म.प.) |
| १८० | १५ | "C me in" | "Come in" |
| १८१ | ४ | qyiet | quiet. |
| १८४ | ६ | int nupting | interrupting |
| १८५ | १६ | कि। | किं |
| १८८ | अन्तिम से ४ | श्री रामानन्द : | श्री रामानन्द अग्रवाल |
| १६१ | अन्तिम से ३ | बदस | बाद हाउस |
| ,, | ,, | कन्नीडर | कन्सीडर |
| १६२ | २ | चाहये | चाहिये |
| ,, | अन्तिम से २ | i | his |
| १६३ | १ | constitution | Constitution |
| १६४ | ५ | Assemly | Assembly |
| १६७ | १० | Conv nience | Convenience |
| ,, | २१ | **श्री मुकुटबिहारीलाल (गोयल)** | **श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल** |
| १६८ | अन्तिम से ८ | Speak r. | Speaker. |
| २०१ | १६ | autho ity | Authority |
| २०२ | २० | (जोहरी बाजार | (जोहरी बाजार, |
| ,, | अन्तिम | — | निकाले गये। |
| २०३ | १७ | (बयाना) | — |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| २०४ | १ | **श्री रामप्रसाद लड्ढा** | **श्री रामप्रसाद लड्ढा** |
| २०५ | शीर्ष | (श्री रामप्रसाद लड्ढ) | (श्री रामप्रसाद लड्ढा) |
| २०७ | अन्तिम | यह् | यह |
| २०९ | १७ | उन्हों | उन्हीं |
| २११ | २ | ज ो | जो |
| २१४ | १६ | देंगे | देंगे। |
| २१७ | अन्तिम से ८ | को | श्री |
| २१९ | ,, १० | विरोधी-पथ | विरोधी-पक्ष |
| २२१ | २ | तरीके, से | तरीके से, |
| ,, | २ | कॉन्स्टिट्यूशनल से | कॉन्स्टिट्यूशनल वे से |
| २२३ | ६ | दृष्य | दृश्य |
| २२४ | १४ | इसके | इसके |
| २२८ | अन्तिम से १० | पार्टीसिपेट | पार्टीसिपेट |
| २३२ | १७ | न्यायोचत | न्यायोचित |
| २३३ | ४ | खिलफ | खिलाफ |
| २३४ | अन्तिम | | ली |
| २३५ | ,, | सारा | सारी |
| २३७ | ४ | कर दें हटने के लिये। | कर दें। |
| ,, | १९ | घाना, एक्रुमा में | घाना में एन्क्रुमा ने |
| २४६ | १० | ो | तो |
| २४७ | १० | o dinance | ordinance |
| २४९ | अन्तिम से १३ | में | में |
| २५० | ,, १० | हो | ही |
| २५७ | ६ | बृलन्द | बुलन्द |
| २७४ | १३ | कुरा | कुप्रां |
| ,, | १३ | लिने | लिये |
| ,, | १८,२३ | कुआ | कुप्रां |
| ,, | १९ | दन | दल |
| २७४ | २३ | न। | नया |
| ,, | अन्तिम | ऑॉ ट | ऑडिट |
| २७६ | अन्तिम से ६ | कि कि | कि |
| ,, | अन्तिम से ४ | राजस्थ न | राजस्थान |
| २७७ | अन्तिम से ४ | Center) | Centre) |